



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

ग्राम पंचायत- पीपलसना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार





क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



ग्राम पंचायत- पीपलसना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार



प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (DoE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
ईमेल: doeuplko@yahoo.com वेबसाइट: upenv.upsdc.gov.in

तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन
गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (जीईएजी)

मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

श्री मनोज सिंह, आईएएस (IAS), अपर मुख्य सचिव
श्री आशीष तिवारी, आईएफएस (IFS), सचिव

जिला प्रशासन

श्री मानवेन्द्र सिंह, आईएएस (IAS), जिलाधिकारी, मुरादाबाद
श्री सुमित यादव, आईएएस (IAS), मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद

वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ (CEO)
श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक
डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ सलाहकार

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (जीईएजी)

डॉ. शीराज़ वजीह, अध्यक्ष

लेखक

वसुधा फ़ाउंडेशन

सुश्री वसुंधरा सिंह, सुश्री कृति लूथरा, सुश्री रिनी दत्त, सुश्री शिविका सोलंकी

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (जीईएजी)

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

शोध समर्थन

वसुधा फ़ाउंडेशन -

डॉ. प्रीति सिंह, श्री नवीन कुमार, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, सुश्री फातिमा सैला

पीपलसना ग्राम पंचायत

श्री फहीम, ग्राम प्रधान

क्षेत्रीय शोध समर्थन

नेहरू युवा मंडल

श्री अज़ीज़ुर रहीम, श्री मोहमद फहीम, मोहमद सादिक डेनियल, श्री टीकाराम

डिज़ाइन एवं लेआउट

वसुधा फ़ाउंडेशन

श्री ससाधर रॉय, श्री रोहिन कुमार, श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया



मानवेन्द्र सिंह

आई०ए०एम०

ज़िलाधिकारी



कार्यालय ज़िलाधिकारी

मुरादाबाद

फोन नं. निवास : 2413016, 2413967
कार्यालय : 2413288
फैक्स : 2421132

email : dmmor@nic.in

अ. शा. पत्र संख्या नीतो / e.A/2024

दिनांक 17.02.2024

संदेश

ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित Climate Smart ग्राम पंचायत पिपलसना, विकास खण्ड भगतपुर टाण्डा जनपद मुरादाबाद की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। जैसाकि हम जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिये जमीनी स्तर पर इस संबंध में तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

हमारी ग्राम पंचायतों, समुदाय के निकटतम शासन की एक आवश्यक इकाई होने के नाते जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने तथा सतत् विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

हमारे समुदाय, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थव्यवस्था सब आपस में जुड़े हैं और हमारे लिये ऐसी रणनीति को अपनाना आवश्यक है, जो जलवायु से जुड़े जोखिमों को कम करती हो।

ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, जो पंचायत को Climate Smart पंचायत बनाने के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी।

मैं, इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउन्डेशन नई दिल्ली, स्थनीय संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (G.E.A.G.) गोरखपुर तथा नेहरू युवा मण्डल को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को Climate Smart ग्राम पंचायत बनाने में सहयोगी सिद्ध होगी।

(मानवेन्द्र सिंह)

सुमित यादव
(आई.ए.एस.)



अ.शा. पत्र संख्या : 992 2024
मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद (उ.प्र.)
कार्यालय नम्बर : 0591-2451657
मोबाइल नम्बर : 9454465167
दि० 17-02-2024

—:: संदेश ::—

ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत— पीपलसाना, विकास खण्ड— भगतपुरटांडा जनपद— मुरादाबाद की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत सम्मान का अनुभव हो रहा है। जैसा कि हम जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिये जमीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें, समुदाय के निकटतम शासन की एक आवश्यक इकाई होने के नाते जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत् विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारी समुदाय, हमारा परिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थव्यवस्था सब आपस में जुड़े हैं और हमारे लिये ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है जो जलवायु से जुड़े जोखिमों को कम करती हों।

मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली एवं सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.), गोरखपुर एवं स्थानीय सहयोगी संस्था नेहरू युवा मंडल, पीपलसाना को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनने में सहयोगी होगी।

धन्यवाद।


(सुमित यादव)



ग्राम पंचायत पीपलसाना

ब्लाक भगतपुर टांडा, जनपद-मुरादाबाद



मो0- 86502 25666, 99173 65479

ग्राम प्रधान फईम

दिनांक: 11.7.2024

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत पीपलसाना, विकास खण्ड भगतपुर टाण्डा,
जनपद मुरादाबाद

आभार

सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान, ग्राम पंचायत पीपलसाना, जनपद मुरादाबाद की ओर से सादर नमस्कार और अभिनंदन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वास्थ्य होंगे। मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर हेतु बढ़ाये गये प्रथम कदम/प्रयास को आपसे साझा करते हुए रोमांचित हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियाँ हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही है और हमारे समुदाय और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिये उन पर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्वसहमति से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम आवश्यक था ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिये सामुदायिक सहभागिता के साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आंकड़ों को एकत्र किया गया। आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिये मैं स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी), गोरखपुर तथा नेहरू युवा मण्डल का तथा आंकड़ें एकत्र करने में हमारे सभी ग्रामवासियों के समर्थन और सक्रिय भागीदारी के लिये हृदय से धन्यवाद। हम सभी साथ मिलकर हमारी पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनायेंगे जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, का भी आभारी हूँ जिन्होंने एकत्र किये गये आंकड़ों को कार्ययोजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों अपनी पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिये हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। आइये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़े और दूसरों के लिये उदाहरण स्थापित करें।

धन्यवाद !

फईम
(प्रधान)

ग्राम प्रधान फईम
ग्राम पंचायत पीपलसाना
बि० ख० भगतपुर टांडा
पीपलसाना (मुरा०)

विषय वस्तु

1	कार्यकारी सारांश	1
2	ग्राम पंचायत की रूपरेखा	4
	▪ पीपलसना ग्राम पंचायत एक नजर में	4
	▪ जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल	5
	▪ प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ	6
	▪ कार्यरत महिलाएं	7
	▪ कृषि	8
	▪ प्राकृतिक संसाधन	8
	▪ पीपलसना में सुविधाएं	9
3	कार्बन फुटप्रिंट	10
4	व्यापक मुद्दे	11
5	प्रस्तावित सुझाव	12
	▪ जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	13
	▪ हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	19
	▪ सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	23
	▪ सतत कृषि	28
	▪ स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच	33
	▪ सतत और उन्नत गतिशीलता	42
	▪ आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	46
6	विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची	49
7	अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव	55
8	आगे की राह	60
9	अनुलग्नक	61

चित्रों की तालिका

चित्र 1: पीपलसना ग्राम पंचायत, जिला मुरादाबाद का भूमि-उपयोग मानचित्र	5
चित्र 2: पीपलसना में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान , 1990-2020	6
चित्र 3: पीपलसना में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990-2020	6
चित्र 4: पीपलसना में पारिवारिक स्तर पर आय के स्रोत	6
चित्र 5: घरेलू स्तर की आय का अनुमान, पीपलसना	7
चित्र 6: पीपलसना में राशन कार्ड वाले परिवार	7
चित्र 7: पीपलसना में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित महिलाओं की संख्या	7
चित्र 8: पीपलसना में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण	8
चित्र 9: 2022 में पीपलसना में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	10
चित्र 10: 2022 में पीपलसना के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	10



कार्यकारी सारांश

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की पीपलसना ग्राम पंचायत मध्य-पश्चिमी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है। पीपलसना की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर जलवायु गतिविधियों/प्रक्रियाओं को मजबूत करने और पंचायत को वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट/लचीला बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत को विशिष्ट दिशा प्रदान करती है जिससे पंचायत लचीलापन, अनुकूली क्षमता को बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने के साथ ही ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ प्राप्त कर पाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तैयार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजनाओं के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को अपनाकर कार्ययोजना तैयार की गई है। पीपलसना के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे पीपलसना ग्राम पंचायत की वर्तमान ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

यह कार्ययोजना¹ प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, मध्य-पश्चिमी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रमुख मुद्दों को सम्मिलित करती है। कार्ययोजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए पीपलसना ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे आधारभूत रूपरेखा बनाने और पीपलसना के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में मदद मिली है।

जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है, ग्राम पंचायत में एक राजस्व गांव और दो मजरे और 3,417 घर हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 19,426 है²। मुख्य आर्थिक गतिविधियों में गैर-कृषि मजदूरी और कृषि शामिल हैं। एक आधारभूत मूल्यांकन से पता चलता है कि पीपलसना ग्राम पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट ~11,285 tCO₂e³ है।

1 ग्राम पंचायत कार्ययोजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन और जोखिम भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) के पहलू सम्मिलित हैं।
2 जनगणना 2011 आंकड़ों नोट: कुल जनसंख्या- 15,602; पुरुष- 8,063; महिला- 7,539
3 ग्राम पंचायत के भीतर बिजली की खपत के कारण स्कोप 2 उत्सर्जन (यूपीपीसीएल से प्राप्त आंकड़ों और सीईए से ग्रिड उत्सर्जन कारक) शामिल है।

दृष्टिकोण

प्राथमिक सर्वेक्षण टूल का विकास

- **सर्वेक्षण और प्राथमिक अंकड़े एकत्र करना:** पंचायत में सर्वेक्षण का कार्य ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया गया। ग्रामीण सहभागी आंकलन (PRA) की गतिविधियों जैसे समूह केन्द्रित चर्चा (FGD), गाँव का भ्रमण (ट्रांसेक्ट वॉक), सामाजिक तथा संसाधन मानचित्रण आदि की सहायता एवं निवासियों और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से अंकड़े एकत्र किए गए।

आंकड़ों का विश्लेषण और कार्ययोजना निर्माण:

- **ग्राम पंचायत के रूपरेखा तैयार करना:** सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त जानकारी के आधार पर एक विस्तृत ग्राम पंचायत रूपरेखा विकसित की गई। इस रूपरेखा में जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और पीपलसना में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सम्मिलित हैं।
- **मुख्य मुद्दों की पहचान:** सर्वेक्षण प्रश्नावली और खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (HRVCA) में प्राप्त जानकारी के माध्यम से प्रमुख विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गयी
- **कार्बन फुटप्रिंट अनुमान:** पीपलसना में प्रमुख गतिविधियों* से कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया है
- **प्रस्तावित संस्तुतियां:** पहचाने गए मुद्दों के आधार पर पीपलसना के लिए सुझाव/संस्तुतियां विकसित की गईं। इन संस्तुतियों में मध्य-पश्चिमी मैदानों की मौजूदा कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, पीपलसना की क्षेत्रवार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है। कार्ययोजना तैयार किए जाने के दौरान सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे जलवायु विषय पर कार्य करने के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

*गतिविधियों में शामिल हैं- बिजली की खपत से उत्पन्न उत्सर्जन, आवासीय खाना पकाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसल अवशेष जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, धान की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

ग्राम पंचायत पीपलसना में तत्काल कार्रवाई हेतु पहचाने गए कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्न हैं:

- जलाशयों का कायाकल्प और जीर्णोद्धार, अपशिष्ट जल प्रबंधन में सुधार और स्वच्छ जल तक पहुँच को बढ़ाना।
- जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए सड़क और जल निकासी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ताकि लचीलापन बढ़ाया जा सके।
- परिवहन और आवासीय खाना पकाने के क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करना।
- नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) और ऊर्जा दक्षता समाधानों का उपयोग करना जैसे कि सौर छतों पर सौर ऊर्जा संचालित पंप, और घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में ऊर्जा कुशल फिक्सचर आदि।
- आजीविका विकल्पों में विविधता लाना और हरित आजीविका के अवसर बनाना।

संवेदनशील/कमजोर क्षेत्रों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और क्षेत्र सर्वेक्षणों से उभरने वाले मुद्दों और ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, संस्तुतियां प्रस्तावित की गई हैं। संस्तुतियों में जल, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, हरित स्थानों को बढ़ाना, टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन, सतत गतिशीलता और बढ़ी हुई आजीविका और हरित उद्यमशीलता के विषयगत क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

इन संस्तुतियों के अंतर्गत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है- चरण I (2024-27), चरण II (2027-30) और चरण III (2030-35)। चरण-वार लक्ष्यों का ग्राम पंचायतों के विवेक के अनुसार वार्षिक लक्ष्यों में वितरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चरण-वार लक्ष्य, संभावित लागत, केंद्रीय और राज्य योजनाओं का समर्थन करने के साथ-साथ सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते भी बताए गए हैं।

पीपलसना के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे ग्राम पंचायत पीपलसना की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) निम्नलिखित द्वारा पीपलसना जीपीडीपी को पूरक और संपूरित करेगा:

- a. जलवायु परिप्रेक्ष्य के साथ मौजूदा विकास पहलों और गतिविधियों को व्यापक आधार देना।
- b. जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों का समन्वय करना।

इस कार्ययोजना में हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को पीपलसना की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ जोड़ते हुए लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा आवंटित बजट का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकाय कायाकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार) के 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा' विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।


इस कार्ययोजना के क्रियान्वयन के माध्यम से कम की गई कुल उत्सर्जन मात्रा प्रति वर्ष 7,957 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (tCO₂e/वर्ष) होने का अनुमान है और अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 77,500 tCO₂ तक बढ़ सकती है। तीन चरणों में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत ₹58 करोड़ (11 वर्षों में) है जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) निधि शामिल है। इसमें से, आवश्यक धनराशि का 30-35 प्रतिशत (लगभग ~ ₹20 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशन/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है जबकि शेष लागत सीएसआर और निजी निधियों से प्राप्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएसआर को शामिल करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।

वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना




















क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



पीपलसना

पीपलसना ग्राम पंचायत एक नजर में⁴

 स्थान	भगतपुर टांडा ब्लॉक, मुरादाबाद जिला	 जल संसाधन	6 तालाब (1.8 हे०) और ढेला नदी
 कुल क्षेत्रफल⁵	273.9 हेक्टेयर ⁶	 कृषि-जलवायु क्षेत्र¹⁰	मध्य-पश्चिमी मैदान जलवायु परिस्थितियाँ- मध्यम वर्षा के साथ उपोष्णकटिबंधीय अधिकतम तापमान - 47 °C न्यूनतम तापमान- 4 °C औसत वार्षिक वर्षा- 662 मिमी मिट्टी- गेहूँ, दालें और तिलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त दोमट मिट्टी
 संयोजन	1 राजस्व गांव, 2 मजरे	 जिले का समग्र भेद्यता सूचकांक (सीवीआई)¹¹	उच्च
 कुल जनसंख्या⁷	19,426	 जल भेद्यता: बहुत उच्च	उच्च
 पुरुषों की संख्या	10,685	 आपदा प्रबंधन भेद्यता: उच्च	उच्च
 महिलाओं की संख्या	8,741	 स्वास्थ्य भेद्यता: उच्च	उच्च
 कुल परिवारों की संख्या⁸	3,417	 ऊर्जा भेद्यता: मध्यम	उच्च
 पंचायत का आधारभूत ढांचा	4 (पंचायत भवन, 2 प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र)	 कृषि भेद्यता: कम	उच्च
 प्राथमिक आर्थिक गतिविधि	मजदूरी श्रम (गैर-कृषि)		
 भूमि उपयोग⁹	कृषि भूमि 211 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि 2 हेक्टेयर अन्य भूमि 59 हेक्टेयर		

4 योजना की तैयारी के लिए किए गए फील्ड सर्वेक्षण के आंकड़े (फरवरी 2023)

5 भुवन के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल 176 हेक्टेयर <https://bhuvanpanchayat.nrsc.gov.in/index.html> पर उपलब्ध है।

6 क्षेत्रीय सर्वेक्षण में रिपोर्ट के अनुसार


7 जनगणना 2011 के आंकड़े नोट: कुल जनसंख्या- 15,602; पुरुष- 8,063; महिला- 7,539

8 कुल घर- 3,417; 2,000 पक्के घर और 1,417 कच्चे घर (फील्ड सर्वेक्षण में रिपोर्ट के अनुसार)

9 फील्ड सर्वेक्षण नोट्स का दूसरा दौर

10 कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश

11 यूपी एसएपीसीसी 2.0



चित्र 1: पीपलसना ग्राम पंचायत, जिला मुरादाबाद का भूमि-उपयोग मानचित्र

जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)¹² से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता आंकड़ों (तापमान और वर्षा) से ज्ञात होता है कि 1990 और 2020 के बीच क्षेत्र (मुरादाबाद जिला) के अधिकतम और न्यूनतम तापमान और वार्षिक वर्षा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है (चित्र 2 और 3 देखें)¹³। हालांकि, आईएमडी के आंकड़े पंचायत स्तर पर तापमान में होने वाली व्यापक परिवर्तनशीलता को नहीं दर्शाते हैं तथा इसके अतिरिक्त, कुछ दिन ऐसे भी हैं जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 1991 से 2023 के बीच वैश्विक भूमि और महासागर औसत की तुलना में एशिया में तेजी से गर्मी बढ़ी है और वर्ष 2010-2020¹⁴ के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है। अंतःसरकारी पैनल (आईपीसीसी)¹⁵ और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार (एमओईएस)¹⁶ द्वारा भी इसी तरह के निष्कर्षों की पुष्टि की गई है।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय सर्वेक्षण और समूह केंद्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी के अनुसार मौसम परिवर्तन पर समुदाय की धारणा यह दर्शाती है कि 2010-2020 के दशक में, ग्राम पंचायत में गर्मी के दिनों की संख्या में औसतन 15-20 दिनों की वृद्धि और सर्दियों के दिनों की संख्या में लगभग 30 दिनों की कमी देखी है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बरसात के दिनों की संख्या में भी लगभग 25-30 दिनों की कमी आई है¹⁷।

ग्राम पंचायत के लिए किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता विश्लेषण में आईएमडी आंकड़ों के साथ-साथ समुदाय की धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया ताकि ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता का संतुलित दृष्टिकोण सामने लाया जा सके।

12 बिजनौर स्थित आईएमडी मौसम केंद्र (पीपलसना के सबसे निकट आईएमडी स्टेशन) से पीपलसना के लिए लिया गया दैनिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) आंकड़ों और दैनिक वर्षा आंकड़ों; 2001 और 2002 के लिए तापमान आंकड़ों उपलब्ध नहीं है।


13 वर्ष 1997, 1998, 1999, 2000 और 2012 के लिए वर्षा आंकड़ों उपलब्ध नहीं है।

14 एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 (wmo.int)


15 एआर6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch)

16 भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), भारत सरकार की एक रिपोर्ट | स्प्रिगरलिक

17 योजना की तैयारी के लिए किए गए फील्ड सर्वेक्षण से आंकड़ों



चित्र 2: पीपलसना में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2020




चित्र 3: पीपलसना में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990-2020

प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ

अधिकांश परिवार अपनी आजीविका के लिए गैर-कृषि मजदूरी (44 प्रतिशत) पर निर्भर हैं, इसके बाद ग्राम पंचायत में कृषि (20 प्रतिशत) का स्थान है (चित्र 4 देखें)। इसके बाद कला/हस्तशिल्प, तथा पशुपालन और स्थानीय व्यवसाय चलाने जैसी अन्य गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षण से यह भी संकेत मिला है कि ग्राम पंचायत में पीतल, चावल मिलों और आटा मिलों जैसी औद्योगिक/कारखाना इकाइयों में कुछ व्यक्ति संलग्न हैं।


समूह केंद्रित चर्चा से प्राप्त घरेलू स्तर की आय अनुमानों से पता चलता है कि 70 प्रतिशत परिवार प्रति वर्ष ₹50,000 से कम कमाते हैं और केवल 2 प्रतिशत परिवार प्रति वर्ष ₹5,00,000 से अधिक कमाते हैं (चित्र 5 देखें)।

सर्वेक्षण के समय, ग्राम पंचायत के 310 घर, लगभग 9 प्रतिशत, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) थे। राशन कार्ड के आंकड़ों यह दर्शाते हैं कि लगभग 93 प्रतिशत घरों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ मिलता है और उनके पास राशन कार्ड हैं। इनमें से 250 घरों के पास एक अंत्योदय कार्ड है¹⁸ (चित्र 6 देखें)।




चित्र 4: पीपलसना में पारिवारिक स्तर पर आय के स्रोत

18 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल (<https://nfsa.gov.in/portal/RationCardStatePortalsAA>)




चित्र 5: घरेलू स्तर की आय का अनुमान, पीपलसना



चित्र 6: पीपलसना में राशन कार्ड वाले परिवार

कार्यरत महिलाएं

पीपलसना में महिलाएँ ज़्यादातर कृषि और उसके बाद मज़दूरी का काम करती हैं (चित्र 7 देखें)। यहाँ 85 परिवार ऐसे हैं जिनकी मुखिया महिला हैं¹⁹ जो कि ग्राम पंचायत में कुल परिवारों का लगभग 2 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 20 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) हैं जो कृषि और सिलाई जैसी गतिविधियों में शामिल हैं।




चित्र 7: पीपलसना में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या

19 महिला प्रधान परिवार वे परिवार हैं, जहाँ महिलाएँ एकमात्र/मुख्य कमाने वाली होती हैं।

कृषि

ग्राम पंचायत में लगभग 20 प्रतिशत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं²⁰। पीपलसना ग्राम पंचायत में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 211 हेक्टेयर है जबकि सकल फसल क्षेत्र 426 हेक्टेयर है। चित्र 8 में ग्राम पंचायत में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण दर्शाया गया है। उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसलों में गन्ना (~215 क्विंटल) और धान (~11 क्विंटल) है। उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फसल गेहूं (~13 क्विंटल) है। अन्य रबी फसलें जैसे आलू (~105 क्विंटल), गोभी (~90 क्विंटल) और सरसों (~3 क्विंटल) भी यहाँ उगाई जाती हैं। सिंचाई के मुख्य स्रोतों में वर्षा जल, ट्यूबवेल और व्यक्तिगत बोरवेल सम्मिलित हैं। ग्राम पंचायत में 205 डीजल पंप, सोलर पंप और एक विद्युत पंप का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है।

ग्राम पंचायत की लगभग 3 प्रतिशत परिवार पशुपालन से जुड़े हुए हैं। कुल पशुधन की संख्या 1,118 (26 गाय, 188 भैंस, 846 बकरियां, 58 सुअर) है, साथ ही 2,430 मुर्गियों का पालन भी किया जाता है। ग्राम पंचायत में मत्स्य पालन भी किया जाता है।



चित्र 8: पीपलसना में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण

प्राकृतिक संसाधन

पीपलसना ग्राम पंचायत से ढेला नदी बहती है। यहां 6 तालाब हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग 1.8 हेक्टेयर²¹ हैं। ग्राम पंचायत के पास 2 हेक्टेयर सामान्य भूमि भी है। पंचायत में पेड़ों की प्रजातियों में अर्जुन, शीशम और नीम शामिल हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कोई वन भूमि नहीं है।

20 यह ध्यान देने योग्य बात है कि कई परिवार एक से अधिक तरीकों से कृषि में लगे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, छोटे भूस्वामी भी बड़े खेतों पर मजदूरी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बड़े भूस्वामी किसान भी अनुबंध खेती कर सकते हैं।

21 जैसा कि एचआरवीसीए में बताया गया है; तालाबों के स्थान के लिए सामाजिक संसाधन मानचित्र देखें

पीपलसना में सुविधाएं:

बिजली तथा रसोई गैस

- बिजली कनेक्शन: 90% घर
- रसोई गैस कनेक्शन: 75% घर

पेयजल

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत स्तर की आपूर्ति के लिए पानी का मुख्य स्रोत: भूजल
- घरों में पाइप से जलापूर्ति: 67%
- मार्क हैड पंप: 72

अपशिष्ट

- खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) पंचायत की स्थिति: प्राप्त किया
- घरेलू शौचालय कवरेज: 66%

आवागमन एवं बाजार तक पहुंच



- राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-25): 1 किमी
- निकटतम रेलवे स्टेशन: 2.5 किमी
- निकटतम बस स्टेशन: 1 किमी
- निकटतम डाकघर: 2 किमी
- ब्लॉक विकास कार्यालय/खंड: 1.5 किमी
- निकटतम बैंक: 0.5 किमी
- निकटतम कृषि बाजार: 16 किमी
- ग्राम पंचायत सीमा के भीतर सरकारी राशन की दुकान

शैक्षणिक संस्थान

- 2 प्राथमिक विद्यालय: 0.3 किमी
- 2 उच्च प्राथमिक निजी विद्यालय: 0.2 किमी
- 1 अंग्रेजी माध्यम निजी विद्यालय: 0.9 किमी
- ग्राम पंचायत सीमा के भीतर 3 इंटर कॉलेज
- डिग्री कॉलेज: 1.5 किमी

स्वास्थ्य संस्थान


- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: 1.5 किमी
- जिला अस्पताल: 16 किमी



हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (दूसरे शब्दों में, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, यह अभ्यास ग्राम पंचायत की पूरी आधारभूत रूपरेखा विकसित करने के लिए किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कार्ययोजना का उद्देश्य कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत विकसित करना नहीं है, अपितु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालांकि, प्रस्तावित संस्तुतियों में उर्सर्जन में कमी के भी लाभ होंगे जो ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या कार्बन नेगेटिव बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में जीएचजी पूर्वानुमान सम्मिलित नहीं हैं।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट लाइफ मिशन के सिद्धांतों के साथ संरेखित सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु संस्तुतियाँ प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, वर्ष 2022 में, पीपलसना ग्राम पंचायत ने विभिन्न गतिविधियों से 11,285 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) उत्सर्जित किया (चित्र 9 देखें)।

ऊर्जा, कृषि और अपशिष्ट क्षेत्रों में घटित गतिविधियों का पीपलसना के कार्बन फुटप्रिंट में मुख्य योगदान रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में कार्बन का उत्सर्जन बिजली की खपत²², खाना पकाने के लिए लकड़ी और रसोई गैस के दहन, बिजली बैकअप²³ के लिए जनरेटर का उपयोग, सिंचाई के लिए डीजल पंपों का उपयोग और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) के उपयोग के कारण होता है। कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन में धान की खेती, कृषि क्षेत्रों में उर्वरकों का उपयोग, पशुधन में आंत्र किण्वन और पशु से जुड़े अपशिष्ट और फसल अवशेषों को जलाने का प्रबंधन शामिल है। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में शामिल किया गया है।



चित्र 9: 2022 में पीपलसना में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

पीपलसना के कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का योगदान 84 प्रतिशत है। ऊर्जा क्षेत्र के भीतर, बिजली की खपत श्रेणी मुख्य उत्सर्जक (3,993.7 tCO₂e) है, इसके बाद परिवहन (2,718 tCO₂e), आवासीय खाना पकाने (1,803.2 tCO₂e), आवासीय जनरेटर²² (774.9 tCO₂e) और डीजल पंप सेट (215.13 tCO₂e) हैं। कुल उत्सर्जन में कृषि क्षेत्र से होने वाले कार्बन उत्सर्जन का हिस्सा 9 प्रतिशत है। इस क्षेत्र के भीतर, धान की खेती मुख्य उत्सर्जक (568.13 tCO₂e) है, इसके बाद उर्वरक उत्सर्जन (115.8 tCO₂e) और फसल अवशेष को जलाना (62.2 tCO₂e) है। अपशिष्ट क्षेत्र का हिस्सा कुल उत्सर्जन का 7 प्रतिशत है (चित्र 10 देखें)।



चित्र 10: 2022 में पीपलसना के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

22 बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए ईंधन (कोयला) का दहन ग्राम पंचायत सीमा के बाहर होता है।

23 इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आवासीय जनरेटर का उपयोग छोटे और सूक्ष्म कारखानों/कुटीर/पीतल इकाइयों के लिए किया जा रहा है।

ग्राम पंचायत के व्यापक मुद्दों की पहचान ग्राम पंचायत के एकत्र किए आंकड़ों और पंचायत की बेसलाइन तैयार करने के लिए आंकड़ों के किए गए विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त जानकारी और समूह केन्द्रित चर्चा के आधार पर की गयी है। जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी आंकड़ों/स्रोतों से की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय की जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वस्तुतः मुद्दों को प्रस्तावित सुझाव अनुभाग के सम्बंधित विषयों में सूचीबद्ध किया गया है।

व्यापक मुद्दे:

- मौसम के अवधि में परिवर्तन और अनियमित वर्षा के कारण ग्राम पंचायत में अन्य प्रभावों के अतिरिक्त फसलों की बुआई का समय, कटाई का समय और सिंचाई की आवश्यकता प्रभावित हो रही है।
- जल निकायों के कायाकल्प और स्वच्छ पेयजल तक पहुँच में सुधार की आवश्यकता।
- अस्थायी कृषि और पशुपालन पद्धतियाँ।
- सीमित स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियाँ।
- हरित आवरण और जल निकायों सहित प्राकृतिक संसाधनों के रखरखाव में कमी |
- आवासीय उपयोग, कृषि और परिवहन आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी।
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता की कमी।

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई सुझावों/संस्तुतियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करता है। संस्तुतियों को चरणबद्ध लक्ष्यों और लागत अनुमानों²⁴ (जहाँ तक संभव हो) के साथ वर्णित किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में बांटा गया है: चरण- I (2024-25 से 2026-27); चरण- II (2027-28 से 2029-30); और चरण-III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों का प्रभावी और निगरानीपूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में विभाजित किया जा सकता है। साल-दर-साल लक्ष्य विकसित करने के प्रारूप को 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना' के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) दस्तावेज़ से संदर्भ लेते हुए तैयार किया जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारक द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

पहचाने गए वित्तपोषण के विकल्पों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधि या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) हस्तक्षेप के माध्यम से निजी वित्त की पहचान की गई है। विस्तृत संस्तुतियाँ निम्नलिखित अनुभाग में हैं।

कार्ययोजना में प्रस्तावित संस्तुतियाँ निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
2. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
3. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
4. सतत कृषि
5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच
6. सतत और उन्नत गतिशीलता
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, संस्तुतियों का हिस्सा न बनाते हुए, पंचायत द्वारा विचार के लिए संभावित प्रयासों की एक सूची भी सूचीबद्ध की गई है। इन पहलों/प्रयासों को भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इन्हें यहां दोहराया भी जा सकता है। हालाँकि, ये पहल/प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हैं, इसलिए इन प्रयासों के लिए धन का वहन समुदायों द्वारा या सीएसआर और निजी स्रोतों की खोज से किया जाएगा। इस कारण से इन्हें मुख्य संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

24 लागत का अनुमान विभिन्न तरीकों के आधार पर लगाया गया है जैसे: ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्यों से प्राप्त इनपुट, या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार लागत अनुमान, या आवश्यक इनपुट की प्रति इकाई अनुमानित लागत या विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूचियाँ

1 जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प



संदर्भ एवं मुद्दे²⁵

- ग्राम पंचायत पीपलसना में जलजमाव की समस्या एक प्रमुख चिंता का विषय है, विशेष तौर पर मानसून के मौसम में - जुलाई से अक्टूबर तक। ग्राम पंचायत के पश्चिम दिशा में स्थित नहर मानसून की बारिश से जलमग्न हो जाती है, जिससे ग्राम पंचायत में बाढ़ आ जाती है। इसलिए, पीपलसना में जल निकासी के बुनियादी ढांचे और वाटरशेड प्रबंधन को बेहतर बनाने की आवश्यकता है।
- पीपलसना में 6 तालाब हैं, जिनमें से कई का रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता है और वे गाद, मलबे और कचरे से भरे हुए हैं और इसलिए उन्हें साफ करने और पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय सर्वेक्षण और ग्राम प्रधान के साथ की गई चर्चा से पता चला कि ग्राम पंचायत में अपशिष्ट जल को उपचारित करने की सुविधा नहीं है और घरेलू अपशिष्ट जल को सीधे तालाबों में से एक में छोड़ा जा रहा है।
- ग्राम पंचायत मुख्य रूप से कृषि और घरेलू जरूरतों के लिए पानी के प्राथमिक स्रोत के रूप में भूजल पर निर्भर है।
- ग्राम पंचायत में केवल 67% घरों में पाइप से पानी का कनेक्शन है और उन्हें पर्याप्त पानी मिलता है।
- भूजल पर निर्भरता, जलजमाव और मिट्टी के कटाव की मौसमी घटनाएं भूजल संसाधनों को फिर से भरने और अपवाह के प्रबंधन के लिए वाटरशेड प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

ग्राम पंचायत पीपलसना में संवेदनशीलता/ भेद्यता को कम करने, लचीलापन बनाने और जल सुरक्षा में सुधार करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ/ संस्तुतियाँ प्रस्तावित हैं।

²⁵ जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षणों और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा इसकी पुष्टि की गई



जल निकायों का रखरखाव

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> 1. तालाबों के किनारे बाँधों का निर्माण 2. तालाबों का जीर्णोद्धार और रखरखाव 3. भूजल प्रबंधन के लिए पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण 4. पेयजल की उपलब्धता के लिए हैंडपंपों की मरम्मत 5. जल उपयोग दक्षता और जल संरक्षण में सुधार के लिए विभिन्न प्रमुख सामुदायिक समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) और निर्माण कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की क्षमता विकास। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. जल निकायों का नियमित रखरखाव और सफाई 2. अधिक पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण (आवश्यकतानुसार) 3. समुदाय और अन्य सभी हितधारकों की नियमित क्षमता विकास 	<ol style="list-style-type: none"> 1. जल निकायों का आवधिक रखरखाव किया जाना 2. समुदाय और अन्य सभी हितधारकों की नियमित क्षमता विकास
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. 6 तालाबों के किनारे बाँधों का निर्माण करना 2. 3 तालाबों का जीर्णोद्धार 3. 70 पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण 4. ग्राम पंचायत में 27 हैंडपंपों का जीर्णोद्धार 5. सामान्य और लुप्तप्राय पेड़ों के 1,000 पौधे लगाया जाना और कम से कम 65% जीवित रहने की दर (ट्री गार्ड का उपयोग करके) सुनिश्चित किया जाना <p>हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना' खंड में विस्तार से बताया गया है</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. जल निकायों का नियमित रखरखाव और सफाई 2. सभी मौजूदा पुनर्भरण गड्ढों और बोरिंग हैंडपंप का नियमित रखरखाव किया जाना 3. जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 1,000 पौधे लगाया जाना और कम से कम 65% जीवित रहने की दर (ट्री गार्ड का उपयोग करके) सुनिश्चित करना 	सभी जल निकायों का रखरखाव और प्रबंधन

अनुमानित लागत²⁶

- बाँध: ₹40,00,000
 - 3 तालाबों का जीर्णोद्धारपर लागत: ₹21,00,000
 - 27 हैंडपंपों का जीर्णोद्धार: ₹13,00,000
 - पुनर्भरण गड्ढे: ₹25, 50,000
- कुल लागत : ₹99.5 लाख

- 3 तालाबों का रखरखाव: ₹11,25,000
- कुल लागत: ₹11.25 लाख

- 3 तालाबों का रखरखाव: ₹11,25,000
- कुल लागत: ₹11.25 लाख



जल निकासी और सीवेज संबंधी बुनियादी ढाँचा को बढ़ाना

चरण अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> पानी की निकासी के लिए साइफन स्थापित करना²⁷ जलभराव को रोकने के लिए नालियों की सफाई और खुदाई नवीन आरसीसी नाली का निर्माण नये जल निकासी नेटवर्क का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा नालियों और तालाबों की नियमित सफाई और रखरखाव किया जाना अतिरिक्त आरसीसी नालियों का निर्माण (यदि आवश्यक हो) ग्राम पंचायत में साइफन का नियमित रखरखाव किया जाना 	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा नालियों और तालाबों का रखरखाव किया जाना ग्राम पंचायत में साइफन का नियमित रखरखाव किया जाना

लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> विशिष्ट स्थानों पर साइफन स्थापित करना 1.8 किलोमीटर लंबे मौजूदा नाले की सफाई और खुदाई विशिष्ट स्थानों पर ~3,800 मीटर लंबे आरसीसी नाले का निर्माण करना ~1.6 किलोमीटर तक जल निकासी नेटवर्क का निर्माण करना 	मौजूदा बुनियादी ढाँचे का रखरखाव किया जाना	मौजूदा बुनियादी ढाँचे का रखरखाव किया जाना
--	---	---

²⁶ एचआरवीसीए में उल्लिखित लागत

²⁷ अधिक विवरण के लिए एचआरवीसीए देखें

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> साइफन की लागत: ₹50,00,000 1.8 किमी नाले की सफाई और खुदाई: ₹10,00,000 300 मीटर की नई आरसीसी नाली का निर्माण: ~₹2,00,00,000 जल निकासी नेटवर्क का निर्माण: ₹1,70,00,000 <p>कुल लागत: ₹4.3 करोड़</p>	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
---	---------------	---------------



अपशिष्ट जल प्रबंधन

चरण

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (डीईडब्ल्यूएटीएस) की स्थापना सोखता गड्ढों का निर्माण करना 	<ol style="list-style-type: none"> अतिरिक्त विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (डीईडब्ल्यूएटीएस) की स्थापना और मौजूदा डीईडब्ल्यूएटीएस का रखरखाव अतिरिक्त सोखता गड्ढों का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> भविष्य की जनसंख्या वृद्धि के आधार पर अपशिष्ट जल उपचार इकाई का विस्तार करना सोखता गड्ढों का रखरखाव

लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> रणनीतिक स्थानों पर 400 केएलडी क्षमता वाले 3 डीईडब्ल्यूएटी स्थापित करना आवश्यकतानुसार सोखता गड्ढों का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> उचित स्थानों पर 400 केएलडी क्षमता वाले 2 विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (डीईडब्ल्यूएटीएस) स्थापित करना और मौजूदा डीईडब्ल्यूएटी का रखरखाव करना आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सोखता गड्ढे बनाना 	<ol style="list-style-type: none"> अपशिष्ट जल उपचार अवसंरचना का रखरखाव किया जाना सोखता गड्ढों का रखरखाव किया जाना
---	--	---

अनुमानित लागत

<p>3 विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (डीईडब्ल्यूएटीएस) की लागत: ~₹50,00,000</p> <p>कुल लागत: ₹50 लाख</p>	<p>2 विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (डीईडब्ल्यूएटीएस) की लागत: ~₹42,00,000</p> <p>कुल लागत: ₹42 लाख</p>	
--	--	--



वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	सभी सरकारी भवनों - पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना	<ol style="list-style-type: none"> आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना सभी नए भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं का अनिवार्य निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना सभी नए भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं का अनिवार्य निर्माण
लक्ष्य	सभी (100%) सरकारी/सार्वजनिक भवनों (1 पंचायत भवन, 1 प्राथमिक विद्यालय, 1 आंगनवाड़ी और 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचना की स्थापना	<ol style="list-style-type: none"> 120 पक्के घरों में 10 m³ की औसत भंडारण क्षमता वाली वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना चरण II के दौरान निर्मित 100% नई इमारतें वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं के साथ करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1,700 पक्के घरों में 10 m³ की औसत भंडारण क्षमता के साथ वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना चरण III के दौरान वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं वाले 100% नए भवनों का निर्माण करना
अनुमानित लागत	आरडब्ल्यूएच (10 m ³ क्षमता की 4 आरडब्ल्यूएच संरचनाएं): ₹1,40,000 कुल लागत: ₹1,40,000	आरडब्ल्यूएच: 120 इकाइयों के लिए ₹42,00,000 कुल लागत: ₹42 लाख	आरडब्ल्यूएच: 1,700 इकाइयों के लिए ₹5,95,00,000 कुल लागत: ₹5.95 करोड़

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान द्वारा उपलब्ध प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत यूपी राज्य का वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय संरक्षण और जीर्णोद्धार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत मनरेगा और वाटरशेड विकास घटक के वार्षिक बजट का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का उपयोग ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- जल शक्ति अभियान: सुजलाम 2.0 अभियान के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर सोख गड्डों के निर्माण के माध्यम से अपशिष्ट जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- कॉर्पोरेट/सीएसआर को जल निकायों और कुओं के रखरखाव और रखरखाव में योगदान देने के लिए 'एक जल निकाय को अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग

2

हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना



संदर्भ और मुद्दे

- ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर वृक्षारोपण (लगभग 250 पेड़) के अंतर्गत लगभग 2 हे० भूमि है। मौजूद पेड़ों की प्रजातियों में अर्जुन, शीशम और नीम शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 2 हे० सार्वजनिक भूमि भी उपलब्ध है, जिसका संभावित रूप से हरियाली गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कोई वन भूमि नहीं है और हरित क्षेत्र सीमित है।

पीपलसना ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्रों की जगह बढ़ाने की क्षमता है, क्योंकि यह न केवल बढ़ते तापमान में सुधार करेगा और छाया प्रदान करेगा अपितु ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अलावा साथ ही, लंबी अवधि में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में भी सुधार करेगा।



हरित क्षेत्रों/आवरण में सुधार

चरण

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> विभिन्न प्रयासों/पहलों के माध्यम से वार्षिक समुदाय-आधारित वृक्षारोपण गतिविधियाँ²⁸: <ul style="list-style-type: none"> छात्रों के लिए ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम²⁹ (5 छात्र चयनित) देशी फलों के पेड़ लगाकर खाद्य वन का निर्माण आरोग्य वन तैयार करना - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों का रोपण निम्न पर छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र: <ul style="list-style-type: none"> वन और हरित आवरण का महत्व पेड़ लगाना और उनकी देख-भाल करना 	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा वृक्षारोपण और नर्सरी का रखरखाव बाल वन³⁰ के निर्माण के साथ पौधों का अतिरिक्त रोपण किसानों को कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना आरोग्य वन की स्थापना 	<ol style="list-style-type: none"> वृक्षारोपण गतिविधियों का विस्तार और रखरखाव - बाल वन और अन्य वृक्षारोपण कृषि वानिकी पहल के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार आरोग्य वन का रखरखाव और प्राकृतिक दवाओं और पूरकों के उत्पादन के लिए इकाइयाँ स्थापित करना

28 अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध वृक्ष प्रजातियाँ

29 स्कूली छात्रों को वृक्षारोपण में शामिल किया जाएगा और प्रत्येक कक्षा से छात्र नेता चुने जाएँगे जो अपने साथियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत समुदाय को भी वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करेंगे

30 नए माता-पिता को उनके बच्चों के जन्म के उपलक्ष्य में देशी सदाबहार वृक्षों के पौधे उपहार में दिए जाएँगे और उन्हें अपने बच्चों के जीवन के माध्यम से पौधों का पोषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> बाल वन के निर्माण के लिए 2,000 पौधे। लगाया जाना पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 11,200 tCO₂ से 20,000 tCO₂ आरोग्य वन की स्थापना के लिए लगभग 0.2 हे० भूमि आवंटित/चिह्नित करना 	<ol style="list-style-type: none"> 2,000 से 2,500 पौधे लगाना पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 14,000 tCO₂ से 25,000 tCO₂ आरोग्य वन की स्थापना एवं रखरखाव. कृषि वानिकी³¹ को ~3 हे० भूमि में अपनाया गया, 300 पेड़ लगाया जाना सीक्वेस्ट्रेशन क्षमता³²: 20 वर्षों में 1,700 tCO₂ से 3,000 tCO₂ 	<ol style="list-style-type: none"> सड़कों, रास्तों और जल निकासों के आसपास 2,000 से 2,500 अतिरिक्त पौधे लगाया जाना पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 14,000 tCO₂ से 25,000 tCO₂ अतिरिक्त ~4.5 हे० भूमि पर कृषि वानिकी अपनाई गई, 450 पेड़ लगाया जाना पृथक्करण क्षमता: 20 वर्षों में 2,500 tCO₂ से 4,500 tCO₂ आरोग्य वन का रखरखाव किया जाना तथा प्राकृतिक औषधियों और पूरकों का उत्पादन जारी रखना (जैसा कि 'आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ावा देना' अनुभाग में वर्णित है)
--	--	---

अनुमानित लागत

<p>वृक्षारोपण गतिविधियों पर लागत: ₹25,40,000</p> <p>कुल लागत: ₹25.4 लाख</p>	<ol style="list-style-type: none"> वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹25,40,000 - ₹31,75,000 कृषि वानिकी की लागत: ₹3,00,000 <p>कुल लागत: ₹28.4 लाख - ₹34.75 लाख</p>	<ol style="list-style-type: none"> वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹25,40,000 - ₹31,75,000 कृषि वानिकी की लागत: ₹4,44,000 <p>कुल लागत: ₹29.84 लाख - ₹36.19 लाख</p>
---	---	--



जन जैवविविधता रजिस्टर

अनुमोदित जलवायु चरण स्मार्ट गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> जन जैव विविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन समुदाय और सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना 	<ol style="list-style-type: none"> जन जैव विविधता रजिस्टर का नियमित अद्यतनीकरण सभी हितधारकों के बीच जागरूकता को मजबूत करना 	<ol style="list-style-type: none"> जन जैव विविधता रजिस्टर का नियमित अद्यतनीकरण सभी हितधारकों के बीच जागरूकता को मजबूत करना

31 उपयुक्त भूमि पर कृषि वानिकी अपनाई गई। यहाँ हमने कुल 7.5 हेक्टेयर क्षेत्र (गोभी और आलू की फसलों के अंतर्गत) पर विचार किया है।

32 सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि सीक्वेस्ट्रेशन क्षमता कितनी है।

1. जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन और क्षमता वृद्धि
2. जन जैव विविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन

जैव विविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना

जैव विविधता रजिस्टर का सहभागितापूर्ण अद्यतनीकरण जारी रखना

जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के गठन, पंजीकरण और प्रशिक्षण पर लगभग ₹25,000 का खर्च आएगा।

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उ०प्र० राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को जोड़ा और संचालित किया जा सकता है।
- उ०प्र० राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग के लिए निम्न गतिविधि हेतु निर्देशित किया जा सकता है।:
- ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी एवं जल संरक्षण गतिविधियाँ।
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को 'श्रमदान' करने में भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:
 - » कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हे० ₹28,000 का लाभ उठाएं।
 - » वृक्षारोपण हेतु सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में आरोग्य वन स्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन तथा पंचायत के स्वयं की आय (ओएसआर) से एकत्र राजस्व
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का लाभ उठाया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग आरोग्य वन के निर्माण और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि 'आजीविका बढ़ाने और हरित उद्यमशीलता को बढ़ावा देने' की संस्तुतियों में वर्णित है।

प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैव विविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ
- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग

3

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन



संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू गतिविधियों (घरेलू, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक स्थान, और वाणिज्यिक क्षेत्र) से उत्पन्न कुल अपशिष्ट लगभग 1,554 किलोग्राम प्रतिदिन है। इसमें से 900 किलोग्राम बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट है और 652 किलोग्राम गैर-बायोडिग्रेडेबल/अजैविक अपशिष्ट (आकलन पद्धति के लिए अनुलग्नक IV देखें) है।
- क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीपलसना में अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण और प्रभावी अपशिष्ट उपचार प्रणाली की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर जल निकायों और सड़कों पर अपशिष्ट/कूड़ा फेंका जाता है। इसके परिणामस्वरूप जल निकाय प्रदूषित होते हैं, मानसून के समय नालियों के बंद होने के कारण जलजमाव होता है जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा और बढ़ जाता है।
- बड़ी मात्रा में कृषि और पशु अपशिष्ट भी ग्राम पंचायत में अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों को बढ़ाता है। ग्राम पंचायत में कुल पशुधन संख्या 1,060 (गाय, भैंस और बकरी सहित) है और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 3 टन प्रतिदिन है जिसे पीपलसना में खाद, वर्मीकम्पोस्टिंग, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से स्थायी रूप से प्रबंधित किया जा सकता है।³³
- ~66% घरों में शौचालय है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण और समूह केंद्रीय चर्चाओं ने ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालयों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

इस पृष्ठभूमि में, ग्राम पंचायत में 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

33 अनुमानित है कि गायें प्रतिदिन 10 किलोग्राम गोबर, भैंसें प्रतिदिन 15 किलोग्राम गोबर तथा बकरियां प्रतिदिन 150 ग्राम गोबर करती हैं।



अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

चरण

I

2024-25 से 2026-27

1. गैर-बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए ग्राम पंचायत-स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा स्थापित करना (3 एसएचजी की मदद से)।
2. स्रोत (घरेलू, वाणिज्यिक) पर ही गीले और सूखे कचरे को अलग करने की प्रणाली स्थापित करना।
3. कचरे के संग्रह और परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक कचरा संग्रह वैन और श्रमिकों को काम पर रखा जाना :
 - » घरों और सार्वजनिक सुविधाओं से अलग-अलग कचरे का डोर-टू-डोर संग्रह
 - » घरों से लेकर ग्राम पंचायत-स्तरीय आरआरसी सुविधा तक
4. चिन्हित स्थानों (बाजार, दुकानें, चाय की दुकानें आदि) पर कचरा संग्रहण के लिए कूड़ेदान लगाना
5. पंचायत, स्वयं सहायता समूहों, अनौपचारिक कूड़ा बीनने वालों, स्थानीय कबाड़ विक्रेताओं, स्थानीय व्यवसायों और एमएसएमई के बीच साझेदारी स्थापित करना
6. अनौपचारिक क्षेत्र के हितधारकों के साथ औपचारिकता और क्षमता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ई-कचरे के लिए संग्रह नेटवर्क बनाना

II

2027-28 से 2029-30

1. पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव
2. ग्राम पंचायत-स्तरीय प्लास्टिक श्रेडर इकाई की स्थापना
3. मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव और आवश्यकतानुसार नए रणनीतिक स्थानों पर अतिरिक्त कूड़ेदान लगाना
4. ग्राम पंचायत से बाहर अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना
5. स्थानीय ई-कचरा संग्रह केंद्र स्थापित करना और आस-पास के गांवों को सम्मिलित करते हुए संग्रह केन्द्रों का विस्तार करना

III

2030-31 से 2034-35

1. निम्न का रखरखाव किया जाना
 - » पृथक्करण और भंडारण सुविधाएँ
 - » इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वैन
 - » ग्राम पंचायत-स्तरीय प्लास्टिक श्रेडर इकाई
 - » कूड़ेदान स्थापित करना
2. ग्राम पंचायत से बाहर अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना
3. आवश्यकतानुसार ई-कचरा संग्रहण केन्द्रों का विस्तार करना

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

- 3,417 घरों (100%) को ग्राम पंचायत की कचरा प्रबंधन सुविधा के अंतर्गत शामिल करना
- प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 1,554 किलोग्राम कचरे को एकत्र करने के लिए 5 इलेक्ट्रिक कचरा संग्रह वैन (क्षमता 310 किलोग्राम)
- चिन्हित स्थानों पर 40 कूड़ेदान स्थापित करना

पंचायत और स्थानीय व्यवसायों, और एमएसएमई, एसएचजी, अनौपचारिक कूड़ा बीनने वालों और स्थानीय स्क्रेप डीलरों के बीच कचरे के संग्रह/परिवहन के लिए साझेदारी का निर्माण करना

- 30 अतिरिक्त कूड़ेदान स्थापित करना
- ग्राम पंचायत स्तर पर 1 प्लास्टिक श्रेडर इकाई स्थापित करना
- मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का रखरखाव किया जाना
- साझेदारी को बढ़ाना

- आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कूड़ेदान लगाना
- मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का रखरखाव किया जाना
- साझेदारी को बढ़ाना

अनुमानित लागत

- कचरा प्रबंधन की सुविधा: ₹9,00,000
 - 5 इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वैन: ₹5,00,000
 - 40 कूड़ेदान/कंटेनर: ₹6,00,000
- कुल लागत: ₹20 लाख

- 30 कूड़ेदान/कंटेनर: ₹4,50,000
 - 1 प्लास्टिक श्रेडर यूनिट: ₹50,000 - ₹1,00,000
- कुल लागत: ₹5,50,000

आवश्यकतानुसार



जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन

चरण

I

2024-25 से 2026-27

- वर्मीकंपोस्टिंग और नाडेप कम्पोस्ट पिट की स्थापना
- जैविक उर्वरकों के उत्पादन के लिए उद्यम स्थापित करना ('आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ावा देना' अनुभाग में विस्तार से बताया गया है)
- कृषि अपशिष्ट³⁴ से टिकाऊ उत्पाद (डिस्पोजेबल कटलरी) बनाने के लिए समुदाय को प्रोत्साहित करना।

II

2027-28 से 2029-30

वर्मीकम्पोस्टिंग और नाडेप कम्पोस्ट गड्डों का नियमित रखरखाव किया जाना

III

2030-31 से 2034-35

वर्मीकम्पोस्टिंग और नाडेप कम्पोस्ट गड्डों का नियमित रखरखाव किया जाना

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

34 अधिक जानकारी के लिए "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ावा देना" भाग को देखें

लक्ष्य

- 20 वर्मीकम्पोस्ट और 30 नाडेप कम्पोस्ट पिट स्थापित करना³⁵
- घरेलू कचरे (जैविक) से उत्पन्न कम्पोस्ट/खाद: 450 किलोग्राम प्रतिदिन; 13,500 किलोग्राम प्रति माह

- आवश्यकतानुसार क्षमता बढ़ाना/नए खाद गड्ढे बनाना
- 100% बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे का उपचार

- आवश्यकतानुसार अतिरिक्त खाद गड्ढे
- कम्पोस्ट गड्ढों का रख-रखाव

अनुमानित लागत

50 कम्पोस्ट पिट्स की स्थापना की कुल लागत: ₹6,25,000
कुल लागत: ₹6,25,000

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार



एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

चरण

I

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

- जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम
 - ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)
 - छात्र एवं युवा समूह
 - समुदाय के सदस्य और व्यावसायिक प्रतिष्ठान
- साझेदारी मॉडल: 'आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' खंड में विस्तार से बताया गया है।

जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम को जारी रखना

- जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम जारी रखना
- पिछले चरणों की सफलता को एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि इस पहल को नजदीकी ग्राम पंचायतों तक विस्तारित किया जा सके

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

- एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर पूर्ण प्रतिबंध
- प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में 100 महिलाओं की भागीदारी
 - ग्राम पंचायत से 5 एसएचजी को शामिल किया जाएगा

- सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध जारी रखना
- इस ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से बढ़ी सहभागिता:
 - 200 अतिरिक्त महिलाएं
 - अतिरिक्त एसएचजी, एमए-सएमई और व्यक्तिगत उद्यमी

- एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध जारी रखना
- इस ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से जुड़ाव को बढ़ाना:
 - अतिरिक्त 300 महिलाएँ
 - अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी

35 स्थान विनिर्देशों के लिए एचआरवीसीए का संदर्भ लें



स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	घरों के शौचालयों को बेहतर बनना	शौचालय की संख्या को बढ़ाना और मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव किया जाना	सभी घरों में शौचालय का दायरा बढ़ाना और मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव किया जाना।
लक्ष्य	232 घरों में दो गट्टे वाले शौचालयों का निर्माण करना	349 घरों में दो गट्टे वाले शौचालयों का निर्माण	581 घरों में दो गट्टे वाले शौचालयों का निर्माण (100% घरों में)
अनुमानित लागत	232 दो गट्टे वाले शौचालय की लागत: ₹40,60,000 कुल लागत: ₹40.6 लाख	349 दो गट्टे वाले शौचालय की लागत: ₹61,07,000 कुल लागत: ₹61.07 लाख	581 दो गट्टे वाले शौचालय की लागत: ₹1,01,67,000 कुल लागत: ~ ₹1 करोड़

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- समुदाय-आधारित खाद सुविधाओं के निर्माण के लिए मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है।
- बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशिक्षण और क्षमता विकास को स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के अंतर्गत प्रयासों द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- प्लास्टिक-वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन, खाद बनाने की प्रक्रियाओं में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास बढ़ाने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर का समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक, खाद प्रक्रियाओं के लिए वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास करने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए टाइड और अनटाइड बजट सहित ग्राम पंचायत की स्वयं की आय से एकत्र राजस्व का उपयोग किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

4

सतत कृषि



संदर्भ एवं मुद्दे

- पीपलसना ग्राम पंचायत में कृषि के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल ~211 हे० है तथा सकल फसली क्षेत्रफल लगभग 426 हे० है।
- ग्राम पंचायत में 20% परिवार आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं।
- खरीफ और रबी मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं गेहूं (~185 हे०), धान (~167 हे०), गन्ना (~52 हे०), सरसों (~3.6 हे०), गोभी (~2.6 हे०), आलू (~5 हे०) तथा सब्जियां (~11 हे०) है।³⁶
- कम वर्षा के कारण धान की बुवाई का समय जून के तीसरे सप्ताह से बदलकर जुलाई के अंतिम सप्ताह में हो गया है। गेहूं की बुवाई का समय देरी से वर्षा होने के कारण अक्टूबर से बदलकर नवंबर-दिसंबर में हो गया है।³⁷
- पिछले पांच वर्षों में फसल कीटों और बीमारियों के कारण गन्ने की फसल को नुकसान हुआ है। नुकसान लगभग 980 क्विंटल उपज या लगभग 3 लाख रुपये (संबंधित वर्षों के प्रचलित एमएसपी द्वारा पुष्टि) है।
- किसान प्रति वर्ष ~116 टन यूरिया और अन्य नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिससे प्रति वर्ष ~115 टन CO₂e का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों जैसे अन्य रासायनिक इनपुट पर भी निर्भर करते हैं। पीपलसना में प्राकृतिक खेती नहीं की जाती है।

उपर्युक्त बिन्दु अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए स्थायी और लचीली कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

36 जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा रिपोर्ट किया गया

37 जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा रिपोर्ट किया गया



जलवायु लचीलेपन का निर्माण

चरण
अनुमोदित जलवायु स्मार्ट
गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली जैसी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देना और इसे अपनाना कृषि क्षेत्रों के चारों ओर पेड़ों से मेड़बंधी करना खेत में कृषि तालाबों का निर्माण फसल नुकसान से बचाने के लिए किसानों को विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करना 	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का विस्तार मेड़ों/बाँधों का विस्तार अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने हेतु जागरूक करना और किसानों को सहायता प्रदान करने की पहल करना 	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का विस्तार मेड़ों का रखरखाव और वृक्षारोपण अतिरिक्त वृक्षारोपण (आवश्यकतानुसार) आवश्यकता के आधार पर अधिक से अधिक कृषि तालाबों का निर्माण करना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> लगभग 22 हे० (सरसों, गोभी, गन्ना, आलू और अन्य सब्जियों के अंतर्गत कृषि भूमि का 30%) पर सूक्ष्म सिंचाई 105.5 हे० (कृषि भूमि का 50%) के आसपास पेड़ों के साथ मेड़बंधी करना 300 घनमीटर क्षमता वाले 10 कृषि तालाबों का निर्माण करना 	<ol style="list-style-type: none"> लगभग 30 हे० भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ शुरू करना (सरसों, गोभी, गन्ना, आलू और अन्य सब्जियों के अंतर्गत कृषि भूमि का अतिरिक्त 40%) 105.5 हे० (कृषि भूमि का 100%) के आसपास पेड़ों के साथ मेड़बंधी 300 घनमीटर क्षमता वाले 10 कृषि तालाबों का निर्माण 	लगभग 74 हे० भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई (सरसों, गोभी, गन्ना, आलू और अन्य सब्जियों के अंतर्गत 100% कृषि भूमि) करना
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई: ₹22,00,000 मेड़बंधी/ बांध निर्माण का निर्माण पर लागत : ~₹1,54,000 कृषि तालाब पर लागत: ₹9,00,000 कुल लागत: ₹32.54 लाख	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई: ₹30,00,000 मेड़बंधी/ बांध का निर्माण पर लागत :~ ₹1,54,000 कृषि तालाब पर लागत: ₹9,00,000 कुल लागत: ₹49.54 लाख	सूक्ष्म सिंचाई पर लागत : ₹22,00,000 कुल लागत: ₹22 लाख



प्राकृतिक खेती अपनाना

चरण

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
चरण	<ol style="list-style-type: none"> स्थायी खेती के तरीकों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, जैसे कि जैव-उर्वरक/प्राकृतिक खाद, जैव-कीटनाशकों का उपयोग करना <ul style="list-style-type: none"> » प्रशिक्षण और प्रदर्शन » प्राकृतिक खेती प्रमाणन शुरू करना » बाजार तक पहुंच और संपर्कों की खोज करना मिश्रित फसल, फसल चक्र, मल्टिपिंग, शून्य जुताई जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना और इसे अपनाना 	<ol style="list-style-type: none"> कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती (नर्सरी, बीज बैंक, प्रमाणन तंत्र और बाजार संपर्क स्थापित करना) में बदलना जारी रखना चरण I में क्रियान्वित गतिविधियों को बढ़ावा देना और अपनाना 	कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में बदलने का 100% विस्तार
लक्ष्य	32 हे० (15%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती के लिए परिवर्तित करना	84 हे० (कुल 40%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना, भूमि को जैविक कृषि/प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना	शेष 95 हे० (100% कुल) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000 प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन पर लागत: ~₹79,07,000 कुल लागत: ₹79.67 लाख	<ol style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000 भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तन पर लागत: ₹2,07,56,000 कुल लागत: ~₹2.08 करोड़	<ol style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000 प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन पर लागत: ₹2,34,74,000 कुल लागत: ~₹2.35 करोड़



सतत पशुधन प्रबंधन

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ चरण

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> 1. पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता विकास करना 2. पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-वेट के रूप में प्रशिक्षित करना 3. पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर हस्तक्षेप के लिए अनुभाग "अतिरिक्त संस्तुतियाँ" देखें। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास मनोरंजन का विस्तार 2. आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास मनोरंजन का विस्तार 2. आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना

लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> 1. पशुपालन में लगे परिवारों के लिए स्थायी/सतत पशुपालन क्रियाएँ/गतिविधियों, बीमारी की रोकथाम और पशु स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएँ आयोजित करना 2. 2 पैरा-वेट्स का प्रशिक्षण ³⁸ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. रोग की रोकथाम और स्थायी/सतत पशुपालन क्रियाएँ/गतिविधियों पर अतिरिक्त कार्यवाहियाँ आयोजित करना 2. पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> 1. रोग की रोकथाम और स्थायी/सतत पशुपालन क्रियाएँ/गतिविधियों पर अतिरिक्त कार्यवाहियाँ आयोजित करना 2. पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
--	---	---

अनुमानित लागत

कार्यशाला और पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार
--	--------------------	--------------------

38 ग्राम पंचायत की आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षित समुदाय-आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), उ.प्र. बाजार पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सूखा प्रबंधन और प्रूफिंग प्रक्रियाओं का समर्थन किया जा सकता है।
- सूखारोधी गतिविधियों, नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है
- जैविक खेती गतिविधियों को विभिन्न योजनाओं जैसे- परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (एनसीओएफ और आरसीओएफ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता विकासमें सहायता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों को सहायता करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशुचिकित्सक प्रशिक्षण और क्षमता विकासका लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- स्थापना और संचालन ('स्वच्छ, सतत, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच' अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप)
 - » कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद के लिए कोल्ड-स्टोरेज सुविधा
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक सुझाव, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार लिंकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, सूखारोधी कृषि और टिकाऊ पशुधन प्रबंधन, अंततः जैविक खेती में परिवर्तन सहित जलवायु स्मार्ट कृषि गतिविधियों को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता विकासप्रदान करना।
- इसके अतिरिक्त, पीपलसनामें टिकाऊ कृषि में लगे किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों की क्षमता विकासक्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और कॉर्पोरेट्स के सहयोग से किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- कृषि विभाग
- एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (सीआईएमपी)
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)
- जैविक खेती के लिए क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केंद्र, मुरादाबाद

5

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच



संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत पीपलसना ने वर्ष 2022-23 में लगभग 48,70,444 यूनिट (किलोवाट घंटा) बिजली की खपत की है। खपत के सापेक्ष ग्राम पंचायत में 90% घरों में बिजली कनेक्शन हैं, लेकिन समुदाय के सदस्यों से मिली जानकारी के अनुसार बिजली की आपूर्ति 24*7 नहीं होती है। ग्राम पंचायत में हर दिन लगभग औसतन 8 घंटे बिजली की कटौती होती है।³⁹
- बिजली की कटौती के कारण, ग्राम पंचायत में बिजली बैक-अप के लिए 126 डीजल जनरेटर हैं और वे वर्ष में लगभग 300 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।⁴⁰
- सिंचाई के लिए 205 डीजल पंप⁴¹ का उपयोग किया जाता है जो वर्ष में लगभग 79 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।
- इंकेंडेसेंट लैंप, सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) लाइट और कम दक्षता वाले अन्य विद्युत फ़िक्सचर और उपकरण कई घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में उपयोग में हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत ने 100 सौर स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता और 50 हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट को हाई मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट में अपग्रेड करने की आवश्यकता बतायी है।⁴²
- 409 घरों में खाना पकाने के लिए गोबर और ईंधन की लकड़ी का उपयोग किया जाता है।⁴³ स्वच्छ खाना पकाने के समाधानों में बदलाव की आवश्यकता है, जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी, बल्कि बेहतर घरों के भीतर की वायु गुणवत्ता जैसे सह-लाभ भी होंगे।
- बढ़ते तापमान के साथ, घरों के भीतर में तापमान बढ़ रहा है जिसके कारण स्थायी स्थान शीतलन की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायत की पहचानी गई ऊर्जा संबंधी समस्याओं/चिंताओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार के हाल ही में प्रारम्भ किए गए और साथ ही पूर्व से चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022, अन्य, को संयुक्त रूप से जोड़ते हुए निम्नलिखित समाधान/गतिविधियां पीपलसना में क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, टिकाऊ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी अपितु ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

39 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण में समुदाय द्वारा साझा किया गया

40 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान बताया गया। कुछ जनरेटर का उपयोग ग्राम पंचायत में घरेलू/कुटीर उद्योग इकाइयों द्वारा भी किया जा सकता है

41 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

42 ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर

43 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान बताया गया



सोलर रूफटॉप स्थापना

चरण
अनुमोदित जलवायु
स्मार्ट गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	पंचायती राज संस्थाओं/सरकारी भवनों ⁴⁴ (पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र और आंगनवाड़ी) पर छत पर सौर पैनल/सोलर रूफटॉप लगाना	1. पक्के मकानों के छत पर सौर पैनल/सोलर रूफटॉप लगाना 2. सभी नये भवनों (द्वितीय चरण के दौरान निर्मित) के छत पर सौर पैनल/सोलर रूफटॉप लगाना 3. सौर छतों का नियमित रखरखाव किया जाना	1. पक्के घरों के छत पर सौर पैनल/ सोलर रूफटॉप लगाने का काम बढ़ाना 2. सभी नये भवनों (चरण III के दौरान निर्मित) पर छत पर सौर पैनल/सोलर रूफटॉप लगाना 3. सौर छतों का नियमित रखरखाव
लक्ष्य	1. पंचायत भवन: 210 वर्ग मीटर छत क्षेत्र; 10 kWp 2. प्राथमिक विद्यालय: 525 वर्ग मीटर छत क्षेत्र; 10 kWp 3. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: 236 वर्ग मीटर छत क्षेत्र; 10 kWp 4. स्वास्थ्य उपकेंद्र: 35 वर्ग मीटर छत क्षेत्र; 3.5 kWp 5. आंगनवाड़ी: 175 वर्ग मीटर छत क्षेत्र; 10 kWp इस चरण में स्थापित कुल सौर छत क्षमता: 43.5 kWp बिजली उत्पादन: 58,255 kWh प्रति वर्ष (159 यूनिट प्रति दिन) जीएचजी उत्सर्जन में कमी : प्रति वर्ष 47.7 tCO ₂ e	1. 800 पक्के घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना (मौजूदा पक्के घरों का 40% ⁴⁵) इस चरण में स्थापित सौर छत क्षमता: 2,400 kWp बिजली उत्पादन क्षमता: 32,14,080 kWh प्रति वर्ष (8,805 यूनिट प्रति दिन) जीएचजी उत्सर्जन में कमी : 2,635 tCO ₂ e प्रति वर्ष 2. सौर छतों का रखरखाव	1. शेष 1,200 पक्के घरों (मौजूदा पक्के घरों का 100%) की छतों पर सौर पैनल लगाना इस चरण में स्थापित सौर छत क्षमता: 3,600 kWp बिजली उत्पादन क्षमता: 48,21,120 kWh ⁴⁶ प्रति वर्ष (13,208 यूनिट प्रतिदिन) जीएचजी उत्सर्जन में कमी : 3,953 tCO ₂ e ⁴⁷ प्रति वर्ष 2. सौर छतों का रखरखाव
अनुमानित लागत	लागत: 21,75,000 कुल लागत: ₹ 21.75 लाख हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बहुत ज़रूरी और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के मद्देनज़र, अगर छतों पर सौर पीवी स्थापना का यह चरण शुरू किया जाए तो घर भी इसका हिस्सा बन सकते हैं।	लागत: ₹12,00,00,000 संकेतक सब्सिडी ⁴⁸ : ~40% (राज्य + सीएफए) प्रभावी लागत: ₹7.2 करोड़	लागत: ₹18,00,00,000 संकेतक सब्सिडी: ~40% (राज्य + सीएफए) प्रभावी लागत: ₹10.8 करोड़

44 पीआरआई भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना की अधिकतम सीमा 10 kWh है

45 घरों का औसत क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर माना जाता है; प्रति घर 3 kWp प्रति वर्ग मीटर छत स्थापना का अनुमान है

46 ग्राम पंचायत में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन वर्तमान बिजली खपत के लगभग बराबर है

47 बचाए गए उत्सर्जन से ग्राम पंचायत को कार्बन तटस्थता की ओर ले जाने में मदद मिलेगी

48 सब्सिडी परिवर्तनशील हैं और समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं। इसलिए, अनुमानित सब्सिडी राशि पिछले रुझानों और औसत पर आधारित है और मौजूदा समय में सटीक नहीं हो सकती है।



कृषि-फोटोवोल्टिक संस्थापन

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	किसानों, किसान समूहों आदि के बीच जागरूकता पैदा करना।	बागवानी सब्जियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कृषि-फोटोवोल्टिक की संस्थापना	बागवानी सब्जियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कृषि-फोटोवोल्टिक की संस्थापन का विस्तार करना
लाक्ष्य	किसानों के बीच कृषि-फोटोवोल्टिक पहल को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान और अभिविन्यास सत्र आयोजित करना।	2 हे० बागवानी पर कृषि-फोटोवोल्टिक की संस्थापन स्थापित क्षमता: 500 kWp (250 kWp प्रति हे०) उत्पन्न बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष; 1,835 यूनिट प्रति दिन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से बचाव: 549 tCO ₂ e प्रति वर्ष	2 हे० बागवानी पर कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना स्थापित क्षमता: 500 kWp (250 kWp प्रति हे०) उत्पन्न बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से बचाव: 549 tCO ₂ e प्रति वर्ष
अनुमानित लागत		कुल लागत ⁴⁹ : ₹5 करोड़	कुल लागत : ₹5 करोड़

⁴⁹ प्रौद्योगिकी के विकास के साथ कृषि पीवी की लागत कम हो रही है। हालांकि, उच्चतर लागत का एक औसत अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह माना गया है कि किसान बागवानी और अन्य समान फसलों के लिए निर्धारित भूमि क्षेत्रों के लिए भी फसल चक्र का अभ्यास करते हैं। इसलिए, बागवानी के अंतर्गत उपलब्ध भूमि का केवल एक प्रतिशत कृषि पीवी की स्थापना के लिए ध्यान में रखा गया है।



सौर पंप

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<p>ग्राम पंचायत में संस्थापित मौजूदा डीजल पंप सेटों को सौर पंपों से बदला जाना*</p> <p>*यदि सौर पंप संभव नहीं हैं, तो ऊर्जा कुशल पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) पर विचार किया जा सकता है</p>	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत में संस्थापित डीजल पंप सेटों को सौर ऊर्जा से बदलने की योजना सभी नए पंप सेटों की खरीद/उपयोग को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए प्रोत्साहित करना 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत में संस्थापित डीजल पंप सेटों को सौर ऊर्जा से बदलने की योजना सभी नए पंप सेटों की खरीद/उपयोग को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए प्रोत्साहित करना
लक्ष्य	<p>41 मौजूदा डीजल पंप सेटों को सौर पंपों से बदलना</p> <p>संस्थापित क्षमता: 226 kW</p> <p>उत्पन्न बिजली: 3,02,659 kWh प्रति वर्ष</p> <p>डीजल की खपत में कमी: 15,990 लीटर प्रति वर्ष</p> <p>जीएचजी उत्सर्जन में कमी: 43 tCO₂e प्रति वर्ष</p>	<p>61 और डीजल पंपों को सौर पंपों से बदला जाएगा (यानी चरण I और II में बदले गए मौजूदा डीजल पंपों का 50%)</p> <p>स्थापित क्षमता: 336 kW</p> <p>उत्पन्न बिजली: 4,49,971 kWh प्रति वर्ष</p> <p>डीजल की खपत में कमी: 23,790 लीटर प्रति वर्ष</p> <p>जीएचजी उत्सर्जन में कमी: 64 tCO₂e प्रति वर्ष</p>	<p>शेष 103 डीजल पंपों को सौर पंपों से बदला जाना (अर्थात चरण I, II और III में प्रतिस्थापित मौजूदा डीजल पंपों का 100%)</p> <p>संस्थापित क्षमता: 567 kW</p> <p>उत्पन्न बिजली: 7,59,326 kWh प्रति वर्ष</p> <p>डीजल की खपत में कमी: 40,170 लीटर प्रति वर्ष</p> <p>जीएचजी उत्सर्जन में कमी: 108 tCO₂e प्रति वर्ष</p>
अनुमानित लागत	<p>कुल लागत: ₹1,64,00,000</p> <p>सब्सिडी: ~60% (राज्य + केन्द्रीय (सीएफए))</p> <p>प्रभावी लागत: ₹65.6 लाख</p>	<p>कुल लागत: ₹2,44,00,000</p> <p>सब्सिडी: ~60% (राज्य + केन्द्रीय (सीएफए))</p> <p>प्रभावी लागत: ₹97.6 लाख</p>	<p>कुल लागत: ₹4,12,00,000</p> <p>सब्सिडी: ~60% (राज्य + केन्द्रीय (सीएफए))</p> <p>प्रभावी लागत: ₹1.64 करोड़</p>



रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग

चरण

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

अनुमानित लागत

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + बेहतर चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी)</p>	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + बेहतर चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी)</p>	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + बेहतर चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी)</p>
	<p>परिदृश्य 1: 28 परिवार बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (25% परिवार मवेशी रखते हैं) + 3,389 परिवार रसोई गैस का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 2: 43 परिवार सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन चूल्हों का उपयोग (25% परिवार उच्च आय वर्ग में हैं) + रसोई गैस का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 3: 43 परिवार सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन चूल्हों का उपयोग (25% परिवार उच्च आय वर्ग में हैं) + 205 परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग (50% परिवार वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं) + रसोई गैस का उपयोग</p> <p>उच्च आय वर्ग में परिवार: 172</p> <p>» ₹2 लाख से ₹5 लाख तक: 103</p> <p>» ₹5 लाख से अधिक: 69</p>	<p>परिदृश्य 1: 28 और घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (कुल 50% घर) + 3,361 घर रसोई गैस का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 2: 43 और घर सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन चूल्हों का उपयोग (शीर्ष आय समूहों में अतिरिक्त 25% घर) + रसोई गैस का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 3: 43 और घर सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन चूल्हों का उपयोग (शीर्ष आय समूहों में अतिरिक्त 25% घर) + 204 और घर बेहतर चूल्हे का उपयोग (शेष 50% घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग)</p> <p>इसमें ग्राम पंचायत में शेष घरों में रसोई गैस का निरंतर उपयोग भी शामिल है</p>	<p>परिदृश्य 1: अतिरिक्त 56 परिवार बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (100% परिवार मवेशी रखते हैं) + 3,305 परिवार रसोई गैस का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 2: 86 और परिवार सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन चूल्हों का उपयोग (शीर्ष आय समूहों में 100% परिवार) + रसोई गैस का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 3: 86 और परिवार सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन चूल्हों का उपयोग (शीर्ष आय समूहों में 100% परिवार) + 204 परिवार पहले से ही उन्नत चूल्हों का उपयोग (जैसा कि चरण II में है)</p> <p>इसमें ग्राम पंचायत में शेष घरों में रसोई गैस का निरंतर उपयोग भी शामिल है</p>
	<p>परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹14,00,000 (2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹19,35,000</p> <p>परिदृश्य 3: ₹25,50,000</p> <p>औसत लागत: ₹19.61 लाख</p>	<p>परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹14,00,000</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹19,35,000</p> <p>परिदृश्य 3: ₹25,47,000</p> <p>औसत लागत: ₹19.60 लाख</p>	<p>परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹28,00,000</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹38,70,000</p> <p>परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹38,70,000</p> <p>औसत लागत: ₹35.13 लाख</p>



ऊर्जा कुशल फिक्स्चर⁵⁰

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> सभी पीआरआई भवनों में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा-दक्ष फिक्स्चर से बदला जाना ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में कम से कम 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा-कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटेड) में अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना 	<ol style="list-style-type: none"> घरों में फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट की जगह एलईडी ट्यूब लाइट का इस्तेमाल अधिक करना घरों में एक पारंपरिक पंखे की जगह ऊर्जा दक्ष पंखा लगाना निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा दक्ष उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) में अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना। 	घरों में पारंपरिक पंखों के स्थान पर ऊर्जा-दक्ष पंखों का उपयोग बढ़ाना
लाक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> सभी पंचायती राज संस्थाओं/सरकारी भवनों में मौजूदा उपकरणों को 100% बदलकर एलईडी ट्यूब लाइट और ऊर्जा-दक्ष पंखे लगाना सभी घरों में 3,417 मौजूदा ट्यूब लाइटों को बदलकर एलईडी ट्यूब लाइट लगाना (प्रत्येक घर में 1) 	<ol style="list-style-type: none"> सभी घरों में अतिरिक्त 6,834 मौजूदा ट्यूबलाइटों को एलईडी ट्यूबलाइटों से बदलना (प्रत्येक घर में 2 एलईडी ट्यूबलाइट) सभी (100%) घरों में 3,417 ऊर्जा-दक्ष पंखों को बदला जाना (प्रत्येक घर में 1) 	सभी (100%) घरों में अतिरिक्त 3,417 ऊर्जा-दक्ष पंखे लगाया जाना
अनुमानित लागत	<p>एलईडी ट्यूब लाइट की लागत: ₹7,51,000</p> <p>कुल लागत: ₹7,51,000</p>	<p>एलईडी ट्यूब लाइट की लागत: ₹15,03,000</p> <p>ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹37,92,000</p> <p>कुल लागत: ₹52.95 लाख</p>	<p>ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹37,92,000</p> <p>कुल लागत: ₹37.92 लाख</p>

50 कई दौर की चर्चाओं से मौजूदा कार्यक्रमों की संख्या के बारे में विवरण प्राप्त हुआ



सौर स्ट्रीट लाइट

चरण अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना⁵¹ मौजूदा हाई-मास्ट स्ट्रीट लाइटों को हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटों में अपग्रेड करना मौजूदा स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव और मरम्मत (आवश्यकतानुसार) 	<ol style="list-style-type: none"> नई सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स की स्थापना शेष मौजूदा हाई मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स को अपग्रेड करना मौजूदा स्ट्रीटलाइट्स का रखरखाव और मरम्मत करना (आवश्यकता के अनुसार) 	<ol style="list-style-type: none"> अतिरिक्त एलईडी स्ट्रीटलाइट्स को सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स में परिवर्तित किया जाना आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सौर एलईडी हाई मास्ट स्ट्रीटलाइट्स लगाना मौजूदा स्ट्रीटलाइट्स का रखरखाव और मरम्मत (आवश्यकता के अनुसार)

लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> 50 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना⁵² सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, जल निकायों और अन्य प्रमुख स्थानों के आसपास मौजूदा 25 हाई-मास्ट स्ट्रीट लाइट को हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट में अपग्रेड करना 	<ol style="list-style-type: none"> अतिरिक्त 50 सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स लगाना सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, जल निकायों और अन्य प्रमुख स्थानों के आसपास शेष 25 मौजूदा हाई-मास्ट स्ट्रीटलाइट्स को हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स में अपग्रेड करना 	<ol style="list-style-type: none"> आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की स्थापना आवश्यकतानुसार अतिरिक्त हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट
---	--	---

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> 50 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की संस्थापन की लागत: ₹5,00,000 25 हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट: ₹12,50,000 <p>कुल लागत: ₹17.5 लाख</p>	<ol style="list-style-type: none"> 50 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाना: ₹5,00,000 25 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट्स पर लागत: ₹12,50,000 <p>कुल लागत: ₹17.5 लाख</p>	
--	--	--

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022⁵³ प्रदान करती है:
 - » आवासीय क्षेत्र में सोलर लगाए जाने पर सब्सिडी/अनुदान: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त प्रति उपभोक्ता ₹15,000/किलोवाट से अधिकतम सीमा ₹30,000/- तक।
 - » यंत्र की लागत का 3% परामर्श शुल्क के साथ स्वयं या यूपीनेडा के परामर्श से रेस्को⁵⁴मोड में संस्थानों में सौर स्थापना का प्रावधान।
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के माध्यम से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता:

51 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट और ग्राम प्रधान के साथ आगे की चर्चा के आधार पर

52 ग्राम प्रधान से प्राप्त के आधार पर

53 https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Uttar_Pradesh_Solar_Energy_Policy_2022.pdf

54 थर्ड पार्ट (RESCO मोड) (नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी)

- » 3 किलोवाट क्षमता तक के रूफटॉप सिस्टम के लिए 40% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दिया जाएगा। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले रूफटॉप सिस्टम के लिए, 40% का केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)। केवल पहले 3 किलोवाट क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से ऊपर (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) 20% तक सीमित होगी।
- » ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सामान्य सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए रूफटॉप संयंत्र की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) सीएफए 20% तक सीमित होगी। जीएचएस/आरडब्ल्यूए-हतु सीएफए के लिए पात्र क्षमता 10 किलोवाट प्रति घर तक सीमित होगी और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं होगी।
- » गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप की स्थापना पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना⁵⁵ के अंतर्गत की जा सकती है। यह योजना 2 किलोवाट सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम के लिए 40% अतिरिक्त सिस्टम लागत प्रदान करती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, अर्थात् 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी होगी।
- पीएम कुसुम योजना प्रदान करती है:
 - » पीएम कुसुम योजना का घटक ए, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देता है।
 - » पीएम कुसुम योजना के घटक बी और सी के अंतर्गत, केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक पंप के आधार पर 30% की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10% की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान किशतों में बैंक को किया जा सकता है।
- उ०प्र० सरकार पीएम कुसुम योजना में योगदान:
 - » घटक सी-1 के अंतर्गत : किसानों को 60% सब्सिडी (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70% सब्सिडी) के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सोलराइजेशन; यह एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त है।
 - » घटक सी-2 के अंतर्गत : एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कृषि फीडर्स का सोलराइजेशन ₹50 लाख प्रति मेगावाट की व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) प्रदान की जाती है।
- ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं⁵⁶
 - » ईईएसएल अपनी स्वयं की लागत पर पारंपरिक स्ट्रीटलाइट्स को एलईडी स्ट्रीटलाइट्स से बदल देते हैं और 7 साल तक एलईडी बल्बों का मुफ्त बदलने और रखरखाव की सुविधा प्रदान करते हैं।
 - » अटल ज्योति योजना और एमएनआरई सोलर स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम में 12 वॉट एलईडी और 3 दिन के बैटरी बैकअप के साथ सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- ग्राम उजाला योजना⁵⁷ :
 - » एलईडी बल्ब ₹10 प्रति बल्ब की किफायती कीमत पर उपलब्ध हैं।
 - » ग्रामीण ग्राहकों को काम करने वाले इंकडेसेंट बल्बों के बदले 7-वाट और 12-वाट के एलईडी बल्ब तीन साल की वारंटी के साथ दिए जाएंगे।
- कोल्ड स्टोरेज स्थापना के लिए सब्सिडी:
 - » परियोजना लागत के 35% की क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है
 - » कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) लागू कर रहा है।
 - » राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) 'बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी' नाम से एक योजना लागू कर रहा है।
 - » प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चैन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण बुनियादी ढांचे पर घटक, बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण के लिए 35% की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है⁵⁸। गैर-बागवानी, बागवानी,

55 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

56 EESL द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम।

57 ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए (फरवरी 2023), पीआईबी

58 अर्थात् फार्म स्तर पर प्री-कूलिंग, वजन, छंटवाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, मल्टी प्रोडक्ट/मल्टी टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ, वितरण केंद्र में ब्लास्ट फ्रीजिंग और रीफर वैन, मोबाइल कूलिंग यूनिट

डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है।

- ईईएसएल ने कार्बन वित्तपोषण का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडक्शन कुकिंग समाधानों के लिए बाजार-आधारित हस्तक्षेप शुरू करने की योजना बनाई है
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।
 - » एसबीएम-जी के अंतर्गत गोबरधन योजना क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए प्रति जिले ₹50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है⁵⁹।
- यूपी जैव-ऊर्जा नीति 2022⁶⁰ सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सीबीजी संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है :
 - » कंप्रेसड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने पर ₹75 लाख/टन से लेकर अधिकतम ₹20 करोड़ तक का प्रोत्साहन।
 - » विकास प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए विकास शुल्क पर छूट।
 - » 100% स्टाम्प शुल्क और विद्युत शुल्क से छूट।
- एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम लागू किया:
 - » कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है।
 - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹0.25 करोड़ प्रति 12000 घन मीटर/दिन⁶¹ है।

वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप खरीदने के लिए ऋण हेतु स्थानीय बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और सहकारी बैंकों आदि के साथ गठजोड़ का पता लगाना।
- कृषि-फोटोवोल्टिक्स के लिए सौर डेवलपर्स के साथ साझेदारी का पता लगाना।
- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का उपयोग निम्न के लिए किया जा सकता है:
 - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए रिवोल्विंग निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम सब्सिडी के अतिरिक्त सौर छतों/कृषि-फोटोवोल्टिक्स/सौर पंपों की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत को कवर करना।
 - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/एसएचजी सदस्यों को 'संचालन और रखरखाव' पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
 - » सोलर रूफटॉप सौर ऊर्जा (यूपी सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (पीएम-कुसुम, यूपी सौर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली मौजूदा सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान आयोजित करें।

प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL)
- पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग

59 <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1883926>

60 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

61 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>

6

सतत और उन्नत गतिशीलता



संदर्भ एवं मुद्दे

- पीपलसना में कुल 2,955 आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन हैं; 2,672-दोपहिया वाहन, 231 कारें, 47 ट्रैक्टर और 5 ऑटो-रिक्शा।⁶²
- इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 81 ई-रिक्शा हैं।
- कृषि उपज/माल के परिवहन के लिए, किसान छोटे हाथी (मिनी ट्रक) या ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। जिन किसानों के पास ऐसे वाहन नहीं हैं, वे उन्हें पड़ोसी किसानों से किराए पर लेते हैं।⁶³
- आईसीई वाहनों द्वारा प्रति वर्ष कुल ईंधन की खपत ~1,553 किलो लीटर डीजल और ~408 किलो लीटर पेट्रोल है। कुल मिलाकर, परिवहन क्षेत्र में खपत किए गए ईंधन से 2,702.4 tCO₂e उत्सर्जन हुआ है।⁶⁴
- इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण से पता चलता है कि ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर सड़कों के कई हिस्से जलभराव से प्रभावित हैं, जिन्हें ऊंचा करने की आवश्यकता है।

इस कारण से, परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और ई-मोबिलिटी समाधानों में बदलाव की पहल महत्वपूर्ण संभावना है।



मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

चरण

I

2024-25 से 2026-27

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

- ग्राम पंचायत के भीतर सड़कों का उच्चिकरण
- सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य
- किसी भी मौजूदा आंतरिक सड़कों के लिए मरम्मत कार्य ⁶⁵

II

2027-28 से 2029-30

सड़क के बुनियादी ढांचे का रखरखाव और आवश्यकता पड़ने पर मरम्मत किया जाना

III

2030-31 से 2034-35

सड़क के बुनियादी ढांचे का निरंतर रखरखाव और यदि आवश्यक हो तो इसकी मरम्मत करना

62 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार

63 क्षेत्र सर्वेक्षणों के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी और ग्राम प्रधान के साथ चर्चा के आधार पर

64 क्षेत्र सर्वेक्षणों के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

65 अधिक जानकारी के लिए एचआरवीसीए का संदर्भ लें

लक्ष्य

1. 10 किलोमीटर तक सड़क की ऊंचाई बढ़ाना
2. कुल 1.5 किलोमीटर तक सड़क की आरसीसी/इंटरलॉकिंग करना
3. आंतरिक सड़कों के 500 मीटर हिस्से की मरम्मत करना

सड़कों का नियमित एवं समयबद्ध रखरखाव/मरम्मत करना

सड़कों का नियमित एवं समय पर रखरखाव/मरम्मत

अनुमानित लागत

1. सड़क की ऊंचाई पर लागत: ₹1,05,00,000
 2. सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग: ₹71,00,000
 3. सड़क मरम्मत कार्य पर लागत: ₹27,00,000
- कुल लागत: ₹2.03 करोड़

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार



मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना

चरण

I

2024-25 से 2026-27

ग्राम पंचायत में सीएनजी ऑटो-रिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से प्रतिस्थापित करना

II

2027-28 से 2029-30

पंचायत के अंतिम छोर तक पहुँच बनाने हेतु अधिक ई-रिक्शा शुरू करना

III

2030-31 से 2034-35

मांग के आधार पर और अधिक ई-ऑटोरिक्शा खरीदे जा सकते हैं

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

5 सीएनजी ऑटो रिक्शा को ई-ऑटो रिक्शा से बदलें

आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदे जाना

आवश्यकतानुसार और अधिक ई-ऑटोरिक्शा खरीदे जाना

अनुमानित लागत

1 ई-ऑटोरिक्शा की लागत: लगभग ₹3,00,000⁶⁶
 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 तक
 5 ई-ऑटोरिक्शा की प्रभावी लागत: ₹14,40,000
 जीएचजी उत्सर्जन से बचाव⁶⁷: 8.65 tCO₂e

66 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत ₹1,50,000 से ₹4,50,000 या उससे अधिक होती है, जो रिक्शा की बनावट (कॉन्फिगरेशन), बैटरी के प्रकार आदि पर निर्भर करती है। ई-ऑटोरिक्शा की कीमत मुख्य रूप से संभावित सब्सिडी/अनुदान/बीज पूंजी/व्यवहार्यता अंतर निधि को परोपकारी संस्थाओं और अन्य वित्तपोषण एजेंसियों से शामिल करते हुए मूल्य बैंड के मध्य में मानी जाती है

67 समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रति ऑटो ~1.73 tCO₂e होने का अनुमान है। सीएनजी ऑटोरिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलने से यह उत्सर्जन कम होगा और ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या यहाँ तक कि कार्बन नेगेटिव बनाने में योगदान मिलेगा।



ई-वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना (ई-दो पहिया वाहन, ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर)

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> ई-वाहनों पर सरकारी प्रोत्साहन और योजनाओं सहित निजी ई-वाहनों (2-पहिया) को अपनाने के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों/उद्यमियों) को आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति संवेदनशील बनाकर डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्प को बढ़ावा देना ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा स्थापित करना ('आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ावा देना' अनुभाग में विस्तार से बताया गया है) 	<ol style="list-style-type: none"> ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में नियमित कार्यशालाओं का आयोजन, साथ ही उनके लाभ के लिए उपलब्ध कार्यक्रम और योजनाओं की जानकारी देना निजी 2-पहिया वाहनों को ई-2-पहिया वाहनों से बदला जाना मौजूदा ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टरों का रखरखाव और मरम्मत किया जाना 	<ol style="list-style-type: none"> ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में नियमित कार्यशालाओं का आयोजन, साथ ही उनके लाभ के लिए उपलब्ध कार्यक्रम और योजनाओं की जानकारी देना अतिरिक्त निजी 2-पहिया वाहनों को ई-2 पहिया वाहनों से बदला जाना मौजूदा ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टरों का रखरखाव और मरम्मत किया जाना
लक्ष्य	कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहक खरीदे जाना	<ol style="list-style-type: none"> आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ई-ट्रैक्टर, और ई-माल वाहक की खरीद करना 10% निजी 2-पहिया वाहनों को ई-2-पहिया वाहनों से बदला जाना 	<ol style="list-style-type: none"> आवश्यकतानुसार अधिक ई-ट्रैक्टर एवं ई-माल वाहक की खरीद करना अतिरिक्त 30% निजी 2-पहिया वाहनों को ई-2-पहिया वाहनों से बदला जाना
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> 5 ई-ट्रैक्टर: ₹30,00,000 5 ई-माल वाहक: ₹25,00,000 - ₹50,00,000 कुल लागत: ₹55 लाख - ₹80 लाख 	बाजार भाव के अनुसार	बाजार भाव के अनुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के सहयोग से सड़क बुनियादी ढांचे की मरम्मत और वृद्धि की जा सकती है।
- उ०प्र० इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 प्रदान करती है:
 - » खरीदारों को 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)।
 - » 1 वर्ष की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारों को शुरुआती प्रोत्साहन के रूप में (एक बार) खरीद सब्सिडी - ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹1,00,000 तक पूर्व-फैक्टरी लागत का 10% @; 2-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹5000 तक पूर्व-फैक्टरी लागत का 15%; 3-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹12000⁶⁸ तक पूर्व-फैक्टरी लागत का 15%।
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण चरण II (FAME II) योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी का भी लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवलप और स्वयं की आय के स्रोत (ओएसआर)।
- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) समर्थन के साथ बैंकों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों से ऋण।

प्रमुख विभाग

- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)

⁶⁸ सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी में समय-समय पर सब्सिडी की मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों के संदर्भ में परिवर्तन के अधीन होते हैं। इसलिए, इस योजना के किसी भी खंड में उल्लिखित कोई भी सब्सिडी केवल सांकेतिक है, और खरीद के समय इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

7

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना



60 प्रतिशत से अधिक परिवार मजदूरी और कृषि में लगे हुए हैं। बदलती जलवायु और अस्थिर उत्पादन गतिविधियों के कारण कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्र आजीविका असुरक्षा से भरे हुए हैं। इस प्रकार, जनसंख्या के एक बड़े हिस्से की आजीविका अनिश्चित है। ग्राम पंचायत में आय के अन्य प्रमुख स्रोत कला/हस्तशिल्प और स्थानीय व्यवसाय/दुकान चलाना हैं। पिछले 5 वर्षों में 26 व्यक्ति बेहतर आजीविका की तलाश में ग्राम पंचायत से पलायन कर गए हैं। यह प्रवृत्ति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है।

वर्तमान में, उल्लिखित गतिविधियों के अतिरिक्त, ग्राम पंचायत के भीतर रोजगार के सीमित अवसर हैं। इस कार्ययोजना में उल्लिखित गतिविधियां आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए दिशा प्रदान करती हैं। इनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:



कृषि अपशिष्ट से सतत उत्पादों के निर्माण में स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

1. धान के भूसे जैसे कृषि अपशिष्ट से डिस्पोजेबल कटलरी के प्लास्टिक विकल्प के निर्माण में महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना।
2. पंचायत, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों के बीच साझेदारी मॉडल की स्थापना।
3. क्षमता विकास:
 - » उत्पाद श्रेणी का विविधीकरण
 - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

लक्ष्य

तात्कालिक लक्ष्य: कृषि अपशिष्ट के बारे में समुदाय को जागरूक करना और पर्यावरण अनुकूल कटलरी जैसे सतत उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देना।

इस ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव:

- » चाय/कॉफी के कप, खाद्य पैकिंग कंटेनर/कटोरे, चम्मच, प्लेट, फ्लास्क आदि बनाने के लिए कृषि अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। (एक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना लागत: ₹3,00,000)⁶⁹
- » 100 महिलाओं को जोड़ना
- » 5-10 एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों को जोड़ना

69 मशीन के औसत दर के अनुसार <https://www.indiamart.com/proddetail/biodegradable-rice-bran-plate-making-machine-25532381455.html>



अनुमोदित जलवायु
स्मार्ट गतिविधियाँ

जैविक कचरे को खाद बनाकर बेचना

1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी स्थापित करना
2. प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की क्षमता निर्माण:
 - » क. खाद और वर्मीकम्पोस्टिंग तकनीक
 - » ख. ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

लक्ष्य

तात्कालिक लक्ष्य: घरेलू कचरे (जैविक) से उत्पादित खाद/खाद: प्रतिदिन 450 किलोग्राम; प्रति माह 13,500 किलोग्राम

दीर्घकालिक लक्ष्य: जैविक कचरे के उत्पादन के अनुसार खाद उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)



अनुमोदित जलवायु
स्मार्ट गतिविधियाँ

ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराये पर लेने की सुविधा

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर की वाणिज्यिक किराए पर लेना (किराये के आधार पर) उ०प्र० ईवी नीति 2022 और फेम-इंडिया योजना चरण- II के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करती है।
2. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों) को संवेदनशील बनाना
3. ई-ट्रैक्टरों का व्यावसायिक किराये पर लेना (किराये के आधार पर) युवाओं के लिए हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करता है

लक्ष्य

तत्काल लक्ष्य:

1. 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: प्रति ई-ट्रैक्टर ₹6 लाख)
2. 2 या 3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक (मिनी माल ईवी परिवहन ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग ₹9.2 लाख)

मध्यावधि लक्ष्य:

2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक की अतिरिक्त खरीद (नोट: यह माना जाता है कि पीपलसना में आमतौर पर 35 एचपी ई-ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत लगभग ₹6 लाख होती है)



अनुमोदित जलवायु
स्मार्ट गतिविधियाँ

सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों के भीतर) को सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज में जगह किराए पर देकर उद्यमिता के अवसर बनाना
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच बिजनेस/व्यवसाय मॉडल/गठजोड़ स्थापित करना

लक्ष्य

7 से 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना (सब्जी की खेती के अंतर्गत ~ 11 हे० सकल फसल क्षेत्र)
लागत: लगभग ₹8 - ₹15 लाख



प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

1. विकास के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन और प्राकृतिक औषधियों एवं अनुपूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन का रखरखाव
2. कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान, लखनऊ के साथ साझेदारी स्थापित करना

लक्ष्य

लगभग 0.2 हे० भूमि पर आरोग्य वन स्थापित किया जाएगा



विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और बायो-गैस) का प्रचालन एवं रखरखाव

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

1. नवीकरणीय ऊर्जा रखरखाव पर कौशल विकास के लिए समुदाय के सदस्यों विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास।
2. ग्राम पंचायत के भीतर सोलर और बायो-गैस स्थापना तथा संचालन एवं रखरखाव व्यवसायों की स्थापना में सीएसआर, केंद्र और राज्य सरकार की अपस्किलिंग योजनाओं से सहायता।

वित्त पोषण एवं कौशल विकास

- हरित उद्यमिता और आजीविका (विभिन्न ऋण योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से) को समर्थन देने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना; मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना जैसी सरकारी ऋण योजनाएं महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान कर सकती हैं।
- आवश्यक कौशल विकास सहायक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया जाता है जैसे: मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम।



विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधि "आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण : 70,71,72

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक प्रकाश यानी बिजली से चलने वाले बल्ब, ट्युबलाइट आदि को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- हरित जल निकास और डिजाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी)।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

70 https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf

71 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

72 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय⁷³, थार रेगिस्तान, राजस्थान का गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए निर्माण किया गया है: जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया गया है:

- धर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़⁷⁴ :

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)

3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र⁷⁵:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

73 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

74 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

75 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करते हैं जैसे की चारे की तैयारी और शेड संचालन करने में ऊर्जा की जरूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

यह गतिविधि संस्त्रुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, बठिंडा और तरनतारन, पंजाब^{76,77}

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेडों जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं

निर्मल गुजरात अभियान⁷⁸

- गुजरात के हिममतनगर में पशु छात्रावास गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल (पशु छात्रावास) में बायोगैस और वर्मीकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मीकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)⁷⁹" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना" है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशल्य द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर⁸⁰

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतें में पेंट किया गया।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग से जुड़ी है।

76 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

77 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

78 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

79 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/cssscspssc>

80 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)¹²-राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ्रीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण

- इन संपूरकों के उपयोग से आंत्रिय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है⁸¹।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹ 6 प्रति किलोग्राम है।

7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रोक्लाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ा है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में⁸²

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

81 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9CCharit-dhara%E2%80%9D>

82 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना⁸³

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एफ़िफ़िसिएंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्य योजना के आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ा है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले⁸⁴

स्वयं शिशन प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे एवं स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)⁸⁵

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

83 <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

84 <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

85 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाज़ार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश राज्य में⁸⁶





- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

⁸⁶ <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>

7

अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव



जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁷
a. जल निकायों का रखरखाव 	<ul style="list-style-type: none"> प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है बेहतर भूजल पुनर्भरण 	एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छ ता <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.1 लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 6.5
b. जल निकासी और सीवेज संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाना 	<ul style="list-style-type: none"> पानी की गुणवत्ता में वृद्धि सूखा, लू जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाना 	एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.4
c. अपशिष्ट जल प्रबंधन 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा 	एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2
d. वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं 		एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2
		एसडीजी 15: भूमि पर जीवन <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.5





87 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुबंध V में दी गई है

हरित स्थानों और जैवविविधता प्रबंधन को बढ़ाना



सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁸
<p>a. हरित क्षेत्रों /आवरण में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा 	<p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.7 लक्ष्य 11.4 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2
<p>b. जन जैवविविधता रजिस्टर</p> 	<ul style="list-style-type: none"> बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पशुधन उत्पादकता में सुधार कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन जैव विविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार 	<p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.2 लक्ष्य 15.3 लक्ष्य 15.5 लक्ष्य 15.9



सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन











सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁸
a. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना 	<ul style="list-style-type: none"> जलभराव में कमी जल और भूमि प्रदूषण में कमी/बेहतर स्वच्छता %100 कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण आजीविका और आय सृजन राजस्व और लाभ सृजन सतत कृषि के लिए उन्नत आदान 	<p>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 3.3 लक्ष्य 3.9 <p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छ ता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.8 <p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3 <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1
b. जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन 		<p>3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING</p> <p>6 CLEAN WATER AND SANITATION</p> <p>8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH</p> <p>9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE</p> <p>12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION</p> <p>13 CLIMATE ACTION</p> <p>15 LIFE ON LAND</p>
c. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध 	अपशिष्ट आधारित कृषि सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना	
d. स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार 		

सतत कृषि




सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁸
a. जलवायु लचीलेपन का निर्माण 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि⁸⁸ मृदा स्वास्थ्य में सुधार रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार 	<p>एसडीजी 2: शून्य भूख</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 2.3 लक्ष्य 2.4 लक्ष्य 2.ए; अनुच्छेद 10.3.ई <p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छ ता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 13.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
b. प्राकृतिक खेती अपनाना 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि जल सुरक्षा में सुधार शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई 	<p>2 ZERO HUNGER</p> <p>6 CLEAN WATER AND SANITATION</p> <p>13 CLIMATE ACTION</p>
c. सतत पशुधन प्रबंधन 	<ul style="list-style-type: none"> वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई 	

88 पारिस्थितिकी-आपदा जोखिम में कमी

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁸
a. सोलर रूफटॉप स्थापना 	<ul style="list-style-type: none"> ऊर्जा सुरक्षा उष्ण आराम आजीविका के उन्नत विकल्प 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.4 <p>एसडीजी 7: किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.1 लक्ष्य 7.2 लक्ष्य 7.3 लक्ष्य 7.a लक्ष्य 7.b
b. कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना 	<ul style="list-style-type: none"> अतिरिक्त राजस्व सृजन उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है 	<p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
c. सौर पंप 	<ul style="list-style-type: none"> विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में कमी 	
d. रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग 	<ul style="list-style-type: none"> चुकोती/पे-बैक अवधि के बाद आर्थिक लाभ घरों के अंदर वायु प्रदूषण में कमी 	   
e. ऊर्जा कुशल फिक्स्चर 	<ul style="list-style-type: none"> सभी के स्वास्थ्य, मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है 	
f. सौर स्ट्रीट लाइट 	<ul style="list-style-type: none"> आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि 	

सतत और उन्नत गतिशीलता

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁸
a. मौजूदा सड़क के बुनियादी ढांचे को बेतहर करना 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार जोखिम वाले और कमज़ोर व्यक्तियों के लिए बेहतर पहुंच 	<p>S एसडीजी 7: किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.2 <p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.2
b. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना 	<ul style="list-style-type: none"> अतिरिक्त राजस्व सृजन वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि 	<p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
c. ई-वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना (ई-दो पहिया वाहन, ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर) 	<ul style="list-style-type: none"> जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के माध्यम से लचीलेपान में सुधार 	

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁸
<p>a. कृषि अपशिष्ट से सतत उत्पादों के निर्माण में स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय स्रोतों से प्राप्त कच्चे माल के माध्यम से आजीविका के उन्नत विकल्प जल और भूमि प्रदूषण में कमी सतत कृषि के लिए उन्नत आदान %100 कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन जैव विविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि 	<p>एसडीजी 5: लैंगिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 5.5 <p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>b. जैविक कचरे को खाद बनाकर बेचना</p> 		
<p>c. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टरों को किराए पर लेने की सुविधा</p> 		
<p>d. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार</p> 		
<p>e. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन</p> 		
<p>f. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और बायो-गैस) का प्रचालन एवं रखरखाव</p> 		



क्रियान्वयन में प्रस्तावित सुझाव/संस्तुतियों/अनुशंसाओं से पीपलसना के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत जलवायु स्मार्ट, लचीली और सतत बनेगी। इससे गांव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। पीपलसना के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर मड़ोरा को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, पीपलसना जलवायु कार्ययोजना पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और क्रियान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के क्रियान्वयन के बाद, नई अवसंरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही पीपलसना को एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के अंतर्गत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत' के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया⁸⁹। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

पीपलसना के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना⁹⁰का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्ध्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है।

कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ्रील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- **सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी** : मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहचान को समझना भी था।
- **हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता निर्माण**: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। हितधारकों को जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्य योजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।

89 उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी (DoEFCC), उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्कोपिंग आकलन से की गई।

90 इस आलेख में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख संलग्नक के रूप में सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; उत्तर सहित प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाने जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बर में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- **क्षेत्र सर्वेक्षण:** समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक आंकड़ों संग्रह किया गया।
 - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
 - » ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
 - » पीपलसना ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गई पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

अनुलग्नक II: उत्तर सहित प्रश्नावली (हिंदी)



उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रजावली

ग्राम पंचायत : पीपलसाना विकासखण्ड : भगतपुर टॉडा जनपद : मुरादाबाद

I. गाँव की रूपरेखा

	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत- समुदाय के सदस्य)
1	राजस्व गाँव की संख्या	1
2	टोलों की संख्या	2
3	a कुल जनसंख्या	19426
	b कुल पुरुषों की जनसंख्या	10685
	c कुल महिलाओं की जनसंख्या	8741
	d विकलांगजन की जनसंख्या	111
	e कुल बच्चों की जनसंख्या	4273
	f वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	2911
4	कुल परिवार की संख्या	2385
a	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	492
5	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	251.28 हैक्टेयर
6 a	साक्षरता दर	81
7 a	पक्का घरों की संख्या	1859
b	कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	426





II. सामाजिक आर्थिक

8	ग्राम पंचायत में केवल कृषि (प्रकार) पर आश्रित परिवार	कुल परिवारों की संख्या	
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	729	
	किराए की भूमि (हुण्डा)	0	
	अनुबंध खेती	0	
	दिहाड़ी मजदूर	1258	
	अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)	0	
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में शामिल परिवार, उल्लेख करें)	0	
9	ग्राम पंचायत में आय के स्रोत	कुल परिवारों की संख्या	
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	112	
	कुटीर उद्योग	30	
	कृषि	729	
	कला/हस्तकला	549	
	पशुपालन	112	
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	344	
	व्यवसाय/उद्यम	154	
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	1590	
	अन्य	20	
10	पलायन	हां	नहीं
a	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत से ग्रामीणों ने पलायन किया है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	पलायन करने वाले स्थान	26	पलायन के मुख्य कारण
	अन्य गांव		
	निकट के शहर		
	राज्य के प्रमुख शहर	उत्तराखण्ड, दिल्ली	व्यावसाय
	देश के प्रमुख महानगर		
c	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत में परिवार/व्यक्ति ने प्रवास किए हैं?	हां <input checked="" type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
d	पिछले पांच वर्षों में	व्यवसाय के चलते हुए 09 परिवारों ने प्रवास किया है।	





	आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्पष्ट करें।	सीमावर्ती गांव अक्का, गनीमत नगर, सिहली शाहबाजपुर के 09 परिवारों ने अपने व्यवसाय स्थापित करने हेतु प्रवास किया है।
--	--	---

11 महिलाओं की स्थिति		
a	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत- महिला)	85
b	खेती में कार्यरत महिला	कुल संख्या
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	52
	किराएकी भूमि/हुण्डा	0
	अनुबंध खेती	0
	दिहाड़ी मजदूर	45
	अन्य व्यवस्था	Nil
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	अधिकांश महिलाएं अपनी खेती संवधित कार्य करती है।
c	नौकरी/अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं	कुल संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	26
	कुटीर उद्योग	0
	कृषि	95
	कला/हस्तकला	75
	पशुपालन	10
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	0
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	91
	अन्य	0





12	स्वयं सहायता समूहों				
क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (₹0)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
1	तस्मिया बुनकर स्वयं सहायता समूह	11	सिलाई कड़ाई	42000	हा
2	शमा बुनकर स्वयं सहायता समूह	12	सिलाइ ,दरी चादर	40000	हा
3	सवित्री स्वयं सहायता समूह	12	खेती किसानी	44000	हा
4	ताज बुनकर स्वयं सहायता समूह	13	दरी चादर, बेड सिट	42000	हा
5	लक्ष्मीवाई स्वयं सहायता समूह	12	खेती किसानी	43000	हा
6	ग्रह उद्योग स्वयं सहायता समूह	13	दरी चादर, बेड सिट	40000	हा
7	विलाल स्वयं सहायता समूह	14	दरी चादर, बेड सिट	47000	हा
8	जनता स्वयं सहायता समूह	14	परचुन की दुकान	45000	हा





9	केजीएन स्वयं सहायता समूह	13	दरी चादर	40000	हा
10	चाँद बुनकर स्वयं सहायता समूह	12	दरी चादर, तोलिया	48000	हा
11	मुस्कान स्वयं सहायता समूह	14	तोलिया, चादर	49000	हा
12	अर्शी स्वयं सहायता समूह	11	तोलिया, चादर	47000	हा
13	आदर्श स्वयं सहायता समूह	12	सिलाई	42000	हा
14	हाजरा स्वयं सहायता समूह	14	खेती किसानी	50000	हा
15	मनोकामना स्वयं सहायता समूह	12	परचुन की दुकान	40000	हा
16	कालू परी स्वयं सहायता समूह	13	जिंस की पेंट की सीलाई	48000	हा





17	उपहार स्वयं सहायता समूह	12	खेती किसानी	42000	हा
18	गोसिया स्वयं सहायता समूह	14	परचुन की दुकान	40000	हा
19	मोमिन अंसार स्वयं सहायता समूह	14	परचुन की दुकान	46000	हा
20	मुमताज स्वयं सहायता समूह	14	लीहाफ गद्दों की सिलाई	43000	हा

13 कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0)						
एफ0पी0ओ0 का नाम	क्या इस संगठन की प्रमुख महिला हैं?	प्रत्येक एफ0पी0ओ0 में सदस्यों की संख्या	एफ0पी0ओ0 से प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	कृषि उत्पाद	पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियां/ गतिविधियों का क्षेत्र	
Nil	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	
Nil	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	
Nil	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	
Nil	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	
Nil	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	





14	अन्य समुदाय आधारितसंगठन /					
	सामाजिक संगठन / समितियों के नाम	क्या महिला प्रमुख संगठन / समिति हैं?	सदस्यों की संख्या	प्राप्त वार्षिक राजस्व / बचत	उत्पाद / सेवा	विपणन / लक्षित उपभोगकर्ता
	Nil	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0
	Nil	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0
	Nil	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0
	Nil	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0
	Nil	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0
	Nil	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0
	Nil	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0
	Nil	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0

15	योजनाएं						
	a	योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भगतान (रु०)	अन्य कोई बकाया (रु०)	की गई गतिविधियाँ / कार्य
		मनरेगा	768	210	11850000.00	0.00	आरसीसी, नाला निर्माण, ईंटरलॉकिंग, मिट्टी का कार्य
		प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना / एन.एफ.एस.ए.	14716	लाभार्थी (14716 2385 परिवार)			
		प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	453	453			
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	0				
		प्रधान मंत्री कुसुम योजना	0				
	b	अन्य योजनाएं	0				
		ग्राम उज्जवला योजना	0				





	ऊर्जा दक्षता योजना	0				
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	0				
	प्रधानमंत्री आवास योजना	301	40	4800000	0	लाभार्थी का आवास बना है
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीओडीओएस)	14716	लाभार्थी (14716 2385 परिवार)			प्रत्येक माह 5-35 कि.ग्रा खाद्यान मिलता है।
	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	0				
	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	0				
	राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (RKVY)	0				
	मौसम आधारित फसल बीमा	0				
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	0				
	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	0				
	किसान क्रेडिट कार्ड	157	157			
	स्वच्छ भारत मिशन	207	62 परिवारों का निर्माण हो चुका है शेष प्रक्रियाधीन हैं	744000		लाभार्थी के शौचालय बने हैं
	सौर सिंचाई पम्प योजना	0				
	नई/नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	0				
	विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	0				
	गोवर्धन योजना	0				
	जल पुनर्भरण योजना	0				
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	0				
	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम	0				





	अन्य वाटरशेड विकास योजनाएं	0				
	अन्य (एक जिला-एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य)	0				
	उद्यमितता सहायतित योजनाएं आदि	0				

16	सक्रिय बैंक खाताधारकों की संख्या	4419
17	ई-बैंकिंग/डिजिटल भुगतान एप/यू.पी.आई आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या	1123

8	निकट कृषि बाजार/क्रय केन्द्र/सरकारी केन्द्र	क्या ग्राम पंचायत द्वारा बाजार/क्रय केन्द्र का उपयोग होता है	यदि नहीं, तो बाजार/केन्द्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता	उत्पादित फसल(कु0)	बिक्री हुई फसल (कु0)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि0मी0)
	हाजी रिजवान की आढत(निजी)	हां	लघु किसान है, कम फसल होने कारण गांव मे ही निजी आढत पर बेच लेते है।	1 गेहू-700 0.00 कु0 2 धान-500 000 कु0	4500.00 कु0 3000.00 कु0	0.0 किमी0
		<input type="checkbox"/>	नहीं			
		<input type="checkbox"/>	नहीं			
		<input type="checkbox"/>	नहीं			
		<input type="checkbox"/>	नहीं			

19	शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में)				
	प्रकार/स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग)	कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	विगत वर्ष में कुल ड्राप आऊट विद्यार्थियों की संख्या	ड्राप आऊट के मुख्यकारण(स्वास्थ्य (1), पहुँच/उपलब्धता-(2), आर्थिक समस्या-(3), अन्य-





		मी0)			(4) उल्लेख करें)
a	प्राथमिक विद्यालय	750	311	0	20 प्रतिशत बच्चे मानसून, जाड़े के मौसम एवं कृषि कार्यों के कारण विद्यालयों में अनुपस्थित रहते हैं।
b	जू0 हाई स्कूल	1440	481	0	20 प्रतिशत बच्चे मानसून, जाड़े के मौसम एवं कृषि कार्यों के कारण विद्यालयों में अनुपस्थित रहते हैं।
c	हाई स्कूल	2100	702	0	
d	अन्य संस्थान				
	जुल्फिकार तुर्की इण्टर कालिज	2100	1729	0	
	रिजवानुल हक इण्टर कालिज	2100	696	0	
	इन्हारुल हक इण्टर कालिज	1800	648	0	
	पार्श्वनाथ डिग्री कालिज	3005	300	0	

20	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों की आयु
	Nil	0	Nil	0	0





21	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता			
	राजमार्ग का नाम	राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्राम पंचायत से दूरी	सम्पर्क मार्ग की स्थिति अच्छा (1), खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)
	मुरादाबाद से टिहरी राष्ट्रीय राजमार्ग एन एच 121	राष्ट्रीय राजमार्ग	0 कि०मी०	घटिया(मुरादरबाद से टाकुरद्वारा तक रोड तक गड्डे ही गड्डे हैं)

III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

22	वन भूमि का विवरण	
a	वन का क्षेत्र	0
b	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	0
c	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	0
d	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	0
e	विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन/वन कटाई की गतिविधियां	0
f	अनुमानित वन उन्मूलन/वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	0





23 अन्य भूमि का वर्गीकरण			
a	ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है?	13.40 एकड़	
b	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	7.69 एकड़	
c	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हां <input checked="" type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
	खनन के प्रकार बालू खनन 1, खनिज खनन—(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3	1 बालू , 2 मिट्टी खनन	
	अतिरिक्त सूचनाएं	ढेला नदी से बालू खनन एवं भूड क्षेत्र से मिट्टी खनन अधिकांशतः होता है।	

24 जल निकाय क्षेत्र			
	विवरण	हां	नहीं
a	क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	06	
c	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?	15 से 20 वर्ष पूर्व से	
e	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?	हाँ	

25 जल आपूर्ति		
a	ग्राम पंचायतमें घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल—(2) भूमिगत जल—(3) तालाब/झील—(4) अन्य— (5)	3 भूमिगत जल 5 वाटर टैंक सप्लाय
b	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	बारहमासी
c	घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है?	3 पानी की टंकी





	पाइप जलापूर्ति (1) ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2) पानी टंकी (3) महिलाओं/बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4) हैण्डपम्प (5) ऊँचा सतही जलाशय (6) कूआ (7) अन्य (8), उल्लेखित करें। अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?	5 हैण्ड पम्प
d	कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?	2106
e	क्या पानी का बहाव/प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	सन्तोषजनक
f	पाइप जलापूर्ति की नियमितता 24×7 घण्टे(1) काफी नियमित (2) अनियमित (3)	(2) नियमित 2 घण्टे सुबह 2 घण्टे शाम
g	ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल (2) भूमिगत जल – (नलकूप (3A), कूआ (3B)) तालाब/झील (4) पानी टैंक (5) नदी (6) अन्य (7)	(2) वर्षा जल भूमिगत जल – (नलकूप (3A)), (7) अन्य निजी बोरिंग
h	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	नल कुप व व्यक्तिगत बोरिंग को प्रयोग फसल की आवश्यकता अनुसार एवं वर्षा जल मौसमी है।
i	क्या जलापूर्ति का बहाव/प्रवाह दर कम/अधिक या संतोषजनक है?	पर्याप्त
j	अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है) क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख गया?	घरेलू प्रयोग हेतु पर्याप्त हैं। एवं कृषि आदि हेतु जल आपूर्ति अप्रयाप्त हैं। घटी सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकी का उपयोग



	क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?	बढ़ जाता है।
--	--	--------------





IV. जलवायु की धारणा

तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन/बदलाव				
26				
a	गर्मी के माह में देखा गया			
b	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि	गर्म दिनों में कमी	गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	15–20 दिन		
d	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)			
27				
a	सर्दी के माह में महसूस किया गया			
b	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि	ठण्ड दिनों में कमी	ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	30 दिन		
d	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)			
28				
a	मानसून माह में महसूस किया गया			
b	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	25–30		
d	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)	मानसून मध्य जून में ना आकर अगस्त के शुरू हो रहा है		
29				
a	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि	वर्षा दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	25–30		
d	शरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e	दिनों की संख्या	4–6		
f	अन्य सूचनाएं/जानकारी			





चरम मौसम की घटनाएं

30 सूखा						
a	सूखे की घटना Nil	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में सूखा देखा गया	-	-	-	-	-
c	सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	-	-	-	-	-
31 बाढ़						
	बाढ़ की घटना Nil	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में बाढ़ देखा गया	-	-	-	-	-
c	बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	-	-	-	-	-
32 भूस्खलन						
a	भूस्खलन की घटना Nil	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में भूस्खलन देखी गई	-	-	-	-	-
c	भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर	-	-	-	-	-





	प्रभाव-2					
33	ओलावृष्टि					
a	ओलावृष्टि की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में ओलावृष्टि हुई	-	-	-	-	-
c	ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
34	फसलों के कीट/बीमारी					
a	कीट/बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में कीट/बीमारी को देखा गया?	सितंबर ब्लास्ट	अक्टूबर फग्स	नवम्बर रिंगकटर	-	नवम्बर झुलसा
c	कीट/बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	निजी सहायता (किसानों द्वारा दवाइयां स्वयं खरीद कर प्रयोग की जाती है)				
d	कीट/बीमारी की आवृत्ति : कीट बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	अतिरिक्त जानकारी/सूचनाएं	धान में झुलसा ,गन्ना में ब्लास्ट				

35	ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी				
		ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा प्रबन्धन/तैयारी के उपाय उपलब्ध हैं?		क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच/उपलब्धता है?	
	आपदा तैयारी के उपाय	हां	नहीं	हां	नहीं
	ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	पूर्व चेतावनी प्रणाली/मौसमी चेतावनी प्रणाली/कृषि चेतावनी प्रणाली	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	आपातकाल अनाज बैंक	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	अन्य	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



36		अनाज भण्डारण	
	a	ग्राम पंचायत के आपातकालिन खाद्य/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?	
		अनाज (विवरण दें)	नहीं
		तेल	नहीं
		चीनी	नहीं
		अन्य खाद्य पदार्थ – उल्लेख करें	–
	b	क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	नहीं

37		ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत	
		स्थानीय कृषि अधिकारी	नहीं
		समाचार पत्र/समाचार/रेडियो	समाचार पत्र/समाचार/रेडियो
		मोबाईल फोन/एप	मोबाईल फोन/एप
		मौखिक	नहीं
		कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्र	नहीं
		पशुपालन विभाग	नहीं
		उद्यान विभाग	नहीं
		अन्य	नहीं

कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)							
38		फसल हानि					
	a	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु/मौसम खरीफ (1) रबी(2) जायद/अन्य ऋतु (3)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटनाक्रम— गर्मी, ठण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टी आदि	अनुमानित हानि की मात्रा (कुन्तल) (औसत रु0)	परिणाम स्वरूप आय में हानि (औसत रु0)
		प्रथम वर्ष (2022)	3 जायद/अन्य ऋतु	गन्ना	ब्लास्ट रोग	200 कून्तल एकड	65000
		द्वितीय वर्ष (2021)	3 जायद/अन्य ऋतु	गन्ना	ब्लास्ट रोग	170 कून्तल एकड	55000





	तृतीय वर्ष (2020)	3 जायद/अन्य ऋतु	गन्ना	ब्लास्ट रोग	190 कून्टल एकड	60800
	चतुर्थ वर्ष (2019)	3 जायद/अन्य ऋतु	गन्ना	ब्लास्ट रोग	215 कून्टल एकड	67410
	पंचवां वर्ष (2018)	3 जायद/अन्य ऋतु	गन्ना	ब्लास्ट रोग	205 कून्टल एकड	64575
b	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हां	नहीं			
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी— बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि) फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?	फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है। जागरूकता का अभाव है				






39 फसल पद्धति में बदलाव					
a	सामान्य फसल	खरीफ	रबी	जायद/अन्य ऋतु	
b	फसल का नाम	पारम्परिक बोआई का समय	विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है/देखा है	अभी बोआई का समय	परिवर्तन के कारण
	धान	जून का दूसरा और तीसरा सप्ताह	जून - जुलाई	जुलाई का अन्तिम सप्ताह	वर्षा न होने के कारण
	गेहूँ	अक्टूबर	अक्टूबर - नवम्बर	नवम्बर-दिसंबर	वर्षा होने के कारण
	सरसों	अक्टूबर	अक्टूबर	सितंबर का द्वितीय सप्ताह	-
c	अन्य सूचना/जानकारी (विलुप्त फसल/प्रजाति आदि उल्लेख करें)	मक्का की खेती			

40 सिंचाई प्रणाली/पद्धति में परिवर्तन					
a	फसल का नाम	वर्तमान में सिंचाई पद्धति का उपयोगफव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया/एकड़)	पूर्व में सिंचाई विधि/पद्धति का उपयोग (रुपया/एकड़)	पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया/एकड़)
	धान	(4), वर्षा आधारित (6) पम्पिंग सेट के माध्यम से सिंचाई करते हैं	2500	रहट कुआं	1500





	गेंहू	(4), वर्षा आधारित (6) पम्पिंग सेट के माध्यम से सिंचाई करते हैं	1800	रहट कुआं	1200		
	b	ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की संख्या	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	सौर पम्प	पारम्परिक सिंचाई विधियां	
		205	0	0	वर्षा	पम्पिंग सेट	
	c	अन्य सूचनाएं/जानकारी अगर कोई है					
41 पशु पालन/पशुधन							
	a	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां श्रेणी : डेयरी (1) मुर्गी पालन (2) मत्स्य पालन (3) सूअर पालन (4) मधुमक्खी पालन (5) अन्य- स्पष्ट करें (6)	ग्राम पंचायत में पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां नहीं हैं, यहां के निवासी अधिकतर फेरी का कार्य करते हैं	ग्रामीण का जीविका का मुख्य साधन दरी, चादर, कपड़े, चप्पल, आदि का फेरी करना है			
	b	डेयरी पर प्रभाव	पशु हानि गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
		प्रथम वर्ष (2022)	निल	निल	निल	निल	निल
		द्वितीय वर्ष(2021)	निल	निल	निल	निल	निल
		तृतीय वर्ष (2020)	निल	निल	निल	निल	निल
		चतुर्थ वर्ष(2019)	निल	निल	निल	निल	निल



	पंचम वर्ष(2018))	निल	निल	निल	निल	निल	निल
	अन्य जानकारी / सूचनाएं						
c	मुर्गी पालन पर प्रभाव	पक्षी हानि मुर्गी (1) बत्तख (2) अन्य (3)	पक्षी हानि की संख्या (प्रत्येक पक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम / ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)	निल
	प्रथम वर्ष (2022)	निल	निल	निल	निल	निल	निल
	द्वितीय वर्ष(2021)	निल	निल	निल	निल	निल	निल
	तृतीय वर्ष (2020)	निल	निल	निल	निल	निल	निल
	चतुर्थ वर्ष(2019)	निल	निल	निल	निल	निल	निल



V. कृषि व पशुपालन

प्रमुख उगाई जाने वाले फसलें व सम्बन्धित सूचनाएं/जानकारी													
42	a	उर्वरक उपयोग			कीटनाशक उपयोग			खरपतवारनाशी					
		उर्वरक के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	कीटनाशकों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	खरपतवार नाशी के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये खरपतवार की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)			
		धान	गर्मी	5025	यूरिया, डाई, जिंक, सल्फर	100 किलो यूरिया, 30 किलो डाई	वृद्धि (1)	कराटे, पर्युराडॉन	200 एम 1/, एकड़, 200 ग्राम/एकड़	200 एम 1/, एकड़, 200 ग्राम/एकड़	2-4 दिन	250 एमएल/एकड़	1
		उड़द	गर्मी	4025	यूरिया, डाई, जिंक, सल्फर	100 किलो यूरिया, 30 किलो डाई	वृद्धि (1)	कराटे, पर्युराडॉन	200 एम 1/, एकड़, 200 ग्राम/एकड़	200 एम 1/, एकड़, 200 ग्राम/एकड़	-	-	-
	b	क्या ग्राम पंचायत में फसल अवशेष	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	जलाये गये खेतों का कुल क्षेत्रफल	क्या यह फसल अवशेष पूर्व में	अगर नहीं तो, कब से जलाना आरम्भ किया	क्या फसल अवशेष प्रबन्धन की योजनाओं को जानते/जागरूक है?					



43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां				
फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (रु0/कुन्तल)	बिक्री हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित/सत्यापित
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य/जीरो बजट प्राकृतिक खेती)				
फसल	स्थायी गतिविधियां (शून्य जुताई, मल्लिचिंग, फसल चक्र, अन्तःफसलें, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसले, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जैव पदार्थ में वृद्धि आदि)	क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति फसल प्राप्त आय (रुपया)	
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil



46 अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक				
पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त/उत्पादित आय प्रति पशुधन/मासिक	
गाय (देशी नस्ल)	26	पशुआहार	1270 /-	
गाय (संकर नस्ल)	0	-	0	
भैंस (देशी नस्ल)	188	पशुआहार	4400 /-	
भैंस (संकर नस्ल)	0	-	0	
बकरी	846	पशुआहार	7000 /-	
सुअर	58	पशुआहार	1200 /-	
मुर्गी	2430	पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार	9500 /-	
मत्स्य	0	-	0	
अन्य				

VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

47 जल की गुणवत्ता (पेयजल या नल जल से आपूर्ति परिवार)							
a	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त				
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
b	जल का स्वाद कैसा लगता है?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
c	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या हैं?	नमकीन	गन्दा	मटमैला	बालू/कीचड़	गन्ध	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
d	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन/फिटकरी मिलाकर	सौर शुद्धीकरण	क्ले वेसल फिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपया उल्लेख करें)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





48 टोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्रबन्धन							
a	अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ/कचरा	सब्जी के छिलके अन्य रसोई सम्बंधित कचरा 2-2.5 किलो					
b	आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ/कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?	कूड़ेदान वेन					
c	कचरा संग्रह कितनी बार होता है?	<input checked="" type="checkbox"/> प्रतिदिन	<input type="checkbox"/> साप्ताहिक	<input type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन			
		हां	नहीं				
d	क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहां कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हां तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ग्राम पंचायत से दूरी/ग्राम पंचायत में अवस्थिति		500 मी0	
e	क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
f	क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
g	आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुनःचक्रमण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

49 खुले में शौच मुक्त स्थिति			
a	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	<input checked="" type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं
b	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	सामुदायिक शौचालय/इज्जत घर की संख्या	2	<input type="checkbox"/>
d	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?	हाँ	
e	अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का अभाव, बहुत दूर आदि)	निल	





50	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियां	गंदा नाला
a	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	100 –150 ली	10000	0	0	6000
c	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो—	नहीं				
d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई है तो—	नहीं				

51	स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा			
	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
a	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	337 वर्गमीटर
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c	उपस्वास्थ्य केन्द्र	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50 वर्गमीटर
d	आंगनवाड़ी	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 वर्गमीटर
e	आशा	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
f	स्वास्थ्य कैम्प/मेला	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
g	डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

52	रोग/बीमारी								
	विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी/रोग से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?	प्रभावित कुल व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित आयु समूह			सामान्य उपचार का विकल्प			
			प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित व्यवस्कों की संख्या	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (उल्लेख करें)	घरेलू देखभाल	घर-घर जाने वाला	अन्य (उल्लेख करें)
a	वेक्टर-जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	65	07	55	03	सरकारी एवं निजी क्षेत्र	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b	जल-जनित रोग (हैजा/डायरिया/टाईफाइड/हैपेटाइटिस आदि)	41	1	24	16	सरकारी एवं निजी क्षेत्र	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	





c	श्वास सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	138	14	93	31	सरकारी एवं निजी क्षेत्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d	कुपोषण	निल					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

VII. उर्जा

53		
a	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं	2231
b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या	
	ए0सी0	110
	एयर कुलर	1563
	रेफ्रिजरेटर/ फ्रीज	1321

54	विद्युत कटौती की आवृत्ति	
a	दिन में कुछ बार	<input checked="" type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	विद्युत कटौती नहीं	<input type="checkbox"/>
b	प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	(8-9 घण्टे) 12 से 14 घण्टे ही प्रतिदिन रोस्टर के अनुसार ही सप्लाई है
	यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	(56-63 घण्टे)

55	वोल्टेज अस्थिरता/ उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?	
	दिन में कुछ बार	<input type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	अस्थिरता/ उतार-चढ़ाव नहीं	<input type="checkbox"/>

56	पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या
	डीजल चलित जेनरेटर	126
	सौर उर्जा	409





इमरजेंसी लाईट	812
इन्टवर्ट्स	1269
अन्य साधन (उल्लेख करें)	0

57 नवीकरणीय/अक्षयऊर्जा के स्रोत			
a	क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)
	घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	409 श्रम विभाग के सहयोग से श्रमिकों के घरों पर लगे हैं	296 किलोवाट
	विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	0	0
	चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	0	0
	ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	0	0
	अन्य सौर उर्जा स्थापना	0	0
	सौर स्ट्रीट लाईट	0	0
	बायोगैस	0	0
	विकेन्द्रित नवीनीकरण उर्जा/मिनी ग्रीड	0	0
b	क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख करें)	अपूर्ण जानकारी है	

58	भोजन बनाने हेतु प्रयुक्त ईंधन	परिवारों की संख्या	प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/महीना)
	पारम्परिक जलौनी (उपले/जलौनी लकड़ी)	409	296 किलो
	बायोगैस	0	0
	एलपीजी गैस	1371	15-17
	विद्युत	120	55 किलोवाट
	सौर उर्जा	17	7 किलोवाट





	अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि)	0		0
59 वाहन की संख्या				
	वाहन के प्रकार	ग्राम पंचायत में वाहन संख्या (अनुमानित)	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	जीप	0	0	0
b	कार	231	डीजल, पेट्रोल	30-35
c	दो पहिया वाहन	2627	पेट्रोल	15-20
d	विद्युत चालित वाहन	0	0	0
e	आटो	5	सी0एन0जी	50
f	ई-रिक्शा	81	इलैक्ट्रानिक	55
g	अन्य (टाटा मैजिक, जंगाडू)	47	डीजल	170

60	कृषि यंत्र	ग्राम पंचायत में कृषि यंत्रों/मशीनों की संख्या	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	टैक्टर	22	डीजल	10 किमी /दिन, जुताई, घरेलू प्रयोग हेतु
b	कम्बाईन हारवेस्टर			
c	अन्य (कृपया उल्लेख करें)			

61	ग्राम पंचायत में अवस्थित पेट्रोल पम्प (अगर कोई है)										
	ईंधन के प्रकार	प्रतिदिन की बिक्री	पम्प से आपूर्ति वाले गांव की संख्या	कितने प्रकार के वाहन एक दिन/महीना में पेट्रोल पम्प से ईंधन लेते हैं? (समय/ अवधि का उल्लेख करें)							
				टैक्टर	कृषि यंत्र	जीप	कार	दो पहिया वाहन	आटो	ई-रिक्शा	अन्य
a	-	Nil	-	-	-	-	-	-	-	-	-





b										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

62 औद्योगिक इकाई				
	उद्योग के प्रकार	संख्या	उर्जा के स्रोत: ग्रिड विद्युत (1), डीजल जनरेटर (2), नवीनीकरण/अक्षय उर्जा (3)	उर्जा की खपत प्रति माह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईंधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन)
	राइस इण्डस्ट्रीज	02	1,2 विद्युत, डीजल जनरेटर	900 किलोवाट 400 लीटर प्रतिदिन
	बीज सीड्स	01	1,2 विद्युत, डीजल जनरेटर	400 किलोवाट 120 लीटर प्रतिदिन
	आटा चक्की	11	1,2,3 विद्युत, डीजल जनरेटर अक्षय उर्जा	500 किलोवाट 135 लीटर प्रतिदिन



अनुलग्नक III: एचारवीसेए (HRVCA) रिपोर्ट



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना

ग्राम पंचायत-पीपलसाना

विकास खण्ड – भगतपुर टांडा

जनपद- मुरादाबाद

खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण

जलवायु परिवर्तनशीलता – प्रवृत्ति/परिवर्तन, मुख्य चुनौतियां/ झटके एवं तनाव

ग्राम पंचायत पीपलसाना जनसंख्या के दृष्टिकोण से जनपद मुरादाबाद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। इसमें सभी मौसम, सर्दी, गर्मी, एवं बरसात का प्रभाव रहता है। दो दशक पूर्व सर्दी नवम्बर माह से फरवरी-मार्च तक पड़ती थी किन्तु अब सर्दी देर से शुरू हो रही है, दिसम्बर माह में सर्दी शुरू हो रही है और फरवरी के मध्य ही समाप्त हो जाती है। पहले बरसात मई माह से अगस्त माह तक एक दो दिन के अंतर पर होती रहती थी, सितम्बर में भी बारिश हो जाती थी। किन्तु वर्ष 2022 में बरसात के मौसम में जून-जुलाई में बारिश हुई ही नहीं और अगस्त माह में एक-दो दिन में ही अधिक वर्षा हो गई फिर कई दिनों तक बारिश नहीं हुई जिससे सूखा जैसी स्थिति बन गई। खेती-किसानी करने वाले लोगों से पता चला कि आज से 20 वर्ष पहले धान की फसल में उन लोगों को केवल एक सिंचाई करना पड़ती थी किन्तु 2022 में धान की फसल में तीन बार सिंचाई करना पड़ी है। गांव के लोगों ने बताया कि पहले गर्मी मई-जून से लेकर अगस्त तक होती थी। किन्तु अब गर्मी 10 मार्च के शुरू से सितम्बर तक रहती है।

विभिन्न प्रक्रिया के तहत पी0आर0ए विधियों का उपयोग करते हुए विभिन्न टूल्स के माध्यम से सम्पादित की गई, गतिधियों से प्राप्त सूचना एवं प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर जलवायुगत आपदा खतरा जोखिम प्रोफाइल में अपेक्षित सूचनाओं का संकलन किया गया। आपदा-खतरा जोखिम प्रोफाइल से संबंधित सुचनाएं निम्नवार हैं-

1. गांव को प्रभावित करने वाली आपदाओं की पहचान करना एवं इनका प्राथमिकीकरण

समुदाय के साथ उन आपदाओं के बारे में विस्तृतरूप से चर्चा व विचार-विमर्श किया गया जिनसे उनकी दैनिक दिनचर्या, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं साफ-सफाई आदि प्रभावित होते हैं। चर्चा के आधार पर आपदाओं की एक सूची प्राप्त हुई। इस सूची में सम्मिलित आपदाओं के प्रभाव को एवं इनसे उत्पन्न समस्याओं की तुलनात्मक अध्ययन को देखते हुए उनको प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध किया गया। इस गांव की मुख्य आपदा जलजमाव और मिट्टी का खनन है। इससे खेती, आजीविका, स्वास्थ्य एवं पेयजल, साफ-सफाई आदि में जोखिम की संभावना बढ़ जाती है।

आपदा का नाम	जन0	फर0	मार्च	अप्रै0	मई	जून	जुला0	अग0	सित0	अक्टू0	नव0	दिस0
जलजमाव												
लू												
शीतलहर												
आधी तूफान												
ओला-पत्थर												

आपदा का ऐतिहासिक मानचित्रण, मौसमी कैलेण्डर बनाने से एवं समुदाय से हुई चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि कम दिनों में अधिक वर्षा, वर्षा विहीन दिनों की संख्या में वृद्धि तथा चरम पर तापमान पहुंचने से बहुत सारी समस्याओं का सामना गांव वालों को करना पड़ रहा है। ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया गया कि वर्ष 2011 में माह सितम्बर में डेला नदी में बाढ़ भी आयी थी, जिसका पानी अन्दर बस्ती में भी घुस आया था जिसमें मैथे एवं धान की फसल नष्ट हो गयी थी, जिससे लोगो का काफी आर्थिक नुकसान हुआ था। इसी तरह वर्ष 1993 एवं 1979 में भी बाढ़ आयी थी।

जलजमाव, मिट्टी का खनन और वायु प्रदूषण इस ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या है। जो प्रत्येक वर्ष समुदाय के आवागमन, खेती एवं मजदूरी को पूरी तरह प्रभावित करती है। साथ ही मई-जून में अत्याधिक गर्मी का पड़ना, सामान्यतः मानसून के दिनों में जून-जुलाई में वर्षा का न होना, कम होना आदि सूखा पड़ने के संकेत विगत कई वर्षों से प्रतीत हो रहे हैं जिसका दूरगामी प्रभाव सिंचाई, पेयजल, खाद्यान्न उत्पादन एवं पशुपालन के चारे का संकट पूरे वर्ष झेलना पड़ रहा है। पिछले 10 वर्षों से प्रत्येक वर्ष खरीफ की फसल जलजमाव व सूखे से प्रभावित हो रही

है। वहीं दूसरी तरफ रबी की फसल में आंधी-तूफान एवं ओला पत्थर, पाला, तेज गर्मी एवं लू के कारण कम पैदावार की संभावना भी बहुत अधिक बनी रहती है। शीतलहर से ग्रामीण अंचलों में फेरी करने वाले लोग सामान बेचने के लिए नहीं निकलते हैं जिसके कारण उनको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है।

जलवायु परिवर्तन जनित आपदा के जोखिम/खतरों का मानचित्रण एवं आंकलन

उपरोक्त आपदाओं के आधार पर होने वाले नुकसान, संभावित जोखिम, समुदायिक संसाधनों पर पड़ने वाले अनुमानित प्रभाव एवं उनसे प्रभावित समुदाय, संसाधन आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गयी। यह जानकारी समुदाय के सभी वर्गों महिला, पुरुष, दलित एवं वंचित समुदाय की सक्रिय भागीदारी से प्राप्त की गयी है।

आपदाओं का ग्राम पंचायत पीपलसाना के पर्यावरण, बुनियादी एवं आधारभूत संरचना के साथ ही मानवजीवन, आजीविका, एवं स्वास्थ्य आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जलजमाव, शीतलहर एवं लू आदि आपदाओं का पीपलसाना ग्राम पंचायत के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों पर इनके विभिन्न प्रकार से जोखिम की संभावना बनती है। इस गांव के लोगों ने माना है कि जोखिमों से उन्हें प्रतिवर्ष तरह-तरह के नुकसान सहना पड़ता है जो निम्न प्रकार हैं-

खतरा एवं जोखिम विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएं

क्रम	आसन्न आपदा/खतरा	संभावित जोखिम का क्षेत्र	संभावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र			
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन
1.	जलजमाव	पेयजल	पेयजलकादूषितहोना, जलजनितबीमारी का जोखिम	सम्पूर्ण ग्राम पंचायत	250 घर	37 उथले निजी हैण्डपम्प का जलस्तर दूषित
		स्वच्छता	ठोस अपशिष्ट बहकर फैल जाना	पूरा गांव	2385	सड़क, खड़न्जा, इन्टरलॉकिंग
		स्वास्थ्य	जलजनित बिमारियों (टाइफाइड, डायरिया, दस्त आदि) का होना	पूरा गांव	1079 घर	32 लोग, प्रभावित
		शिक्षा	कोरोना कारण विद्यालय, में उपस्थिती कम होना।	पूरा गांव	2385 घर	सड़क, विद्यालय भवन एवं परिसर, मैं सीवेज
		सामाजिक सुरक्षा	वृद्धजन, बच्चों, विकलांग, महिलाओं के गिर जाना/घायल हो जाना	पूरा गांव	2385 घर	सड़क, टूट जाना आवागमन बाधित
		कृषि	खरीफ की फसल का नुकसान, धान की नर्सरी का नुकसान, रबी की फसल की बुआई में विलम्ब, बीमारियों एवं कीट का प्रकोप	-	250 खेतीहर घर	30-35 एकड़ खेता में जलजमाव,
		उद्यान/सब्जी उत्पादन	पेड़-पौधों एवं सब्जी फसल खराब हो जाना।	-	150 घर	1000 पेड़-पौधे 10-15 एकड़ सब्जी
		पशुपालन	पशुउत्पाद का कम होना, बीमारी आदि का प्रकोप	-	250 घर	गाय, भैंस एवं बकरीपालन जल जलाव के कारण पुष्टाहर एवं चारा सही रूप से नहीं मिल पाता है।
	आजीविका	स्थानीय स्तर पर मजदूरी न मिलना	510 जॉबकार्ड धारी	-	-	

		जल निकाय	जलनिकायों में गंदा पानी भरना	पूरा गांव	—	2.5 एकड़ जलनिकायों में गंदा पानी भरना
		खुले क्षेत्र	खुले में खरपतवार, घासपात की अधिकता कीट-पतंगों का प्रकोप			1.5 एकड़ खुले में खरपतवार, घासपात की अतिधिकता
2.	लू	स्वास्थ्य	मानव एवं पशुओं को लू लगना, स्वास्थ्य खराब होना, टीकाकरण में बाधा	पूरा गांव	2385 घर	स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होना, पेयजल संकट चारा का सूख जाना
		शिक्षा	बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित 1494 बच्चे पंजीकृत	पूरा गांव	680 बच्चें	शिक्षा बाधित
3.	शीतलहर	स्वास्थ्य	मनव एवं जानवरों को ठण्ड लगना।	पूरा गांव—बुजुर्गों सांसा की बीमारी में वृद्धि	2385 घरों के बुजुर्ग एवं बच्चें	शीतलहर के प्रकोप से मानव स्वास्थ्य हानि
		कृषि	शीतलहर से फसलों को नुकसान	—	—	खेत
		पशुपालन	पशु क्षति खेत में फसल का नुकसान	पूरा गांव	250 पशुपालक घर	प्रत्येक वर्ष 7 या 8 बकरियों की हाइपोथर्मिया (श्वंस सम्बन्धी रोग) के कारण मृत्यु

आजीविका के साधनों पर आपदा का प्रभाव

इस क्षेत्र के आजीविका का मुख्य साधन मजदूरी, फेरी करना, मुरादाबाद पीतल के कारखानों में कार्य करना मजदूरी ठेकेदारी आदि, कृषि, कृषिगत मजदूरी एवं पशुपालन है। जलजमाव/बाढ़ के दौरान आजीविका हेतु लोग पलायन करते हैं। आजीविका के साधन आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं जिससे संबंधित सुचनाएं संकलित कर संलग्न की गई है।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या— 05 देखें।

2. नाजुकता विश्लेषण

आपदाओं का बार-बार सामना करने से उससे प्रभावित समुदाय सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। समुदाय ग्राम पंचायत को आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बनाने की दिशा में नाजुक समुदाय, नाजुक संसाधन, नाजुक स्थल आदि को जानना अति आवश्यक था। इसे जानने के लिए पुनः समुदाय, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहयिकाओं, नेहरू युवा मण्डल आदि की मदद से नाजुक वर्ग; जाति, लिंग, उम्र, आयु के आधार पर गांव में नाजुक स्थल, एवं आपदा के कारण प्रभावित होने वाले ग्राम पंचायत में स्थित संसाधनों एवं उनकी संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी।

1. जलजमाव

जलवायु परिवर्तन और आपदा के प्रभावस्वरूप पीपलसाना ग्राम पंचायत में जल-जमाव एवं मिट्टी खनन मुख्य समस्या है। इस ग्राम पंचायत के उत्तर-पश्चिम में तालाब स्थित है, जो कि 8 बीघा में फैला है और गाद से पटा हुआ है। बरसात के दौरान समपूर्ण गांव का वर्षाजल इस तालाब में एकत्रित होता है जो नहर के द्वारा ढेला नदी में मिल जाता है। नहर, ग्राम पंचायत पीपलसाना के पश्चिम भाग में है जो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर निकलती है। इस नहर पर अतिक्रमण के कारण इसका स्वरूप एवं ढलान बिगड़ गया है। बरसात में अत्यधिक वर्षा व जलभराव होने एवं नहर की उपयुक्त गहराई नहीं होने से इसका अधिकांश पानी ग्राम पंचायत पीपलसाना की भूमि एवं गांव में फैल जाता है। नहर के 200 मी० उत्तर में ढेला नदी भी बहती है, ढेला नदी से ग्रामीणों द्वारा मकान निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु बालू का खनन भी किया जाता है। काशीपुर उत्तराखण्ड एवं ठाकुर द्वारा की औद्योगिक इकाईओं से निकलने वाला अपशिष्ट जल इसी नदी में आता है जिसके कारण नदी काफी प्रदूषित है।

2. लू

लू दूसरे नम्बर पर गांव को प्रभावित करने वाली आपदा है। समुदाय के साथ चर्चा से यह निकल कर आया कि गर्मियों के दिनों में 15 मई से 30 जून तक तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है व गर्म हवाएं चलने लगती हैं।

इससे समुदाय में स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानव एवं पशुओं को लू लगने से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। विशेषकर बच्चों एवं बुजुर्गों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं, विशेषकर छोटे बच्चों के स्कूल जाने एवं खेलकूद आदि के साथ साथ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ भी आती हैं। पशुओं को चारा एवं पेयजल हेतु पानी की समस्या होती है। लू के कारण फेरी करने वाले लोग फेरी के लिए सुबह एवं शाम में ही निकलते हैं जिसके कारण उनको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है।

3. शीतलहर

शीतलहर गांव को प्रभावित करने वाली तीसरे नम्बर की आपदा है। सर्दियों के मौसम में 15 दिसम्बर से 25 जनवरी तक शीतलहर का प्रभाव रहता है। शीतलहर मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य के साथ कृषि को भी प्रभावित करता है।

शीतलहर के प्रभाव से प्रत्येक वर्ष पशुपालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। शीतलहर में ठण्डी से औसतन प्रत्येक वर्ष 7-8 बकरियों की मृत्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी।

गाय-भैंसों के दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। शीतलहर के कारण कृषि-कार्य, मजदूरी, आदि आजीविका प्रभावित होती है। बच्चों में निमोनिया, खांसी एवं दस्त की समस्या हो जाती है। व्यस्कों एवं बुजुर्गों में श्वास सम्बन्धी समस्याएँ बढ़ जाती हैं, अत्यधिक कोहरे के कारणस्माग (fog with smoke) स्थिति हो जाती है, फसलों पर मुख्यतः आलू, गोभी, सरसों, एवं दलहन पर पाले का प्रभाव पड़ता है, परिणामस्वरूप पौधों की बढ़वार थम जाती है, फसल सूख जाती है। कीट-पतंगों का प्रकोप बढ़ जाता है। जलौनी हेतु महिलाओं को अधिक मेहनत करनी पड़ती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त समुदाय की व्यवहारगत एवं ढांचागत संरचना में कमियां हैं जो कि निम्नवार हैं—

- गांव में समुदाय आधारित संस्थाओं की कमी है। कृषि केन्द्र, बीज केन्द्र, किसान संगठन, सामुदायिक अनाज बैंक, महिला मण्डल, धार्मिक मण्डल, आदि सामाजिक संगठन की कमी हैं। इस कारण आपदा के समय समुदाय को सरकारी एवं बाह्य सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है।
- लोगों में जानकारी एवं जागरूकता का अभाव है, लोगों को कृषिगत, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव है। जिससे समुदाय की नाजुकता अत्यधिक बढ़ जाती है। लोग प्राकृतिक जीविका के साधनों का कम ही उपयोग करते हैं, लोगों की जीविका का मुख्य साधन मजदूरी, फेरी करना, मुरादाबाद पीतल के

कारखानों में कार्य करना मजदूरी, ठेकेदारी आदि करना है, लोग पशुपालन बहुत कम ही करते हैं जिनको नस्ल सुधार, पशुओं का बीमा, फसलबीमा आदि की जानकारी न के बराबर है।

- वैकल्पिक एवं सौर ऊर्जा संबंधित गतिविधियां नहीं है। यहां 81 प्रतिशत से अधिक घरों पर पक्की छत है। जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है। सड़क के किनारे प्रकाश हेतु एवं सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा का प्रयोग की प्रबल संभावना है।
- गांव में सूखा एवं गीला कचरा एक साथ ही इक्कट्टा होकर गलियों, सड़क एवं खड़न्जा आदि के किनारे पड़ा रहता है। लोगों में कचरा प्रबंधन की जागरूकता का अभाव है। परिणामस्वरूपमानसून के दिनों में यह कचरा बहकर जल निकास तंत्र को बाधित करता है एवं जलजमाव की समस्या को बढ़ाता है।
- मानसून के दिनों में जलजनित, मच्छर-मक्खियों जनित बीमारियों की आशंका बनी रहती है। यहां टायफाइड, डेंगू मलेरिया, वायरल फीवर एवं सांस संबंधित बीमारियां होती रहती है।
- गांव में अधिकांशतः मुख्य फसलें गेहूँ सरसों, गन्ना एवं धान ही उगाते हैं, कुछ छोटे किसानों द्वारा गोभी, खीरा, मूली की खेती भी करते हैं, खेती में विविधता, मिश्रित खेती, एवं मिश्रित फसलों एवं कम लागत, स्थाई कृषि आदि से संबंधित गतिविधियां नहीं है। जिससे किसानों को आपदा के समय जोखिम का सामना करना पड़ता है।
- कृषिगत गतिविधियों में उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक का अत्याधिक प्रयोग किया जाता है।
- गांव में गाय, भैस, आदि पशुपालन होने के बावजूद भी गोबर का प्रयोग जैविक खाद एवं कम्पोस्ट खाद बनाने हेतु नहीं करते हैं बल्कि सड़कों के किनारे ढेर लगा देते हैं या कण्डे के रूप में प्रयोग करते हैं।
- ग्राम पंचायत में कुल 16 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है जिसमें से 15 संचालित हैं, लाटूरी शाह दरगाह के पास पूर्व प्रा0 स्वा0 के0 में आंगनवाड़ी भवन बना हुआ है, जो कि पूरी तरह से जर्जर है, इसमें बना शौचालय एवं बरामदा भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। 0-6 साल के 480 बच्चों आंगनवाड़ी केन्द्रों आते हैं, जो कि प्राथमिक विद्यालयों/मदरसों एवं किराये के भवनों में संचालित हैं, जहां विभिन्न स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा सुविधा में समस्या आती है।
- कृषि परामर्श एवं मौसम पूर्वानुमान चेतावनी तंत्र के अभाव है। जिसके कारण समय पूर्व सूचना एवं जानकारी नहीं मिलती है।
- इसी प्रकार कृषि परामर्श एवं मौसम पूर्वानुमान आदि चेतावनी तंत्र के अभाव में यहां के लोगों की नाजुकता में वृद्धि करता है।
- गांव में जनसुविधा केन्द्र के द्वारा सरकार की विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी लोगों को नहीं दी जाती है।
- ग्राम स्तर पर लघु/सूक्ष्म उद्योग-धन्धे स्थापित हैं, यहाँ पर दरी, चादर बुनने एवं टोपी बनाने का पारम्परिक रोजगार है, गांव में डिस्पोजेबल प्लेट्स-प्याली, कुल्हड़ बनाना, रस्सी बनाना, लोहार, बढई भी है, किन्तु उनके द्वारा आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है।
- इलेक्ट्रॉनिक कचरा आस पास के क्षेत्र की प्रमुख समस्या है सीमावर्ती नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर में अधिकांश लोगों द्वारा अवैध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कचरा जलाये जाने से वायु प्रदूषण ग्राम पंचायत की प्रमुख समस्या है।

4. क्षमता विश्लेषण

आपदाओं के सन्दर्भ में गांव को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की दृष्टि से गांव स्वयं में कितना सक्षम हैं, इसकी जानकारी हेतु समुदाय के साथ मीलकर समग्र ग्राम पंचायत का क्षमता आकलन किया गया। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली आपदाओं एवं खतरों से गांव के साथ ही आस-पास उपलब्ध संसाधन भी प्रभावित होते हैं। यह संसाधन भौतिक, पर्यावरणीय एवं मानव संसाधन के रूप में उपलब्ध होते हैं। इनकी पहचान होने से आपदा के खतरों से निपटने में आसानी होती है अर्थात् यह संसाधन आपदा जोखिम न्यूनीकरण करने में मददगार होते हैं।

ग्राम पंचायत पीपलसाना मुरादाबाद-टीहरी राष्ट्रीय राज मार्ग के किनारे दक्षिण की ओर स्थित है, जिला मुख्यालय के नजदीक होने के कारण विकास के मुख्यतः सभी कार्य हुए हैं। इस गांव में ग्रामीणों की सुविधा के लिए सामुदायिक शौचालय, बच्चों के शिक्षा हेतु दो प्राथमिक विद्यालय, दो निजी विद्यालय हैं। ग्राम पंचायत में तीन निजी इण्टर कॉलेज एवं एक निजी डिग्री कॉलेज भी है लोगों के आवागमन हेतु गांव में पक्की सड़क, इन्टरलाकिंग मुख्य सड़कें हैं। ग्राम पंचायत पीपलसाना में अधिकांशतः लगभग 81 प्रतिशत पक्के मकान हैं। इन्हीं मुख्य सड़कों के बीच में जल निकासी हेतु चैम्बर बने हैं, जो 80 प्रतिशत टूटे हुए हैं। कई स्थानों पर सड़क भी टूटी हुई है जिसके कारण वर्षा के दिनों में आवागमन में समस्या होती है। चैम्बर टूटे होने के कारण जलनिकासी भी बाधित है। सुरक्षित पेयजल हेतु ग्राम पंचायत भवन के उत्तर पश्चिम तरफ एक पानी की टंकी है जिससे पूरे गांव के सभी मौहल्लों में पानी की सप्लाई है। गांव में सामुदायिक जल आपूर्ति हेतु 11 टॉंटी भी है। घरों में भी पानी की सप्लाई है। इसके साथ ही 72 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प भी पेयजल हेतु गांव में उपलब्ध हैं। छह तालाब है जिसमें सिर्फ 01 में ही पानी रहता है अन्य सभी जल विहीन हैं। जिनका क्षेत्रफल 4.5 एकड़ के आस पास है जिनको पुनः जीवित कर उनका सौन्दर्यकरण कर जल संरक्षण किया जा सकता है। जहां पर किसी प्रकार के वृक्ष एवं बगीचा नहीं है।

सुविधा संसाधन मानचित्र से लिए गये आंकड़े एवं तथ्य

ग्राम पंचायत में संसाधनों के सन्दर्भ में किये गये क्षमता आकलन को तीन भागों में विभक्त किया गया, जिसमें गांव में उपलब्ध भौतिक एवं पार्यावरणीय संसाधनों को सामाजिक मानचित्रण एवं सुविधा मानचित्र पर अंकित किया गया, जबकि मानव संसाधन के बारे में समुदाय के साथ चर्चा कर सूचनाएं प्राप्त की गयीं, जो निम्न प्रारूप पर दर्ज हैं-

भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं गांव से दूरी

विवरण	संख्या	संपर्क व्यक्ति का नाम एवं दूरभाष संख्या	गांव से दूरी
प्राथमिक विद्यालय	02	श्री विजेन्द्र सिंह -9759094406	0.3किमी
पूर्व माध्यमिक विद्यालय (प्राइवेट विद्यालय)	01	शाहनावाज	0.2किमी
इंग्लिश मीडियम विद्यालय(निजी)	01		0.9किमी
पंचायत भवन	01		0.0किमी
इण्टर कॉलेज(निजी)	03		0.0 किमी
सरकारी राशन कार्ड की दुकान	10	श्री तहसीनुल हक 8899158301	0.0किमी
		मौ0 हनीफ 9758962901	0.0 किमी
		अबदुल कदीर 9758719851	0.0 किमी
		श्रीमती जासमीन परवीन 9837584793	0.0 किमी
		नबाबुल हसन 9837032782	0.0 किमी
		साबिर हुसैन 9557687815	0.0 किमी
		मौ0 फैजान 9557127098	0.0 किमी
		मौ0 अनीस 9719595814	0.0 किमी
		इरफान 9759163493	0.0 किमी
		मौ0 जुबैर 9719814139	0.0 किमी
थाना भोजपुर	01		1.5किमी
कचहरी, मुरादाबाद	01		16किमी
जिला चिकित्सालय एम्बुलेंस व्यवस्था	01	102, 108	16किमी
विकासखण्ड कार्यालय भगतपुर	01		1.5किमी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपलसाना	01		1.5किमी
तहसली मुरादाबाद	01		16 किमी

आपदा विभाग मुरादाबाद	01		16 किमी
पोस्ट ऑफिस, पीपलसाना	01		2.0किमी
बिजली विभाग पीपलसाना	01		1.0किमी
डिग्री कॉलेज(निजी)	01		1.5किमी
फायर स्टेशन	01	101	18 किमी
बिजली विभाग	01		0.2किमी
बस स्टेशन	01		1.0किमी
रेलवे स्टेशन पीपलसाना	01		2.5किमी
खाद बीज, दवा केन्द्र	01		16किमी
बाजार	01		0.3किमी
बैंक	01		0.5किमी

प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता संख्या एवं दूरी

क्रमांक	संसाधन /	संख्या	विवरण / नाम / संपर्क संख्या	दूरी
पर्यावरणीय संसाधन				
1.	तालाब	06	चामुण्डा, पुराना बुध बाजार, लगंडे जमील का तालाब, लडडन का तालाब, मीलक पीपलसाना में चमुण्डा का तालाब, शर्मा का तालाब	0.2किमी
2.	कुंआ	0		0.2किमी
3.	इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प	72	—	0.4किमी
4.	बाग	0	—	0.3किमी
5.	नदी	1	ढेला नदी	1.0किमी
6.	कृषिगत क्षेत्र	424 एकड़		
7.	खुला क्षेत्र / सामुदायिक भूमि	3.90 एकड़	2.90एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है।	0.3किमी

मानव संसाधन

1.	ग्राम प्रधान	01	श्री फईम 8650225666	0 किमी
2.	शिक्षक—शिक्षिका	08	श्री विजेन्द्र सिंह 9759094406	0.1 किमी
			श्रीमती संतोषरानी 8630317773	0.1 किमी
			श्री योगेन्द्र सिंह 6395078755	0.1 किमी
			श्री मनोज कुमार 807485595	0.1 किमी
			श्रीमती नीलोफर जबी 9719055804	0.1 किमी
			श्री मो0सुभान 9759542000	0.1 किमी
			श्रीमती रुखसाना 8433077296	0.1 किमी
			श्रीमती गीता	
3.	आंगनवाड़ी (16 स्वीकृत, कार्यरत 15)	15	श्रीमती उजमा परवीन 8410319403	0.0किमी
			रुक्कय्या बानों 6395471295	0.0किमी
			निशात बानों	0.0 किमी
			जेबा अन्जार 9720972070	0.0 किमी
			कहकशा 9760570735	0.0 किमी
			नगमा शाहीन 9970163699	0.0 किमी
			हसीबाअन्जुम 9758981574	0.0 किमी
			हबीबाबेगम 7895592816	0.0 किमी
			मुन्नी 8126765699	0.0 किमी

			रिहाना परवीन 9719448422	0.0 किमी
			नाहिद 7669089571	0.0 किमी
			शबनम जहाँ 8307767186	0.0 किमी
			निशी गुप्ता 8909023880	0.0 किमी
			बबीता 8474910134	0.0 किमी
			रजनी	0.0 किमी
4.	आशा बहू	07	श्रीमती नसीम फातिमा 8006021421	0.0 किमी
			रेनू 9368210470	0.0 किमी
			सलमा 8393898502	0.0 किमी
			गुलशन 9536437492	0.0 किमी
			बानो 95488244625	0.0 किमी
			नाजमा 9675642533	0.0 किमी
			यासमीन 8474989906	0.0 किमी
			नसरीन 9759895566	0.0 किमी
			महजबीनाज 9997433289	0.0 किमी
5.	एएनएम	01	पल्लवी सागर	
6.	प्राइवेट एम0बी0बी0एस चिकित्सक	01	डा0 अन्जार	
7.	प्राइवेट आयुष चिकित्सक	02	डा0 सलमान	
			डा0 अनवर	
8	छोलाछाप डाक्टर	09	मो0 इमरान	
9	भूतपूर्व सैनिक	00		

आपदा के समय सुविधाओं व उपलब्ध संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है यह सुविधाएं आपदा के प्रभाव को कम करने में सहायक होती है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि इन सुविधाओं से समुदाय लाभान्वित हो रहे है कि नहीं और ये सुविधाएं समुदाय की पहुंच में है कि नहीं। संसाधनों से जुड़े तथ्यों की यह पूरी प्रक्रिया समुदाय की सहभागिता के आधार पर पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित होती है जिसका पूरा विवरण संकलित किया गया है।

वित्तीय संसाधन

उपरोक्त के अतिरिक्त गांव के पास वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध हैं। ग्राम पंचायत के पास वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध होने वाले संभावित वित्तीय संसाधनों के विवरण निम्न प्रकार होंगे-

क्रम.	मद	वर्ष 2022-23
1.	15वां वित्त आयोग	1520000
2.	राज्य वित्त आयोग	110000

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायतपीपलसाना की कार्य योजना का निर्माण

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु सभी अभ्यासों को करने के उपरान्त सेक्टरवार जानकारी प्राप्त करने के लिए समूह चर्चा की गयी। इस चर्चा के दौरान ही सभी सेक्टरों अन्तर्गत आने वाले विभिन्न बिन्दुओं की ग्राम पंचायत में वर्तमान स्थिति, उससे सम्बन्धित समस्याएं, उन समस्याओं के निराकरण हेतु विशिष्ट कार्ययोजना के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी उपरोक्त सूचनाओं, तथ्यों एवं ग्रामीणों से चर्चा व विचार-विमर्श के बाद “क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम” अवधारणा के तहत क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत हेतु कार्ययोजना को तैयार किया गया है जिसमें जलवायु परिवर्तन के जोखिम, जोखिम के कारण व समाधान आदि के बारे में संकलन कर तैयार किया गया है। सेक्टरवार क्लाइमेट ग्राम पंचायत पीपलसाना की कार्य योजना तालिका –

क्रम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
1.	सेक्टर 1- मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा – साफ-सफाई एवं स्वच्छता	कचरों से पटे छः तालाब की सफाई, एवं जीणोद्वार	ग्राम पंचायत में सभी छः तालाब की सफाई, खुदाई, सुरक्षा, ,जीणोद्वार एवं संरक्षण	पीपलसाना में चामुण्डा वाला तालाब क्षेत्रफल 0. 79 एकड़,पुराना बुध बाजारवाला तालाब क्षेत्रफल 1.215 एकड़, लगंडे जमील का तालाब क्षेत्रफल 1.00 एकड़, लडडन का तालाब 0.89 एकड़ मीलक पीपलसाना में चमुण्डा का तालाब 0. 212 एकड़, शर्मा का तालाब 0.33 एकड़	35 लाख	6 माह	15 वां वित्त आयोग एवं ग्राम निधि
2.		कूड़ा पात्र रखवना	कूड़ा निस्तारण हेतु 70 कूड़ा पात्र रखवना	मीलक पीपलसाना-20 पीपलसाना 70	1 लाख 40 हजार	4माह	15वां वित्त आयोग एवं ग्राम निधि
3.		शौचालय निर्माण (विकलांग)	विकलांग महिला / पुरुष हेतु शौचालय निर्माण	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	5 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग
4.		जैविक/अजैविक कुड़ा प्रबंधन केन्द्र	3 स्वयं सहायता समूह द्वारा कार्य, ग्राम पंचायत की जमीन में सरचना का निर्माण	पीपलसाना	9 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग
5.		नाडेप जैविक खाद का पिट निर्माण	मृदा को नम बनाये रखने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर 20 वर्मी कम्पोस्ट एवं 30 नाडेप कम्पोस्ट पिट का	मीलक पीपलसाना-04 एवं 5	6 लाख 25 हजार	6 माह	15वां वित्त आयोग/ मनरेग

			निर्माण	पीपलसाना -16 एवं 25				1/कृषि विभाग
6.	हेण्डपम्प रिबोर	पेयजल की उपलब्धता हेतु 27 हेण्डपम्पों को रीबोर कराना 27	पीपलसाना -16 एवं 25	मीलक पीपलसाना- 7 पीपलसाना -20	13 लाख	4 माह	15वां वित्त आयोग	
7.	पानी सफाई हेतु ट्रीटमेंट केन्द्र	गंदे पानी की सफाई हेतु 12 जल उपचार संयंत्र	6 तालाबों पर 06 व नहर पर		30 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग	
8.	जल निकासी हेतु मोटे साइफन को लगवाना	गंदे पानी के गांव से बाहर निकास हेतु मोटे साइफन लगवाना	मीलक पीपलसाना के दो तालाब एवं पीपलसाना के चार के तालाब एवं नहर पर पीपलसाना		50 लाख	5 माह	15वां वित्त आयोग / मनरेग T	
9.	नाला निर्माण	आरसीसी नाला 300 मीटर समशुद्धीन के घर से बहवा घोले तक	पीपलसाना		20 लाख	1 माह बरसात के बाद	15वां वित्त	
10.	नाला निर्माण	आरसीसी नाला 3555 मी0 पुरे गांव	1 डाक्टर अनवार के यहां से भुरे मिया तक 400 मी0 2 मन्दिर से पप्पी सैनी के यहां तक 350 मी0 3 अलीन की दुकान से सरदार मिस्त्री तक 270 मी0 4 नयाब की दुकान के चौक से हाजी रहीस तक 180 मी0 5 तजम्मूल के खेत से लट्टी शाह ट्रांसफार्मर तक 130 मी0 6 भूरा मियां से नोल घय्या तक 500 मी0 7 शोभा के मकान से हाजी बब्बन के प्लाट तक 400 मी0		01 करोड़ 80 लाख	2.5 माह बरसात के बाद	15वां वित्त	

				8 यासीन सलमानी के मकान से जगदीश सैनी के प्लाट तक 320 मी0 9 युनुस मुर्गे वाले के मकान से नोल घय्या तक 220 मी0 10 अन्जारूल के मकान से रिजवानुल हक इण्टर कॉलेज तक 655 मी0 11 राहत के मकान से इशत्याक के मकान तक 130 मी0				
11.	नाला सफाई एवं खुदाई	मोज्जम के मकान से जूनियर हाई स्कूल तक 800 मी0 पन चक्की से नोल घय्या तक 1 किमी0	पीपलसाना	पीपलसाना	10 लाख	6 माह	15वां वित्त	
12.	गंदे पानी के निकासी हेतु संरचना	मुहल्ला कुरेशीयान से टंकी वाले नोल घय्या तक 600 मी0 नाला निर्माण, लड्डन मैलाना के मकान से घास मंडी तक 1 किमी0 100 चैम्बर लोहें के जाल के साथ 20 मी0 दूरी तक नाला निर्माण	पीपलसाना	पीपलसाना	1 करोड़ 70 लाख	6 माह	15वां वित्त	
13.	आंगनवाड़ी केन्द्र का जीर्णोद्धार	1 जर्जर आंगनवाड़ी केन्द्र के भवन (कमरा, शौचालय, पेयजल, बरामदा आदि) का जीर्णोद्धार	पीपलसाना	पीपलसाना	12 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग	
14.	सोख्ता गढ़डा	भूगर्भ जल प्रबंधन हेतु 70 सोख्ता गढ़डा	पीपलसाना, मीलक पीपलसाना	पीपलसाना	25लाख 50हजार	4 माह	15वां वित्त एवं/मनरेगा	
15.	तालाब संरक्षण	3 तालाब का संरक्षण का कार्य (सफाई, चौहदी, चबूतरा, वृक्षारोपण आदि का कार्य)	पीपलसाना, मीलक पीपलसाना	पीपलसाना	30लाख	3 माह	15वां वित्त एवं/मनरेगा /वन विभाग	
16.	तालाब खुदाई, सफाई एवं संरक्षण	तालाब खुदाई, सफाई एवं संरक्षण	पीपलसाना, मीलक पीपलसाना	पीपलसाना	30लाख	3 माह	15वां वित्त एवं/मनरेगा/ वन विभाग	
17.	ढेला नदी तटबन्धी, सफाई एवं संरक्षण	ढेला नदी तटबन्धी, सफाई एवं संरक्षण	पीपलसाना पंचायत क्षेत्र में 2.00 कि0मी नदी का क्षेत्र	पीपलसाना	समय व आवश्यकता नुसार	आवश्यक तानुसार	राज्य सरकार के सहयोगी संस्थान एवं अभिकरण	
18.	सेक्टर 2- सड़क का उच्चीकरण	पूरी ग्राम पंचायत में आरसीसी एवं इन्टरलॉकिंग	पीपलसाना, मीलक	पीपलसाना, मीलक	1 करोड़ 5	6 माह	15वां वित्त	

	बुनियादी / आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण	इन्टरलॉकिंग	लट्टरी शाह से बंदर मैरिज हॉल तक 1 किमी नाला एवं इन्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण	पीपलसाना	लाख	6 माह	एवं/ मनरेगा एवं/ वित्त एवं/ मनरेगा
19.	इन्टरलॉकिंग सड़क का आरसीसी/ इन्टरलॉकिंग	सड़क का आरसीसी/ इन्टरलॉकिंग	नसीम कुरैशी से महरोज के घर तक 400मीटर आरसीसी / इन्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण	पीपलसाना	39लाख	6 माह	15वां वित्त एवं/ मनरेगा
20.	सड़क का आरसीसी/ इन्टरलॉकिंग	सड़क का आरसीसी हेतु संरचना	शमसाद सलाम के घर से रेलवे लाईन तक 800 मीटर नाला निर्माण	पीपलसाना	15लाख	6 माह	15वां वित्त एवं/ मनरेगा
21.	सड़क का इन्टरलॉकिंग	सड़क का इन्टरलॉकिंग	चुन्ना की दुकान से शाही मस्जिद तक 155 मीटर आरसीसी / इन्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण	पीपलसाना	27 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं/ मनरेगा
22.	सड़क का मरम्मत कार्य	सड़क का मरम्मत कार्य	मौ0 उमर की दुकान से हाजी याकूब के घर तक 300 मीटर मरम्मत एवं नाली निर्माण	पीपलसाना	17 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं/ मनरेगा
23.	मेडबंदी कर वृक्षारोपण	मेडबंदी कर वृक्षारोपण	गोरी के घर से इस्तायाक के घर तक 200 मी0 मरम्मत एवं नाली निर्माण	पीपलसाना	15लाख 12लाख	6माह	15वां वित्त एवं/ मनरेगा
24.	सौर ऊर्जा द्वारा प्रकाश की व्यवस्था	सौर ऊर्जा द्वारा प्रकाश की व्यवस्था	1000 छायादार, फलदार एवं टिम्बरवाले वृक्षों का रोपण जाली के साथ पौधों को सुरखा	सभी 6 तालाब, एवं खेतों के आसपास	40 लाख	3 माह	15वां वित्त एवं/ मनरेगा/ वन विभाग
25.	नर्सरी का निर्माण	नर्सरी का निर्माण	500 घरों के छतों पर सौर ऊर्जा के लिए पैनल एवं प्रकाश व्यवस्था (छत का क्षेत्र 8071 वर्ग मी0)	1800 लाभार्थी का घर	36 लाख	3 माह	15 वां वित्त आयोग
26.			प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (छत का क्षेत्र 337 वर्ग मी0)	सम्पूर्ण ग्राम पंचायत	10 लाख	3 माह	स्वास्थ्य विभाग
27.			स्वास्थ्य उपकेन्द्र (छत का क्षेत्र 50 वर्ग मी0) एवं निर्माण	सम्पूर्ण ग्राम पंचायत	10 लाख	3 माह	स्वास्थ्य विभाग
28.			5 समूह के माध्यम से पालीहाउस/नेट हाउस बनाकर नर्सरी तैयार करना	पीपलसाना में पंचायत की जमीन पर 250डेसीमल	1 करोड़	6 माह	मनरेगा
29.	सेक्टर 3-आजीविका, कृषि, पशुपालन	स्थायी पशु आश्रय स्थल	व्यक्तिगत स्तर पर 6-7 पशु की क्षमता वाले 50 पशु आश्रयस्थल का निर्माण	पीपलसाना मीलक पीपलसाना	50 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं/ मनरेगा
30							

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया

वातावरण निर्माण

ग्राम पंचायत पीपलसाना की आगामी वित्तीय वर्षों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण हेतु ग्राम पंचायत के समग्र जन की सहभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से ग्राम प्रधान फईम जी द्वारा दिनांक 13/02/2023 को पूरे ग्राम सभा में लाउडस्पीकर द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 14/02/2023 को प्राईमरी विद्यालय, पीपलसाना पर खुली बैठक आयोजित की जायेगी।

खुली बैठक

ग्राम पंचायत पीपलसाना के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना निरूपण हेतु हितभागियों की ग्राम सभा की खुली बैठक पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार दिनांक 14/02/2023 को प्राईमरी विद्यालय में खुली बैठक का आयोजन किया गया। इस खुली बैठक में ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा, ग्रामीण किसान महिलाएं एवं पुरुष के साथ अन्य बुजुर्ग ग्रामवासी एवं बच्चे उपस्थित हुए। इस में ग्राम पंचायत के सभी वार्डर्स/मजदूरों से कुल 123 लोगों (पुरुष-49, महिला-31 वं बच्चे- 43) ने भाग लिया।



विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 01 देखें।

ट्रान्जेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण)

समग्र ग्राम पंचायत के जलवायुगत आपदा एवं जोखिम को समझने की दृष्टि से खुली बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, पंचायत सचिव 20 स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं एवं समुदाय के सभी वर्गों के लोगों ने ग्राम पंचायत के वार्डों में ट्रान्जेक्ट वॉक किया। सभी वार्ड व मुहल्लों के छह तालाब एवं मीलक पीपलसाना, पीपलसाना में किया गया।



विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 02 देखें।

सामाजिक मानचित्रण

सभी वार्ड व मुहल्लों के भ्रमण के उपरांत ग्राम पंचायत में स्थित खेलकूद मैदान परिसर में ग्रामवासियों के उपस्थिति में सामाजिक मानचित्रण तैयार किया गया, जिसके आधार पर प्राप्त सूचनाएं निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं-

विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत की चौहदी का क्षेत्रफल	251.28	सभी वार्ड व मुहल्ले
कुछ टोलों की संख्या	02	पीपलसाना मीलक पीपलसाना
कुल घरों की संख्या	2355	पीपलसाना मीलक पीपलसाना
कुल पक्के घरों की संख्या	1959	प्रत्येक वार्ड व मुहल्लों में अधिकांशतः पक्के छत वाले मकान है।
कुल कच्चे घरों की संख्या	426	पीपलसाना, मीलक, पीपलसाना वार्ड 1-5,7
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या	209	पीपलसाना, मीलक पीपलसाना
विकलांग जनों की संख्या	111	42 महिला, 69 पुरुष
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	85	सभी वार्ड व मुहल्ले में
इण्डिया मार्का हैण्डपम्प	72	पीपलसाना मीलक पीपलसाना सभी वार्ड सामु0 स्थान व चौराहें पर

जातिगत/ श्रेणीगत विवरण

सामान्य जाति के घरों की संख्या	797
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	1389
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	199
कुल घरों की संख्या	2385

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 03 देखें।

वातावरण निर्माण

ग्राम पंचायत पीपलसाना की आगामी वित्तीय वर्षों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण हेतु ग्राम पंचायत के समग्र जन की सहभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से ग्राम प्रधान फईम जी द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2023 को पूरे ग्राम सभा में लाउडस्पीकर द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 14/02/2023 को प्राईमरी विद्यालयपर खुली बैठक आयोजित की गई है।

खुली बैठक

ग्राम पंचायत पीपलसाना के लिए क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत कार्ययोजना निरूपण हेतु सहयोगियों/हितभागियों की ग्रामसभा की खुली बैठक पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार दिनांक 14/02/2023 को प्राईमरी विद्यालय, पीपलसाना पर खुली बैठक का आयोजन किया गया। इस खुली बैठक में ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा, ग्रामीण किसान महिलाएं एवं पुरुषों के साथ अन्य बुजुर्ग ग्रामवासी एवं बच्चे उपस्थित हुए। इस में ग्राम पंचायत के दोनों टोलों से कुल 123 लोगों (पुरुष-49, महिला-31 एवं बच्चे- 43) भाग लिया।

होने के कारण बरसात में इसका अधिकांश पानी ग्राम पंचायत के कृषिगत भूमि में फैल जाता है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत के वार्ड न0 6 एवं 7 के घरों को भी प्रभावित करता है।

ग्राम पंचायत समितियों का विवरण-

<p>प्रशासनिक समिति अध्यक्ष-श्री मो0 सादिक सदस्य- श्रीमती शारफा बेगम श्रीमती उजमा नाज श्री चन्द्रभान श्रीमती भूरी श्री अब्दुल रहूफ श्री नसीम</p>	<p>निर्माण कार्य समिति अध्यक्ष- श्री मुजिबुर्हमान सदस्य श्रीमती शारफा बेगम श्री अब्दुल रहूफ श्री नसीम श्रीमती उजमा नाज श्री चन्द्रभान श्रीमती भूरी</p>	<p>स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति सदस्य श्री मो0 आलम श्री मो0 अकरम श्री चन्द्रभान श्री सद्दाम श्री मौ0 तहसीन आलम श्री फरमान</p>
<p>जल प्रबंधन समिति अध्यक्ष-श्रीमो0 फिरोज सदस्य श्री रहूफ श्री फरमान श्री चन्द्रभान श्रीमती उजमा नाज श्री उसमान श्री नसीम</p>	<p>नियोजन एवं विकास समिति अध्यक्ष- श्रीमती शारफा बेगम सदस्य श्रीमती उजमा नाज चन्द्रभान श्रीमती भूरी श्री अब्दुल रहूफ श्री नसीम</p>	<p>शिक्षा समिति अध्यक्ष-श्रीसुल्तान सदस्य शारफा बेगम श्रीमती उजमा नाज चन्द्रभान श्रीमती भूरी श्री अब्दुल रहूफ श्री नसीम</p>

क्रमांक	पंचायत सदस्यों का नाम
1.	श्री फईम, ग्राम प्रधान
2.	मो0 फरमान, वार्ड सदस्या
3.	श्री मो0 नसीम, वार्ड सदस्य
4.	श्री मो0 तहसीन, वार्ड सदस्य
5.	श्रीमती भूरी, वार्ड सदस्य
6.	श्री नसीम, वार्ड सदस्य
7.	श्री अब्दुल रहूफ, वार्ड सदस्य
8.	श्रीमती उजमा, वार्ड सदस्य
9.	श्री सद्दाम, वार्ड सदस्य
10.	श्रीमती सना, वार्ड सदस्य
11.	श्रीमती शारफा बेगम, वार्ड सदस्य

ट्रान्जेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण)

समग्र ग्राम पंचायत के जलवायुगत आपदा एवं जोखिम को समझने की दृष्टि से खुली बैठक में उपस्थित ग्रामप्रधान प्रतिनिधि, पंचायत सचिव 20 स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं एवं समुदाय के सभी लोगों ने ग्राम पंचायत के दोनों गांव का ट्रान्जेक्ट वॉक किया। पंचायत भवन से यह वॉक शुरूकर सभी बार्ड/मजदूरों के साथ 6 तालाब से होकर पुनः पंचायत भवन पर समाप्त हुई। ग्राम पंचायत पीपलसाना के सभी वार्ड व मजदूरों आपस में जुड़े हैं। ग्राम पंचायत पीपलसाना से मीलक पीपलसाना लगभग आधा किमी की दूरी पर स्थित है।

ट्रान्जेक्ट वाक के दौरान अवलोकन की गयी स्थितियाँ

बसाहट	दो टोले- गांव के प्रारम्भ में एक इण्टर कॉलेज हैं तथा मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ दुकानें हैं, गांव में बैंक, साप्ताहिक बाजार भी लगता है, गांव में पेयजल हेतु हैण्डपम्प एवं सप्लाई की टॉटी भी दिखाई दी। गांव में कुटीर उद्योग धन्धे हैं, जहां पर हैण्डलूम, डिस्पोजिबल प्लेट्स, गिलास के छोटे छोटे कारखाने हैं, फर्नीचर की दुकानें हैं, लोहे एवं स्टील के उत्पाद भी तैयार किये जाते हैं। कई घरों में लोग मोटर चलाकर भूल गये थे जिससेपानी बह रहा था। गांव में गृहवाटिका में मिर्चा, धनिया भी दिखा। कुछ छुट्टा पशु विचरण कर रहे थे। इसके अलावा गाय, बकरी, भैंस, भेड़ आदि पशु भी अल्प मात्रा में हैं।
ताल-तलैया 2 एकड़ (भौतिक अवस्था में स्थित) 2.2 एकड़ (अतिक्रमण एवं मृत अवस्था में) कुल क्षेत्रफल-4.437 एकड़	6 तालाब पीपलसाना में चामुण्डा वाला तालाब क्षेत्रफल 0.79 एकड़, पुराना बुध बाजार वाला तालाब क्षेत्रफल 1.215 एकड़, लगंडे जमील का तालाब क्षेत्रफल 1.00 एकड़, लडडन का तालाब 0.89 एकड़, मीलक पीपलसाना में चमुण्डा का तालाब 0.212 एकड़ ,शर्मा का तालाब 0.33 एकड़
नाला	ग्राम पंचायत के उत्तर दिशा में एक नाला पश्चिम से पूरब दिशा की ओर निकलता है। इसमें पानी की कम मात्रा है तथा सफाई कराने की आवश्यकता है।
हरित क्षेत्र बाग- बगीचा	ग्राम पंचायत के भ्रमण में हरित क्षेत्र कम देखने को मिले। ग्राम पंचायत वृक्षों की संख्या कम है।
भौतिक संसाधन	ग्राम पंचायत के पूरब में एक पानी की टंकी है। जिससे ग्राम पीपलसाना व मीलक पीपलसाना की आबादी को पानी सप्लाई होता है। इसके साथ दोनों टोलों में 72 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प पेयजल हेतु गाँव में उपलब्ध हैं। एक आंगनवाड़ी केन्द्र है जो बहुत ही जर्जर अवस्था में है जिसमें कोई सुविधा न होने के कारण उसमें कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है। अन्य केन्द्र किराये की जगह/प्राथमिक विद्यालय/मदरसों में संचालित हैं। दोनों टोलों में दो प्राथमिक विद्यालय हैं मीलक पीपलसाना का विद्यालय रोड से बहुत नीचा है जिसमें बरसात में पानी जमा हो जाता है मुख्य सड़क पर एक जूनियर हाई स्कूल है तथा तीन प्राइवेट इन्टर कॉलेज हैं। तथा रेलवे लाइन के दक्षिण में एक डिग्री कॉलेज है पीपलसाना में एक रेलवे स्टेशन, एक डाकघर एक विद्युत उपखंड केन्द्र, पशु चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थित है।

समाजिक मानचित्रण

सभी टोलों, वार्ड/मजराओं के भ्रमण के उपरांत ग्राम पंचायत में उपस्थित खेलकूल मैदान के परिसर में ग्रामवासियों के उपस्थिति में सामाजिक मानचित्रण तैयार किया गया, जिसके आधार पर प्राप्त सूचनाएं निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं-

विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत की चौहदी का क्षेत्रफल	251.28 है0	बाग बगीचा एवं खेती का स्थान मिलाकर
कुल टोलों की संख्या	2	पीपलसाना व मीलक पीपलसाना
कुल घरों की संख्या	2385	पीपलसाना-2181, मीलक पीपलसाना-204
कुल पक्के घरों की संख्या	1859	प्रत्येक वार्ड, मोहल्लों पर अधिकांशतः पक्के छत वाले मकान है।
कुल कच्चे घरों की संख्या	426	पीपलसाना-392, मीलक पीपलसाना-34
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या	209	पीपलसाना-174, मीलक पीपलसाना-35
विकलांग जनों की संख्या	111	42 महिला, 69 पुरुष
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	85	सभी टोले/वार्ड, मोहल्लों पर
इण्डिया मार्का हैण्डपम्प	72	मजरा-जामा मस्जिद-11 लाल मस्जिद-08 कुरैशीयान-09, अन्सारीयान कोट-03 लटूरी शाह-06, सुन्दर नगर-13 मोती मस्जिद-05, पीरूचा सिनेमा हाल की तरफ-06, मन्दिर वाला मजरा-04 मीलक पीपलसाना-07

जातिगत / श्रेणीगत विवरण


सामान्य जाति के घरों संख्या	797
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	1389
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	199
कुल घरों की संख्या	2385

ग्राम पंचायत पीपलसाना रेवले स्टेशन से 2 किमी० की दूरी पर पश्चिम दिशा में स्थित है। इस ग्राम पंचायत से डेला नदी लगभग 1 किमी की दूरी पर उत्तर-पूरब दिशा से गुजरती है। इस ग्राम पंचायत में 2 बसाहट हैं - यहां की 90 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है, जिसमें अधिकांशतः बुनकर (अन्सारी), तुर्क, कुरैशी, फकीर, धोबी, नाई, शेख, रंगरेज आदि जातियां है तथा हिन्दू समुदाय में सैनी, पाल, जाटव, हरिजन, भुर्जी आदि जातियां है।

कुल 209 परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के है। पीपलसाना के 92 व्यक्ति भूमिहीन है। पीपलसाना के उत्तर पूर्व में निचली भूमि है जिसमें मकान बने है, जहां पानी की निकासी की समस्या होती है, सीपेज के कारण पक्के मकान खराब हो गये है।


111 विकलांग जनों में 42 महिला एवं 69 पुरुष हैं। सभी आंशिक रूप से विकलांग है। 71 प्रतिशत लोग साक्षर की श्रेणी में आते है जबकि 66 प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। 85 घर ऐसे हैं जहां महिला मुखिया है।

आजीविका के साधन



आजीविका के साधन	व्यक्ति की संख्या
सरकारी नौकरी	112
छोटे उद्योग-धन्धे	30
कृषि आधारित	729
कला एवं शिल्पकार	549
पशुपालन	112
लोकल दुकान	344
गैर कृषि मजदूरी	1590
अन्य	20

- ग्रामपंचायत - पीपलसाना
- संकेत
- झोपड़ी
 - एककभकान
 - रेलवे फाटक
 - तालाब
 - नहर
 - इन्डिया मार्ग
 - रास्ता
 - टंकी
 - नदी
 - धडा



संलग्नक-4

आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा एवं घटनाक्रम

ग्राम पंचायत पीपलसाना का ऐतिहासिक व समयरेखा आपदाओं एवं उसके प्रभाव को जानने के बाद समुदाय के साथ यह भी जानने का प्रयास किया गया कि ये आपदाएं इस ग्राम पंचायत को कब-कब प्रभावित कर रही हैं। इस क्रम में इस आपदाओं का ऐतिहासिक समयरेखा जानने का प्रयास किया गया, जिसमें समुदाय ने माना कि जलजमाव ऐसी आपदा है, जो लगातार समुदाय को प्रभावित कर रही है। साथ ही प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। हाल के वर्षों से कोरोना नामक बीमारी भी आपदा हो गयी है। इस बीमारी से बचाव के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लग जाने के कारण लोग अपने घरों में बन्द हो गये थे। इसका सबसे अधिक प्रभाव खेती में तैयार उत्पाद के लिए बाजार न मिलने के रूप में था। सबकुछ बन्द हो जाने के कारण बड़े पैमाने पर लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। प्राप्त सूचनाओं को निम्नवत् दर्ज किया गया है-

क्रम	वर्ष	आपदा / खतरा	घटनाओं का कारण	मृतकों की संख्या	प्रभावित लोगों की संख्या	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु किया गया कार्य
1.	2001	सूखा	बारिश कम हुई जल संचयन क्षेत्रों पर	-	800 लोग प्रभावित	203 हे० खेत प्रभावित	2008-09 में तालाबों की खुदाई एवं सफाई का कार्य किया गया। पेयजल हेतु हैण्डपम्प रिबोर एवं सब

			अतिक्रमण				मर्सिबल मोटर लगाना। कृषि सिंचाई हेतु 1 ट्यूबवेल लगा।
2.	2006	आंधी तुफान	पहाड़ों में अधिक वर्षा	4-5 बच्चें	पूरा गांव के लोग	30-40 एकड़ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। (मड़ाई एवं ओसाई हेतु)	कोई कार्य नहीं
3.	2009	ओलावृष्टि	मौसम खराब	—	पूरा गांव के लोग	80-90 एकड़ फसल नष्ट हो गई (मड़ाई एवं ओसाई हेतु)	कोई कार्य नहीं
4	2011	बाढ़	पहाड़ों में अधिक वर्षा के कारण कालागढ़ डाम से पानी छोड़ा जाना		पूरा गांव के लोग	80-90 एकड़ फसल नष्ट हो गई	नहर तटबन्ध का निर्माण
5.	2021	जलजमाव	जल निकासी का अभाव, पोखरों, नालों पर अतिक्रमण	—	30-40 परिवार के लोग जलजमाव	सड़क बर्बाद हो जाती है। फसल बेकार हो जाता है।	कोई कार्य नहीं
6.	2020-2021	कोरोना का प्रभाव	गांव में दिल्ली बम्बई से बाहर से लोग आये	3	300-310	रोजगार बाधित तथा आर्थिक क्षति	टीकाकरण, जागरूकता गांव में साफ-सफाई

आजीविका के साधनों पर आपदाओं का प्रभाव

क्रमांक	आजीविका के प्रकार	परिवार की संख्या	आपदा	आपदा का प्रभाव			क्या प्रभाव पड़ता है?
				अधिक	मध्यम	कम	
1.	कृषि	509	जल जमाव			✓	<ul style="list-style-type: none"> • लगभग 1 एकड़ की फसल नष्ट हो जाती है। • रबी के मौसम में लगभग 2 एकड़ की भूमि में बुवाई का कार्य नहीं हो पाता है। • धान में फंगस एवं झुलसा रोग हो जाता है • धान की नर्सरी पूरी तरह प्रभावित हो जाती है।
			सूखा		✓		<ul style="list-style-type: none"> • खेत की खड़ी फसल सूख जाती है। • सिंचाई खर्च अधिक लगता है। • फसलों की बढ़वार नहीं होती है। • किसान 4-5 वर्षों से मैथा या तो कम लगाते हैं या लगा ही नहीं रहें हैं। • सभी फसलों का उत्पादन घट जाता है।
			शीतलहर	✓			<ul style="list-style-type: none"> • फसलें झूलस जाती हैं। • आलू में पाला की समस्या हो जाती है। • सरसों में माहो का प्रकोप बढ़ जाता है। • फसलों का बढ़वार प्रभावित हो जाती है। • गन्ने में ब्लास्ट रोग लग जाता है।
2.	मजदूरी	439	जल जमाव		✓		<ul style="list-style-type: none"> • आवागमन बाधित होता है। रोजगार बाधित होता है। • कृषि कार्य में मजदूरी बाधित होती है। • मनरेगा का कार्य नहीं होने के कारण स्थानीय स्तर पर मजदूरी नहीं मिलती है। • मजदूरी कार्य की जानकारी नहीं मिल पाती है।
			सूखा			✓	<ul style="list-style-type: none"> • कृषिगत मजदूरी का कार्य नहीं मिलता है।

						<ul style="list-style-type: none"> ● खान-पान पर प्रभाव पड़ता है। ● आजीविका प्रभावित होती है। ● आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। ● पलायन करना पड़ता है।
			शीतलहर	✓		<ul style="list-style-type: none"> ● काम नहीं मिल पता है। ● फेरी करने वाले फेरी करने कम ही निकलते हैं। ● शीतलहर के कारण मुरादाबाद जाने वाले पीजल मजदूर/ठेकेदार शहर नहीं जाते हैं। ● स्वास्थ्य खराब रहता है। ● खर्चा बढ़ जाता है।
3.	पशुपालन (गाय, भैंस, बकरीपालन, मुर्गीपालन) घरेलू स्तर पर	50	जल जमाव	✓		<ul style="list-style-type: none"> ● चारे की गुणवत्ता खराब हो जाती है। ● चारागाह जलजमाव में खराब हो है। ● फसल डूब जाने से सूखा चारा नहीं मल पाता है। ● पशुओं में खुरपका मुहंपका बीमारी हो जाती है।
			सूखा		✓	<ul style="list-style-type: none"> ● पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। ● गाय-भैंसों को नहलाने के लिए पानी की कमी हो जाती है। ● चारा कम हो जाता है। ● तपती धूप के कारण पशुओं में भयंकर बीमारी का होना।
			शीतलहर	✓		<ul style="list-style-type: none"> ● पशुचारे की समस्या हो जाती है। ● पशुओं में बीमारियां हो जाती हैं। ● पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। ● बकरियों में हाइपोथर्मिया (श्वंस सम्बन्धी रोग) की बीमारी होने से बकरियों की मृत्यु हो जाती है।
4.	स्वयं का व्यवसाय (छोटी दुकान)	40	जल जमाव	✓		<ul style="list-style-type: none"> ● सामान लाने में असुविधा होती है। ● सामान महंगा हो जाता है।

	आदि)							<ul style="list-style-type: none"> ● कच्चा माल खराब हो जाता है। ● जलजमाव के कारण माल के रखरखाव में समस्या होती है।
--	------	--	--	--	--	--	--	--

सहयोग एवं प्रस्तुती करण
संस्था का नाम – नेहरू युवा मण्डल पीपलसाना
टीम लीडर– अजीजुर रहीम
टीम के सदस्य
1 मौ० फहीम
2 मौ० सादिक
3 टीकाराम

विशेष सहयोग एवं आभार श्री मुंजफ्फर अली प्रतिनिधि ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत पीपलसाना

कु० शमा परवीन पंचायत सहायक ग्राम पंचायत पीपलसाना

अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
हरित स्थान और जैवविविधता को बढ़ाना				
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p>चरण 1: वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p>चरण 2: भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p>चरण 3: भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)⁹¹ = ₹ 70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)⁹²</p> <p>= ₹ 1,200 प्रति इकाई</p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹ 1.5 लाख/हेक्टेयर</p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण की क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e)</p> <p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/हेक्टेयर माना जाता है</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> 300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। 		
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं)</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p>चरण 3: शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत⁹³ = ₹ 40,000/हेक्टेयर⁹⁴</p>	

91 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

92 लागत बाजार भाव के अनुसार

93 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

94 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मुला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	-----------------------------------

सतत कृषि

1	सूक्ष्म सिंचाई-ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	₹ 1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	बांधों का निर्माण	<p>चरण 1: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p>चरण 2: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p>चरण 3: मेड़ों का रखरखाव</p> <p>- मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है</p> <p>- ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं।</p>	1 मी. मेड़बंदी के लिए⁹⁵ = ₹ 150 रुपये	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p>चरण 1: 5-10 तालाब</p> <p>चरण 2: 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m³</p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	1 कृषि तालाब का निर्माण⁹⁶ = ₹ 90,000	

95 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

96 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
4	प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाना	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): ₹ 60,000</p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹ 33,000</p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--> प्रति एकड़ लागत = ₹ 2,500</p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---> प्रति एकड़ लागत = ₹ 2,500</p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = ₹ 1,00,000 कुल लागत 97: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e->2.471 * 1,00,000 = ₹ 2,47,100</p>	

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में</p> <p>चरण 2: सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्डों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई)</p> <p>चरण 3: 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</p>	<p>10 m³ क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत⁹⁸ = ₹ 35,000 1 पुनर्भरण गड्डे की लागत ¹¹ = ₹ 35,000</p>	
---	---------------------------------------	---	---	--

97 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (UPSOCA_Tariff_20March.pdf (apeda.gov.in)) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

98 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	चरण 1: जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ) चरण 2: जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव चरण 3: जल निकायों का निरंतर रखरखाव	अनुमानित लागत ⁹⁹ : 1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = ₹ 7 लाख 2. 1 रिटेंशन तालाब (300 मीटर ³ क्षमता) का निर्माण = ₹ 7 लाख 3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = ₹ 1,200 प्रति यूनिट 4. रखरखाव की लागत: a. 1 तालाब/जल निकाय = ₹ 3, 75,000 b. 1 प्रतिधारण तालाब = ₹ 50,000 c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = ₹ 20 प्रति यूनिट	
3	विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (DEWATS) की स्थापना		DEWATS के लिए: 15,000 के साथ जीपी के लिए जनसंख्या और जल आपूर्ति मात्रा 120 लीटर/व्यक्ति/दिन के रूप में, अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है 80% पानी आपूर्ति, इसलिए कुल अपशिष्ट जल उत्पन्न 18,64,896 लीटर/दिन या है 2 एमएलडी. तो, विचार कर रहे हैं भविष्य की मांग, ए की अनुमानित क्षमता DEWATS = 2.2 एमएलडी (मौजूदा का 20%) अपशिष्ट जल उत्पन्न 1 एमएलडी क्षमता की लागत DEWATS ₹50 लाख है, इसलिए 2.2 के लिए एमएलडी/2200 केएलडी 5 DEWATS	

99 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
4	जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण) चरण 2 और 3: चरण 1 में जारी गतिविधियाँ जारी जायें	अधिकतर एचआरवीसीए दस्तावेज़ में दी गई लागतों को देखें	

सतत और उन्नत गतिशीलता

1	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: सड़क मरम्मत/रख-रखाव कार्य + सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य चरण 2 और 3: सड़कों का निरंतर रखरखाव	सड़क रख-रखाव /मरम्मत की प्रति किमी लागत ¹⁰⁰ : ₹ 50,00,000 प्रति किलोमीटर	
2	माध्यम आकर के सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्शा	1 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत: ~₹ 3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन 12,000 रुपये तक	
3	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	चरण 1: डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना चरण 2 & 3: निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹ 6,00,000 1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = ₹ 5 से 10 लाख	

100 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) दर/किमी के अनुसार लागत और एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	-----------------------------------

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	<p>चरण 1:</p> <p>a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के तहत 100% घरों को शामिल करना</p> <p>b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>c. कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्कैप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना</p>	<p>कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें;</p> <p>बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58%</p> <p>गैर-बायोडिग्रेडेबल/अकार्बनिक अपशिष्ट - 42%</p> <p>आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या = कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा)</p> <p>कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है</p> <p>स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)</p>	
		<p>चरण 2:</p> <p>a. ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई</p> <p>b. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>c. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>d. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव</p> <p>e. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>प्लास्टिक श्रेडर इकाई की संख्या = 1 प्रति पंचायत</p> <p>अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना ।</p>	
		<p>चरण 3:</p> <p>a. रखरखाव कार्य</p> <p>b. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>लागत¹⁰¹: 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन = ₹ 95,000 से 1,00,000 2. 1 कूड़ादान/कंटेनर = ¹⁰² ₹ 15,000 3. प्लास्टिक श्रेडर यूनिट¹⁰³= ₹ 50,000 प्रति यूनिट</p>	

101 लागत बाजार भाव के अनुसार

102 लागत बाजार भाव के अनुसार

103 लागत बाजार भाव के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
2	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	<p>चरण 1:</p> <p>a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना</p> <p>b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल:</p> <ol style="list-style-type: none"> कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय कृषि अपशिष्ट की बिक्री 	<p>कुल उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरा = प्राथमिक डेटा</p> <p>घरों, वाणिज्यिक दुकानों, सरकारी/पीआरआई भवनों, सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों आदि से जैविक कचरा = xxx किलोग्राम प्रति दिन (प्राथमिक डेटा के अनुसार)</p> <p>संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न की जा सकती है¹⁰⁴ = xxx किग्रा/दिन जैविक अपशिष्ट / 2 प्रति वर्ष __ किलोग्राम कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (प्राथमिक डेटा के अनुसार)</p>	
		<p>चरण II और III:</p> <p>a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना</p> <p>b. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>लागत¹⁰⁵:</p> <ol style="list-style-type: none"> कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹ 4,50,000 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ¹⁰⁶: ₹ 35,00,000 	
3	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	<p>चरण 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल 	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	

104 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20the%20microbes,food%20waste%20turns%20into%2050%20kg%20of%20>

105 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

106 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
		चरण 2: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 200 महिलाएं	
		चरण 3: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	-----------------------------------

स्वच्छ, सतत,किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

सौर छतें	<p>चरण 1: सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि)</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p>	<p>सौर क्षमता की गणना के लिए एमएनआरई सोलर रूफटॉप पोर्टल का उपयोग करें।</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में) = स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें)</p> <p>स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹ 50,000¹⁰⁷</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365</p>	<p>उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)*</p> <p>$0.82/1000 =$</p> <p>___ टन CO₂</p>
	<p>चरण 2 और 3:</p> <p>परिवार</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p> <p>मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>चरण 2: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p>चरण 3: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 किलो वाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹ 50,000</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
2 ¹⁰⁸	कृषि-फोटोवोल्टिक	<p>चरण 2: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25%</p> <p>चरण 3: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50% उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)</p>	<p>प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹ 1 लाख</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	
3	सौर पंप	<p>चरण 1: 20% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p>चरण 2: 50% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p>चरण 3: 100% डीजल पम्पों का बदला जाना</p>	<p>स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पन्न= कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p> <p>प्रति पंप लागत = ₹ 3 से 5 लाख¹⁰⁹</p>	<p>डीजल की खपत को कम करना =390 लीटर/प्रति/वर्ष</p> <p>प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390</p> <p>उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (CO₂e)</p>

108 https://solarrooftop.gov.in/rooftop_calculator

109 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
4	स्वच्छ खाना पकाना	<p>चरण 1: 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 2: 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 3: 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता</p>	<p>1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹ 50,000</p> <p>2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹ 45,000</p> <p>1 बेहतर चूल्हे की लागत = ₹ 3,000¹¹⁰</p>	
5	ऊर्जा दक्षता (ईई)	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p>चरण 2: सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना ।</p> <p>चरण 3: सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹ 70</p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹ 220</p> <p>1 ईई पंखे की लागत = ₹ 1,110¹¹¹</p>	
6	सौर स्ट्रीटलाइट्स	<p>प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/ पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।</p>	<p>1 हाई-मास्ट की लागत = ₹ 50,000</p> <p>1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = ₹ 10,000¹¹²</p>	

110 बाजार दर के अनुसार लागत

111 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>)

112 बाजार दर के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	-----------------------------------

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियों और फलों/और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित लागत: ₹ 8-15 लाख प्रति यूनिट	
2	सतत वस्तुओं के निर्माण में स्वयं सहायता समूहों को शामिल करें कृषि अपशिष्ट से उत्पाद	कृषि अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना	1 प्रसंस्करण इकाई की लागत ¹¹³ = ₹3,00,000	

113 बाजार दर के अनुसार लागत

अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

एसडीजी 2: जीरो हंगर



लक्ष्य 2.3: भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

लक्ष्य 2.4: वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.: सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



लक्ष्य 3.3: एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

लक्ष्य 3.9: खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



लक्ष्य 6.1: पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

लक्ष्य 6.3: वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

लक्ष्य 6.4: सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

लक्ष्य 6.5: सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

लक्ष्य 6.8: स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

लक्ष्य 6.a : अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

एसडीजी 7: किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



लक्ष्य 7.1: किफायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 7.2: ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

लक्ष्य 7.3: ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

लक्ष्य 7.a : नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 7.b: विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



लक्ष्य 8.3: विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



लक्ष्य 9.1: गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



लक्ष्य 11.2: सभी के लिए सुरक्षित, किफायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

लक्ष्य 11.4: विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

लक्ष्य 11.7: वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



लक्ष्य 12.2: प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

लक्ष्य 12.4: वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.8: वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाई



लक्ष्य 13.1: सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

लक्ष्य 13.2: जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

लक्ष्य 13.3: जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



लक्ष्य 15.1: अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 15.2: वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

लक्ष्य 15.3: वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्रवाई करना।

लक्ष्य 15.9: वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
--------------	------------------	-------------	-----------------

इमारती लकड़ी के पेड़

अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ्रिकस रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्टेरोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरेसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।

फल और जंगली खाद्य पौधे

मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल शामिल हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।
एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटैगिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंद्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़

एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्पैरैगसऐडसेडेंसरोक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।

अन्य पेड़

पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।



નોટ્સ

